पंचम माला, खंड 42, अंक 12 — मंगलवार, 6 अगस्त, 1974/15 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLII, No. 12 — Tuesday, August 6, 1974/Sravana 15, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये — Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is a translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12—मंगलवार, 6 अगस्त, 1974/15 श्रावण, 1896 (शक)

No. 12—*Tuesday, August* 6, 1974/*Sravana* 15, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
225	हड़ताल की अवधि के लिये कर्मचारियों को भुगतान	Payment to employees for the period of Strike	1–5
226	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर भर्ती	Recruitment to the posts of Judges of High Court	5–9
227	भाटिंडा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertilizer plant at Bhatinda	9–10
229	ईंधन तेल को सुरक्षित रखने के लिये भारतीय तेल निगम तथा अन्य तेल कम्पनियों का अभियान	Drive by I.O.C. and other Oil Companies to Conserve Fuel Oil	10–12
230	औषध उद्योग द्वारा लाइसेंसो तथा अन्य सुविधाओं के लिय प्राथमिकता मांगना	Priority for Licensing and other Facilities Sought by Drug Industry	12–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
221	भारतीय रेलों पर बुक स्टालों के ठेके शिक्षित बेरोजगार युवकों को दिया जाना	Book stall contracts to Educated Un-employed on Indian Railways	15
222	मंगलोर हसन रेलवे परियोजना का निर्माण	Construction of Mangalore Hassan Railway Project	15–16
223	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में गुजरात के इंजीनियरो तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Engineers and other Educated Persons from Gujarat in O. & N.G.C.	16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor cf the House by him.

1—24 LSS(ND)/74

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
224	जगाधरी–पौंटा रेलवे लाइन के लिये किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष	Findings of Survey for Jagadhari Paonta Railway Line . .	16
228	निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता	Legal Aid to the poor . .	16–17
231	भारतीय तेल निगम के 'इन्डेन गैस' व्यापारियों के पास पंजीकृत उपभोक्ताओ की संख्या की अधिकतम सीमा	Ceiling on the Number of Consumers Registered with Indane Gas Dealers of I.O.C. . .	17
232	साबुन, टायर और सीमेंट बनाने वाली फर्मों द्वारा अर्जित लाभ	Profits Earned by Soap, Tyre and Cement Producing Firms .	17–18
233	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में मंजूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Payment of Wages Act in Jaipur Division (Western Railway) . . .	18–19
234	दुर्गापूर केमीकल्स में फेनाल तथा फ्थालिक एनेक्लोरीआल का उत्पादन	Production of Phenol and Phthalic Anhycloriole at Durgapur Chemical Plant . .	19–20
235	मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा पता लगाये गये वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत मामले	Cases under P.W.A. Detectd by Chief Labour Commissioner .	20
236	दिल्ली में कुछ पैट्रोल व्यापारियो द्वारा जल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री किये जाने संबंधी शिकायतें	Complaints regarding Sale of petrol mixed with water by some Petrol Dealers in Delhi	20
237	रेल हड़ताल के दौरान आपात स्थिति में किया गया व्यय	Expenditure incurred on Emergency during Rail Strike .	20–21
238	गुजरात में चुनाव	Election in Gujarat . . .	21
239	औषधि बनाने वाले कारखानों को राज्य व्यापार निगम और आई० डी० पी० एल० द्वारा कच्ची सामग्री की सप्लाई . .	Supply of Raw Material by STC and IDPL to Drug Units	21–22
240	मुख्य गाडियों में रेल डिब्बो की संख्या बढाने का प्रस्ताव	Proposal to add more Bogies to Important Trains . .	22–23
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1627	पटना घाट की भूमि को बिडला बंधूओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव	Proposal to transfer Patna Ghat land to Birlas . . .	23
1628	पेट्रोल उत्पादो की खपत को सिमित करने की योजना	Scheme to restrict consumption of Petroleum products . .	~~23–24~~
1629	पर्व आदि अवसरों पर डीजल तेल से बिजली पैदा करने पर रोक	Ban on the use of Diesel Oil for generation of Electricity on Festive Occasions . .	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1631	साबुन के उत्पादक	Producers of Soaps . .	24–25
1632	नई हड़ताल के लिए भड़काने वाले कार्मिक संघों के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Trade Unionists Instigating for Fresh Strike .	26
1633	खंभात और सौराष्ट्र में तट से दूर तेल की खोज	Off shore Oil Exploration in Cambay and Saurashtra .	26
1634	अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में अशोधित तेल के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Crude Oil in Ankaleshwar Fields	26–27
1635	तेल की खुदाई करने वाला "सागर सम्राट" जहाज का उपयोग	Utilisation of Oil Drilling Ship Sagar Samrat . . .	27
1636	तेल उत्पादक देशों तथा उपभोक्ताओं के बीच बातचीत में भारत द्वारा भाग लेना	Indian Participation in Discussions between Oil Producing Countries and Consumers	27
1637	दक्षिण रेलवे के गिरफ्तार कर्मचारियो की रिहाई	Release of Arrested Employees in Southern Railway . .	27–28
1638	मई 1974 के दौरान पश्चिम रेलवे में कैन्सिल की गयी गाड़ियां	Trains cancelled on Western Railway during May, 1974 .	28
1639	दक्षिण रेलवे में बर्खास्त निलंबित तथा बहाल किये गये कर्मचारी	Employees Dismissed, Suspended and Reinstated in Southern Railway	28
1640	हड़ताल के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में तोडफोड की घटनाएं	Incidents of Sabotage on S.E. Railway during Strike . .	28
1641	मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा सुने गये रेल कर्मचारियों के मामले	Railway Employees' Cases heard by Chief Labour Commissioner	29
1642	गोहाना पानीपत रेलवे लाइन को पुन: चालू करना	Restoration of Gohana-Panipat Railway Line	29
1643	वर्ष 1973–74 के दौरान हिंसात्मक आंदोलनों के कारण प्रत्येक रेलवे द्वारा उठायी गयी हानि	Loss suffered by each Railway due to Violent Agitations during 1973-74 . . .	29–30
1644	इस समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में निणयाधीन–मामले	Cases pending in Supreme Court and High Courts at Present	30–31
1645	मथुरा तेल शोधक कारखाने के भारतीयकरण के प्रश्न पर मतभेद	Difference over Indianisation of Mathura Refinery . .	31
1646	सिंगरोली में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिये मध्य प्रदश सरकार की मांग	Demand from Madhya Pradesh Government for setting up a Fertilizer Plant at Singrauli	32

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1647	केरल क पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनें बनाने के निर्धारित लक्ष्य	Target of new Railway lines in Backward Areas of Kerala .	32
1648	कोयले के अभाव में गत 6 महीनो में कैन्सिल की गई गाड़ियां	Trains cancelled in Kerala due to shortage of coal during the last six months	33
1649	केरल राज्य में नयी रेलवें लाइनें	New Railway Lines in Kerala .	33
1650	अप्रैल के बाद केरल में भेजे गये खाद्यान्नों की माता	Quantity of Foodgrains transorpted in Kerala since April .	33-34
1651	डीजल लोकोमोटीव वर्क्स वाराणसी के लिये प्रोत्साहन बोनस योजना	Incentive Bonus Scheme for D.L. W. Varanasi . . .	34
1652	महोबा से खजुराहो तक के लिये ब्राड गेज लाइन	Broad Gauge line from Mahoba to Khajuraho . . .	35
1653	सतना ब्योहरी बरास्ता रीवा रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Satna Beohari via Rewa Railway Line . .	35
1654	फर्टिलायझर एंड कैमिकल्स त्रावणकोर उद्योग मंडल के कोचीन डिवीजन में हड़ताल	Strike in Cochin Division of FACT Udyogamandal .	35
1655	सरकारी क्षेत्र के प्रबंधकीय कर्मचारियों के वेतन तथा परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन	Amendment of Companies Act to raise Remuneration and Perquisities of Public Sector Managerial Personnel .	36
1656	कोचीन तेल शोधक कारखाने में उत्पादन में कमी	Decline in Production at Cochin Refinery	36
1657	मियां भाई पंचाट की सिफारिशों के कारण होने वाले लाभों की मुख्य बातें	Salient features of benefits accruing from Miabhoy Tribunal's Recommendations .	36-37
1658	आवश्यक औषधियों की कमी	Shortage of Essential Drugs .	37
1659	एस्सो और बर्मा शैल तेल शोधक कारखानों में नेफ्था का जमा होना	Accumulation of Naphtha in Esso and Burmah Shell Refineries	37-38
1660	जुलाई, 1974 के अंत तक रेलवे में घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing in Railways till end of July, 1974 . .	38
1661	पी० वी० सी० रेजीन निर्माता	P.V.C. Resin Manufacturers .	38-39
1662	मई, 1974 की हड़ताल के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उठायी गई हानि	Loss Sustained by each Zonal Railway during May, 1974 strike	39-40

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1663	कांगडा घाटी रेलवे मार्ग का पुन: निर्धारण करने के बारे में प्रगति	Progress on Kangra Valley Railway Re-alignment . .	40
1664	काश्मीर घाटी में रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Railway Line in Kashmir Valley . .	40
1665	बिहार में नये रेल स्टेशन का निर्माण	New Railway Stations to be constructed in Bihar . . .	40-41
1666	अलबलपुर (पंजाब) में कश्मीर मेल तथा श्रीनगर एक्सप्रैस का रुकना	Stoppage of Kashmir Mail and Srinagar Express at Alawalpur (Punjab) . . .	42
1667	नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha . .	42
1668	बर्मा शैल के सरकारी करन के लिये बातचीत	Negotiations for takeover of Burmah shell	42-43
1669	मई, 1974 में रेलवे द्वारा ढोया गया माल तथा यात्री यातायात	Value of Goods and Passenger Traffic carried by Railway in May, 1974 . . .	43
1670	बम्बई के खुले समुद्र में तेल की खोज कार्य में विदेशी फर्मों को भाग लेने की अनुमति न देना	Preventing Foreign Firms to operate in Bombay High . .	43
1671	समस्तीपुर से दरभंगा तथा बाराबंकी मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बड़ी लाइन	Broad Gauge line from Samastipur to Darbhanga and Barabanki-Muzaffarpur-Samastipur (North Eastern Railway)	44
1672	झंझरपुर से लौकहा और सकरी से हसनपुर तक (पूर्वोत्तर रेलवे) नई रेलवे लाइन	New Railway line from Jhanjharpur to Loukaha and from Sakri to Hasanpur (North Eastern Railway)	44
1673	मुरैथा और कोराहैया पर हाल्ट बनाने की मांग	Demand for opening halts at Muraitha and Korahaiya .	44-45
1674	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Coal based Fertilizer Plants	45
1675	रेलवे में इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली आरंभ करना	Switch over to Electric Traction for Railways . . .	45-46
1676	अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे तेल शोधक	Refinery working below installed capacities	46
1677	पांचवीं योजना में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र	Fertilizer plants to be set up in Fifth Plan	46-47
1678	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का पूरा किया जाना	Completion of Underground Railway in Calcutta . . .	47

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1679	ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र के लिए इटली और आस्ट्रिया से ऋण	Credit from Italy and Austria for Trombay Fertilizer Plant	47
1680	बम्बई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भूमि पर तथा भूमिगत चलने वाली ट्यूब रेलवे	Surface Ground Tube Railway to meet Bombay Needs . .	48
1681	बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा भारतीय एकाधिकारियों के सहयोग से कंपनियां स्थापित करना	Companies set up by Multi National Corporations in Collaboration with Indian Monopolists	48
1682	भारत में एक तेलशोधक कारखाने का निर्माण करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पेशकश	Offer from United Arab Emirates to Build a Refinery in India	48
1683	कोलाघाट रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे सम्पत्ति से मिट्टी खुदाई	Excavation of Earth from the Railway Property near Kolaghat Railway Station . .	49
1684	मैकेनिकल स्टाफ द्वारा नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 तक "नियमानुसार काम करने." का आन्दोलन चलाया जाना	Work to Rule Movement by Mechanical Staff from November, 1973 to January, 1974 .	49
1685	भारतीय रेलवे की अलाभप्रद शाखा रेल लाइनें	Unremunerative Branch Lines on Indian Railways . .	49-50
1686	दिसम्बर, 1973 में दक्षिण रेलवे में बंद की गयी गाड़ियों को दोबारा चलाना	Resumption of Trains suspended on Southern Railways in December, 1973 . . .	50
1689	हल्दिया, तेल शोधक कारखाने के लिए अशोधित तेल आयात करना	Import of Crude for Haldia Refinery	51
1690	एर्नाकुलम-एलप्पी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य	Construction of Ernakulam Alleppey Railway Line . .	51
1691	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposals Received to increase the Number of Judges in High Courts	51-52
1692	राजस्थान के जैसलमैर जिले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई कार्य	Drilling Operations by O. & N. G. C. in Jaisalmer District of Rajasthan	52
1693	सेवा में अवरोध को समाप्त किया जाना	Condonation of Break in Service period	52
1694	बम्बई उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending in Bombay High Court and Nagpur Bench of High Court	53
1695	महाराष्ट्र में औद्योगिक एककों को वैक्स की सप्लाई	Supply of Wax to Industrial Units in Maharashtra. .	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1698	कम्पनियों के निदेशक मंडलों /प्रबंध समितियों में सरकार के प्रतिनिधि	Nominees of Government on the Boards of Directors/Managing Committees of Companies.	54–55
1699	सेवा में अवरोध को समाप्त करने की सिफारिश	Recommendations to Condone Break in Service . .	55
1700	परिसीमन आयोग द्वारा गुजरात के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में प्रस्तावों के मसौदों का प्रकाशन	Publication of Draft Proposals on constituencies of Gujarat by Delimitation Commission .	55–56
1701	अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यवाही	Steps to increase production of Crude oil	56–57
1702	वरकला रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों के लिये धनराशि	Funds for Development Works at Varkala Railway Station .	57
1703	तुगलकाबाद स्टेशन पर केलों और आमों से भरे वैगनों का खड़े रहना	Wagons loads of bananas and mangoes standing at Tughlakabad Station . . .	57–58
1704	अशोधित तेल के आयात में कटौती	Cut in Import of Crude Oil .	58
1705	रेल हड़ताल के दौरान प्रादेशिक सेना के सैनिकों पर व्यय	Expenditure on Territorial Armymen during Railway Strike	58–59
1706	गोमोह और बरवाडीह तथा हरवाडीह और डेहरी ओन-सोन के बीच स्टेशनों की हालत खराब होना	Deteriorating condition of Stations between Gomoh and Barwadih and Harwadih and Dehri on Sone . .	59
1707	'ए' श्रेणी के नगरों में रहने वाले रेल कर्मचारियों तथा अन्य सेवाओं के कर्मचारियों की परिलब्धियों में अंतर	Disparity between the emoluments of railway employees and other services in 'A' Class cities	59
1708	पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनें बिछाना	Construction of New Railway Lines in West Bengal during Fifth Plan	59–60
1709	मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने के अतिरिक्त किसी अन्य तेल शोधक कारखाने की स्थापना न करने का निर्णय	Decision not to establish any refinery except the one at Mathura	60
1710	सभी श्रेणियों पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना	Application of Pay Commission Recommendations to all categories	60–61
1711	मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर खर्च	Expenditure on Implmentation of Miabhoy Tribunal's Recommendations . .	61
1713	गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उत्पादक	Fertilizer Producers in Private Sector.	61–62
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	62–63
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	62–63

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to the Matter of Urgent Public Importance—	
रिजर्व बैंक के जाली परमिटों पर विदेशी मुद्रा के अवैध रूप से बाहर भेजे जाने का समाचार—	Reported transmission of foreign exchange with Fake Reserve Bank permits—	
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal .	64–65
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan .	64–66
मेघालय के जोवाई के कुछ लोगों पर कथित हमले के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Alleged Assault on some people of Jowai in Meghalaya—	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram . .	66–67
नियम 377 के अधीन मामले—	Matter under Rule 377—	
(1) उड़ीसा में भीषण सूखे की स्थिति	(1) Serious Drought Conditions in Orissa . .	67–68
(2) केरल के इडिक्की जिले में बड़े पमाने पर भूस्खलन	(2) Large scale land slides in Idikki District of Kerala .	68
तेल उद्योग (विकास) विधेयक—	Oil Industry (Development) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा स्थगित)	Motion to consider (Discussion Postposed) . . .	68–71
भाखड़ा के बिजली घर में पानी भर जाने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Flooding of Power House at Bhakra—	
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant . . .	71
महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—	Major Export Trusts (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi .	72
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	72–73
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	74
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	74–75
श्री चिंतामणी पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	75–76
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	76
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . .	76–77
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Moahnty .	77
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	78
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	78–79
खंड 2 से 40 और 1	Clauses 2 to 40 and 1 . .	80–86
विधेयक, संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended .	86
हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक—	University of Hyderabad Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	86–87
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade . .	88
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey .	88
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	89
श्री के० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana .	90
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	90
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalanker	90

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 6 अगस्त, 1974/15 श्रावण, 1896 (शक)
Tuesday, August 6, 1974/Sravana 15, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हड़ताल की अवधि के लिये कर्मचारियों को भुगतान

***225. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की पिछली अखिल भारतीय आम हड़ताल में बरखास्त किये गए, छंटनी किए गए अथवा नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में दायर की गई अपीलों पर कौन अधिकारी कार्यवाही कर रहा है ;

(ख) कितने प्रतिशत मामलों के बारे में निर्णय हो चुका है और शेष मामलों पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को जिनकी अपीलें स्वीकार कर ली जाती हैं उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया जायेगा जो हड़ताल के बाद उनकी अपीलों का निर्णय करने में लगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत नौकरी से बर्खास्त किये जाने या हटाये जाने के आदेशों के विरुद्ध किसी अपील पर निर्णय करने का अधिकार उससे अगले ऊपर के प्राधिकारी को है जिसने इस प्रकार का दण्ड दिया हो। हाल की रेल हड़ताल के दौरान कोई छंटनी नहीं की गयी है ।

2. लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं समाप्त की गयी थीं या जिन्हें बर्खास्त किया गया था, उन्हें उनके अभ्यावेदनों/अपील पर फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया है ।

3. नौकरी से बर्खास्तगी/हटाये जाने की तिथि से बहाल करने की तिथि तक की अवधि के लिए वेतन के भुगतान के संबंध में निर्णय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

2—24 LSS (ND)/74

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कर्मचारियों के मामले ऐसे हैं जो बीमार रहे या वास्तव में हस्पताल भर्ती रहे तथा उनके मामलों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कितने कर्मचारी बीमार पड़े थे या हस्पताल में भर्ती थे, इससे सम्बन्धित आंकड़े अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उनका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जिन लोगों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया परन्तु वह बीमार थे या हस्पताल में थे, उनका पता लगाया जा सकता है और प्रत्येक मामलों का निर्णय विशिष्ट गुण दोषों के आधार पर किया जाएगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थी या जिन्हें बर्खास्त किया गया था, उन्हें उनके अभ्यावेदनों या अपील पर फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया है । ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनके बारे में निर्णय बिना मंत्रालय को भेजे हो कर लिया गया ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हाल ही की हड़ताल के दौरान कुल 16,750 कर्मचारियों को बरखास्त किया गया, या नौकरी से निकाला गया । रेलवे द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 15-7-74 तक 4,923 रेलवे कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है । गत कुछ दिनों में इस कार्य में काफी तेजी आई है और 20-7-74 तक बहाल होने वाले कर्मचारियों की संख्या 6,497 तक पहुंच गई थी । अतः इस प्रकार लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थी या जिन्हें बरखास्त किया गया था उन्हें अभ्यावेदन/अपील पर पुनः बहाल कर दिया गया है और अन्य ऐसे मामले विचाराधीन है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अब तक सभी रेलों के कुल कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है ? कृपया ऐसा उत्तर मत दीजिए जो तथ्य पर आधारित न हो । यह तो हुई पहली बात ।

दूसरी बात यह है कि कुल कितने कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान डाला गया है, कितने स्थायी कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया है और कितने मामलों में प्रतिस्थापक तथा नैमित्तिक श्रमिकों को पुनः नौकरी देने से इन्कार कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक इकठ्ठा प्रश्न पूछिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह तो हुआ प्रश्न का (क) भाग । प्रश्न का (ख) भाग यह है कि मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कि न्यायालय द्वारा उस नियम को ही रद्द कर दिया गया तथा रोक देने को कहा गया जिन के अन्तर्गत इन कर्मचारियों को पीड़ित किया गया, अतः ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ? कितने मामलों में रेलवे प्रशासन द्वारा विभिन्न न्यायालयों के इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया ?

श्री मुहम्मदशफी कुरेशी : यह प्रश्न भी बर्खास्त किए गए और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों सम्बन्धी ही है । मैं पहले प्रश्न के उत्तर में ही यह बता चुका हूं कि 16,750 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने या नौकरी से हटाने के आदेश दिए गए ...... **(व्यवधान)** मैं 20-7-74 तक के आंकड़े दे चुका हूं । इन में से 40 प्रतिशत ऐसे कर्मचारियों को वापिस नौकरी पर लिया जा चुका है जिन्हों ने अपीलीय प्राधिकारी को इसके लिए अपील की । यह आंकड़े 20 जुलाई तक के है । आज तक और अनेक अपीलें आ गई होंगी तथा कई अन्य कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका होगा ।

जहां तक सेवा में व्यवधान डालने का प्रश्न है, यदि कर्मचारी अवैध घोषित हड़ताल में भाग लेते है तो हड़ताल में भाग लेने वाल प्रत्येक कर्मचारी की सेवा में व्यववान डाला जाएगा। जिनकी सेवा में व्यवधान डाला जायगा, ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 5.5 लाख होगी। इनमें से 1 लाख मामले ऐसे है जहां सेवा व्यवधान माफ कर दिया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रतिस्थापकों तथा नैमित्तिक श्रमिकों के आंकड़े आप ने नहीं बताए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल बर्खास्त किए गए कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : श्रीमान जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि बहाल किए गए कर्मचारियों से कितने को पदावनति किया गया है और जब कि अपीलों का निपटारा निम्न स्तर पर ही होता है फिर भी उच्च अधिकारियों द्वारा इसमें कितना हस्तक्षेप किया जा रहा है ?

हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जब कभी भी नीचे के लोगों द्वारा कार्यावली में बहाली का उल्लेख किया है उसी समय उच्चअधिकारियों द्वारा उन्हे बहाल न करने सम्बन्धी कुछ चयनिक आदेश जारी किये जाते है कि इन्हें बहाल न किया जाए। अतः हम सरकार से यह जानना चाहते है कि क्या सरकार कोई ऐसे निदेश जारी कर रही है जिन कर्मचारियों के विरुद्ध तोड़फोड़ के मामले है, उन्हें छोड़ कर अन्य सभी को बहाल कर दिया जाए। उनके मामलों पर बाद में फैसला कर दिया जाए। जब तक इसके बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया जाता तब तक कर्मचारियों को इसी प्रकार पीड़ित किया जाता रहगा। अतः हम सरकार से यह जानना चाहते है कि क्या इसके बारे में कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा क्योंकि खाली निदेश पदों का अभी तो कुछ भी नहीं होगा।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : श्रीमान जी, नियमों के अन्तर्गत, सजा दिए जाने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील पर निर्णय करने का अधिकार उससे अगले उपर के प्राधिकारी को होता है। हम कानून के रास्ते में किसी प्रकार का रोडा नहीं अटका रहे है। गुण दोषों के आधार पर ही सभी अपीलों के बारे में निर्णय किया जाता है। प्रायः उन सभी व्यक्तियों को उनके पूर्व पदों पर ही वापिस ले लिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक पदावनति का कोई भी मामला नहीं आया है। परन्तु मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि सभी अपीलों के बारे में निर्णय गुण दोषों तथा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जायेगा।

श्री रामसहाय पांडे : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले तो मजदूर नेता भोले भाले कर्मचारियों को पथभ्रष्ट करते हैं और बाद में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मैं मंत्रीमहोदय से यह पूछना चाहता कि यदि नौकरी से निकाले गए या बर्खास्त किए गए यदि वे कर्मचारी खेद प्रकट करें तो क्या उन्हें बहाल कर दिया जायेगा ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रामसहाय पांडे : मुझे समज नहीं आती कि भोले भाले कर्मचारियों को पथभ्रष्ट करने के बाद यह मजदूर नेता इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या व्यवस्था का प्रश्न पूछते हुए कोई सदस्य अपनी धारणा भी व्यक्त कर सकता है। उसे तो केवल प्रश्न पूछने का अधिकार होता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं पहले ही इस सदन में तथा दूसरे सदन में यह बता चुका हूं हम अपने कर्मचारियों के साथ कड़ा व्यवहार नहीं करेंगे। हम उनके प्रति उदार बनने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु यदि वह खेद व्यक्त करते हैं, तो निश्चय ही उस पर विचार किया जाएगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, just now it has been stated by the hon. Minister that there is break in the service of 5·5 lakh employees. I want to know what is meant by this break-in-service? Will it be presumed that they have started with new Service? Is it a fact that they will be deprived of their accumulated leave and seniority of Service? Is it not possible for the Government to be a little more considerate while deciding heir cases and instead of break in service, that period should be treated as leave without pay.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The break-in-Service is not victimisation or punishmen ...(*Interruptions*) It is just the outcome of an action, for instance if a man jumps deliberately and gets his leg fractured, it cannot be called victimisation. Similarly if people go on illegal strike, then break in service is a must. In special cases we will condone the break in service but the cases in which break in service will be there, their service will be treated as new service and the interim period will not be counted for the purposes of pension leave and other purposes. There was break in the service of more than 5 lakh employees and that has been condoned in more than one lakh cases. The individual merits of each case will be considered but it is not the policy of the Government to condone their break in service in general way.

Shri Chandrika Prashad : Mr. Speaker, a lot of delay is being caused in implementing the liberal policies of our Government towards the Railway Employees. I want that hon. Minister should declare his policy in the Parliament so that its implementation is no more hindered.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Policy is being implemented and it is of no use to place the same on the table of the House.

श्री पी० के० देव : श्रीमान जी, यह खेद की बात है कि 60 प्रतिशत कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी और इसे केवल झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर एक अपील को मांग करेगी, और एक सीधा आदेश जारी किया जाएगा के सभी कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाए और हड़ताल के समय के दौरान के वेतन भत्ते आदि सभी को दे दिए जाये।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सरकार का यह पक्का इरादा है कि जिस समय काम नहीं किया गया उसके लि कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।

Shri Madhu Limaye May I know if the attention of the Government has been drawn towards the report appearing in 'Economic Times' which is based on the financial study of Railways. It has been stated in the report although Railway fare was increased but still there is going to be 10 percent decrease in Railway Revenue this year, because of this strike. Therefore, I want to know from hon. Minister, whether Government propose in to take back all the employees so as to satisfy the employees and create cordial atmosphere to increase the Rail revenue with increasing the fares?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Alas! had he given this suggestion to Railway Employees prior to strike, this loss would have been avoided.

Shri Madhu Limaye : The unprovoked arrest of labour leaders instigated the strike otherwise some amicable solution would have been there.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The strike was thrusted upon them. They never wanted to go on strike.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It has been rightly stated by my hon. friend that it is necessary to have cordial relations with the employees for efficient running of Railway. We are trying for that and hope that my hon. friend will help us in this regard.

Shri Madhu Limaye : Please do not hit below the belt. You reinstate all of them and we will extend you our support.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्री द्वारा कुछ ऐसे निदेश पद जारी किए गए हैं जिनके अन्तर्गत यह बताया गया है कि जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है या जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरी पर बहाल किस प्रकार किया जाएगा ? क्या यह सच है कि हमारे देश में धारा 302 के अन्तर्गत बंदी बनाए गए बुरे से बुरे दोषी को भी अपनी सफाई प्रस्तुत करने का सुअवसर दिया जाता है परन्तु संविधान की इस व्यवस्था तथा विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार किसी रेल कर्मचारियों को ऐसा अवसर नहीं दिया गया। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए 15 अगस्त या 15 अगस्त से पहले ऐसे आदेश जारी किए जाएंगे कि किस प्रकार के दोषियों को जल से रीहा कर दिया जाए ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई एसा आम आदेश जारी करेगी जिसके अन्तर्गत सभी रेल कर्मचारियों को रिहा कर दिया जाये, उन्हें वापिस नौकरी पर ले लिया जाय तथा एक नया वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि रेलवे को सुचारु ढंग से चलाया जा सके जोकि देश के लिए हितकर होगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बंदी बनाए गए सभी कमचारियों को रिहा कर दिया गया है। केवल वही लोग अभी जेल में है जिनके विरुद्ध तोड़ फोड़ और आपराधिक कार्यों से दोष हैं। कुल बंदी बनाए गए 19,000 कर्मचारियों में से अब केवल 600 लोग ही ऐसें है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले है। सरकार का विचार है कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही पूरी तरह से की जानी चाहिए। जहां तक नौकरी से निकालने या बर्खास्त करने का ताल्लुक है, वह सब कुछ नियमों के अनुसार किया है, और वर्तमान नियमों तथा कानून के अनुसार ही उन्हें आदेश दे दिए गए हैं। हमने उन्हें अपील करने का अधिकार दे दिया है और इसी के परिणामस्वरुप उनमें से अधिकांश, लगभग 40 प्रतिशत को वापिस काम पर ले लिया गया है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का विचार है कि जिनके विरुद्ध गंभीर तथा कठोर मामले है और जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए तथा जो भोलभाले है, उन्हें नौकरी पर वापिस ले लिया जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी : 15 अगस्त को प्रधान मंत्री लाल किले से अपना भाषण देंगी। उस समय उन्हें घोषणा करनी चाहिये कि सभी बेचारे रेल कर्मचारियो को बहाल कर किय जायगा।

Shri Nathu Rami Ahirwar: Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the hon. Minister that according to Government's decision, employees will not be paid for striking period. Is it that now in this connection some political parties have started collectins donationg for pleading their cases and the donations are being collected from the poor employees who are starving? May I know if Government will form a committe con'sisting of officers for expediting disposal of their cases so that they can escape from clutches these people?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The statement of hon. Member that the people of some political parties are collecting the funds and m'sleading the employees, may be correct but I have got no knowledge of it. But our employees are at full liberty to avail themselves of the rights provided and the rules.

उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के पदों पर नियुक्ति

226. **श्री बी० वी० नायक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रतिशतता क्या है और न्यायिक सेवा से पदोन्नति के लिए आबंटित प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो शिकायतं किस प्रकार की है और कहां से प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या करने का विचार हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) न्यायिक सेवा और बार में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई प्रतिशतताएं निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ख) हाल में कुछ न्यायिक सेवा संगमों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा और बार के सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए है संविधान में कोई कोटे उपबंधित नहीं हैं और ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए केवल योग्यता और उपयुक्तता ही मान-दंड है।

श्री बी० वी० नायक : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के वास्तविक आंकड़े क्या हैं जो न्यायिक सेवाओं से आये हैं और वे जो बच की बार से सीधे आए हैं और न्यायिक सेवा संगठनों से क्या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा उसमें क्या लिखा है तथा उन्होने किन आधारों पर 50:50 कोटा की मांग की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मेरे पास इस समय न्यायिक सेवाओं और बार से लिए गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वास्तविक आंकड़े नहीं है परन्तु मैं यह जानकारी देने के लिए तयार हूं।

श्री बी० वी० नायक : कोई अनुमान ?

श्री एच० आर० गोखले : इस समय 350 से अधिक न्यायाधीश हैं? वैसे कानून में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है परन्तु मोटे तौर पर जिस सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता है वह एक तिहाई और दो तिहाई है, मुख्य न्यायाधीशों ने समय समय पर अपने सम्मेलनों में इसी आधार को न्यायिक सेवाओ और बार से भरती करने के लिए उचित कोटा माना है, सभी उच्च न्यायालयों में इस कोटे को सही तौर पर लागू नहीं किया जाता है क्योकि न्यायाधीशों का चयन अपने आप ही नहीं होता है, यह न्यायिक सेवाओं और बार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर रहता है, कभी कभी इस कोटे को पक्के तौर पर लागू नहीं किया जाता है परन्तु काफी हद तक इसका पालन किया जाता है।

श्री बी० वी० नायक : अभ्यावेदनों के बारे में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में क्या उत्तर है?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन और पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा एसोसिएशन से 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं।

श्री बी० वी० नायक : कर्नाटक न्यायिक सेवा अधिकारियों ने भी अभ्यावेदन दिया है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : हमे यह प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि कानूनन नहीं, तो वस्तुत: एक तिहाई से दो तिहाई के आधार पर भरती करने के लिए कोटा है, चूंकि भरती करने अथवा कोटा निर्धारित करने के लिए कोई कानूनी रुकावट नहीं है और चूंकि बडे नगरों आदि से भरती करने से उच्च न्यायालयों के बैंचों पर ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिन्हे फील्ड अनुभव नहीं है, जैसा कि तालुक और तहसील स्तर पर सिविल न्यायाधीश के मामले मे होता है तो क्यों नहीं इसे कानूनी रुप देने से पूर्व वस्तुत: 50:50 का प्रतिशत स्विकार किया जाता है? इसमें क्या आपत्ती है?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य बड़े उच्च न्यायालयों का उल्लेख कर रहे थे जहां उनके विचार में फील्ड वर्क संबंधी अनुभव वाले व्यक्ति नहीं हैं, मैं उनसे असहमत हूं, वास्तव में मोटे तौर पर अनुभव यह रहा है कि बार से लिए गए अच्छे और योग्य व्यक्ति बाद में सफल न्यायाधीश सिद्ध हुए हैं। साथ ही यह भी सच है कि न्यायिक सेवाओ से लिए गए कुछ न्यायाधीश काफी योग्य पाये गए हैं, विशेषकर उच्च न्यायालयो में अपील संबंधी कार्य करने होते हैं और साथ में संविधान के उपबंधों यथा अनुच्छेद 226, 277 आदि संबंधी कार्य करने होते हैं, काफी हद तक न्यायपालिका की निचली श्रेणियों में काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों को इन सांविधानिक मामलों में कोई अनुभव नहीं होता है परन्तु फिर भी उनमे से कुछ ने अच्छा काम किया है, अतएव प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है। सेवानिवृत्ति होने से कितने समय पूर्व यह कार्य आरंभ होता है। हमने अनेक मामलो में यह देखा यह है कि उच्चतम न्यायालय तक में रिक्त पद कई महीनों तक ऐसे ही रिक्त पड़े रहते हैं, इसलिए यह प्रकिया कब से आरंभ होती है ? क्या यह प्रक्रिया संबंध उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा विधि मंत्रालय आरम्भ करता है ? कितने मामलो में विधि मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों को अस्वीकार किया है।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे विश्वास है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन प्रस्तावों को देता है। यद्‌यपि संविधान में केवल परामर्श करने की व्यवस्था है फिर भी गत अनेक वर्षों से चली आ रही वर्तमान परिपाटी में कोई परिवर्तन नहीं है कि विधि-मंत्रालय को इस मामले में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव करने में पहले नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव करने में पहल करता है, उच्च न्यायालयों के मामले में संविधान में राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की व्यवस्था है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद विधि-मंत्रालय अथवा भारत सरकार सामने आती है, पहले हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश स्वीकार की जाती रही है, कुछ मामलों में कठिनाई आने पर और सरकार द्वारा सहमत न होने पर उन्होंने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श हेतु उन्हें फिर से भेजा है।

निःसन्देह, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है, रिक्त पदों को भरने में कुछ उच्च न्यायालयों में कुछ विलम्ब हुआ है, इसके अनेक कारण हैं। दुर्भाग्यवश बार के सदस्य इस ओर आकर्षित नहीं होते हैं। विभिन्न अधिकारियों के साथ परामर्श करने में कुछ समय लग जाता है और उन जिला न्यायाधीशों के न्यायिक रिकार्डों पर विचार करने में कुछ समय लग जाता है, जिनको नियुक्ति की जानी है, इससे विलम्ब होता है, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रयास यह रहेगा कि विलम्ब कम से कम हो।

श्री मोइनुल हक चौधरी : चूंकि नियुक्ति समय-समय पर तदर्थ रुप से की गई नीतियों के अनुसार की जाती है जो कि विधि-मंत्री अथवा गृह मंत्री अथवा उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश पर निर्भर रहता है, तो क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति अथवा पदोन्नति के बारे में अथवा उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करने के बारे में सरकार सांविधिक कानून बनाने पर विचार करेंगी ?

श्री एच० आर० गोखले : सांविधिक नियमों की आवश्यकता नहीं समझी गई है क्योंकि संविधान में मार्ग निर्देशक सिद्धान्त दिए गए हैं। मैं माननीय सदस्य से इस बात पर असहमत हूं कि यह

विधि मंत्री अथवा मुख्य न्यायाधीश के विचारों के अनुसार ऐसा किया जाता है जहां तक न्यायिक क्षेत्र का संबंध है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का देश में सबसे ऊंचा पद हैं और इस नाते उससे हमेशा परामर्श किया जाता है। वास्तव में वह विधि-मंत्री अथवा भारत सरकार के पास मामला जाने से पूर्व उस पर विचार करता है। वर्तमान परिपाटी का अनुसरण न केवल स्वतंत्रता के बाद से किया जा रहा है अपितु स्वतंत्रता से पूर्व भी इसका अनुसरण किया जाता रहा है, इसका कार्य संतोषजनक रहा है।

श्री पी० वेंकटसुब्बाया : मंत्री महोदय के उत्तर से यह ध्वनित होता है कि प्रतिभावान व्यक्ति न्यायपालिका की ओर आकर्षित नहीं होते। तो क्या यह सच है कि वहां बेहतर वेतन नहीं हैं और न्यायाधीशों को मौलिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कानून लाने का है कि बैंक पर बैठने वाले प्रतिभावान न्यायाधीशों को बेहतर वेतन दिये जाएं और उन्हें मकान आदि जैसी मौलिक सुविधाएं भी दी जाएं ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं, बार के प्रतिभावान न्यायाधीशों का इस ओर आकर्षित न होने का एक मुख्य कारण है कि संविधान के पारित होने के पश्चात, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का वेतन निर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों म कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मैं सदन को विश्वास में लेता हूं कि सरकार विभिन्न मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को सुधारने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है और मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही ऐसा कर सकेंगे,।

श्री पी० के० देव : क्या उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, जो विभिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति का सुझाव देता है, इस मामले में कहने का अधिकार है ? अनुभव बताता है कि मुख्य न्यायधीशों की नियुक्ति सन्दिग्ध तरीकों से की जाती है जो कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका के लिए सरकारी नीति के अनुसरण में है तथा जिसके विरुद्ध उच्चतमन्यायालय के और हरियाणा उच्चन्यायालय के अनेक न्यायाधीशों ने अपने त्यागपत्र दिये हैं .... (व्यवधान) क्या न्यायाधीशों की नियक्ति के लिए कोई स्वतंत्र व्यवस्था का बनाया जाना संभव नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है।

श्री पी० के० देव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, मेरा प्रश्न है कि क्या मुख्य न्यायधीशोंसे, जो प्रतिबद्ध होते हैं, परामर्शकरने की वर्तमान परिपाटी के स्थान पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई जा सकेगी, सारा देश इस बात को जानता है और इस परिपाटी को समाप्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नियमों में व्यवस्था है कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री पी० के० देव : सरकार इस पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार कर सकते हैं, यह आपका सुझाव हैं।

श्री जगन्नाथ राव : कुछ समय से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां आम बात हो गई है, क्या इसका कारण यह है कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है अथवा सरकार इस संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों का अनुसरण कर रही है जिसके बारे में विधि-मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं नहीं मानता कि तदर्थ न्यायाधीशों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया जाता है, दूसरा, संबंधित मुख्य न्यायाधीश को सिफारिश के बिना तदर्थ न्यायाधीश की कभी भी कोई नियुक्ति नही की गई है, आमतौर पर जमा हुए बकाया कामों के निपटान के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। विशेषकर चुनावों के बाद बड़ी संख्या में चुनाव याचिकाएं दायर की जाती हैं और विधान के अनुसार उन्हें एक वर्ष के अंदर निपटाना होता होता है, बकाया काम में निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है, ऐसे मामलों में, जो कम हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियों की जाती हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में गृह मंत्रालय की क्या भूमिका है ? क्या मंत्री महोदय इस सुझाव से सहमत होंगे कि सरकार को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की राज्यपाल और विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति बंद कर देनी चाहिए ताकि वे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रुप में सरकार की कृपा में, आकांक्षी न बने ?

श्री एच० आर० गोखले : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है, यह कार्य विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में न्याय विभाग का है। मैं नहीं जानता कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शायद ऐसा एक मामला हुआ है परन्तु साधारणतः हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लेने के इच्छुक नहीं हैं। जनता की मांग पर जांच आयोग के लिए ऐसे विभिन्न अवसर आते हैं जब न्यायिक अनभव रखने वाले न्यायाधीशों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है।

भटिंडा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*227. **श्री भान सिंह भौंरा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में भटिंडा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना संबंधी अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरु होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी. हां।

(ख) संयंत्र की प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया तथा 1500 मीटरी टन यूरिया की क्षमता होगी एवं इंधन सम्भरण सामग्री पर आधारित होगा वर्तमान संकेतों के आधारपर प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 138 करोड़ रुपये होगी। प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ प्रारम्भिक कदम पहले ही उठाये गयें हैं।

Shri B. S. Bhawra : You have not replied to part (c) of the question. It says "When the Construction work is likely to start?" This you have not replied to.

Shri Shah Nawaz Khan : This proposal is with the cabinet at present but we have started some preliminary action like acquiring of land and other preliminary works have been started.

Shri B. S. Bhawra : Is it a fact that Japan has given some loan for this purpose? What are the terms and conditions of that loan.

Shri Shah Nawaz Khan : This loan is for twenty five years and a part of it will be repaid in first seven years. It will carry four percent interest.

Shri B. S. Bhawra : I want to ask when the project will be completed and when the production will start there?

Shri Shah Nawaz Khan : The project will be completed in about three years and it is hoped that by the middle of 1978 this Plant will start production.

श्री रघुनन्दन लाल भाटियां : चूंकि यह परियोजना ईंधन तेल पर आधारित है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इंधन तेल को सप्लाई के लिए दीर्घावधि व्यवस्था को गई है ?

श्री शाह नवाज खां : जो हां, इस पर विचार करके व्यवस्था को गई है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जापान से समझौते के अन्तर्गत, जिसके अन्तर्गत यह संयन्त्र भटिंडा में स्थापित किया जा रहा है, एसे दो और संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, जिसमें से एक पानीपत में स्थापित किया जायेगा । पानीपत में संयन्त्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Shah Nawaz Khan : Sir, we are giving orders for equipments keeping in view both the Plants.

इंधन तेल को सुरक्षित रखने के लिये भारतीय तेल निगम तथा अन्य तेल कम्पनियों का अभियान

+

***229. श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री पी० के० देव :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम और कुछ विदेशी तेल कम्पनियों ने ईंधन तेल को सुरक्षित रखने के लिये एक संयुक्त अभियान चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त अभियान के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितना इंधन तेल सुरक्षित रखा जा सकेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बारुआ) : (क) भारतीय तेल निगम ने राष्ट्रीय उत्पादक परिषद के साथ मिलकर अपने भट्टी के तेल के ग्राहकों के लिए एक ईंधन बचत परियोजना सेवा का कार्यक्रम बनाया है । इस सेवा का लक्ष भट्टो के तेल के उपयोग में दक्षता लाने का है ताकि इसकी खपत में बचत को जा सके । वर्तमान में इस कार्य-क्रम में विदेशी कंपनियों भाग नहीं ले रही हैं ।

(ख) जो आशा को जाती है कि वर्तमान 10% दक्षता बचत जो 1-1-74 को लागू की गई थी, के अतिरिक्त भारतीय तेल निगम ने राष्ट्रीय उत्पादक परिषद के साथ मिलकर जो अभियान चलाने का प्रस्ताव किया है उसके परिणाम स्वरुप वर्तमान औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा भट्टो के तेल में 5% की और अधिक संभावित बचत को जा सकेगी ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले कुछ दिनों के दौरान पेट्रोल की खपत में कमी होने के कारण अशोधित तेल के आयात में भी कमी हुई है और यदि हां तो कितनी कमी हुई है और कितनी विदेशी मुद्रा को बचत हुई है ?

श्री देवकान्त बरुआ : मेरे विचार में यह प्रश्न ईंधन तेल के बारे में था, न कि पेट्रोल के बारे में ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : इस अभियान के परिणामस्वरूप ईंधन तेल के आयात में कितनी कमी हुई है और कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

श्री देवकान्त बरुआ : हम ईंधन तेल का काफी मात्रा में उपयोग करते हैं और इसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन है। इतनी सारी मात्रा का हम उत्पादन नहीं करते। यह उपलब्ध नहीं है और कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए हम देश में ईंधन तेल की खपत को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दस प्रतिशत की कटौती पहले ही लागू कर चुके हैं, जिससे उद्योगों की कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम यह भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या पाँच प्रतिशत की और कटौती हो सकती है। भट्टी तेल या ईंधन तेल की मात्रा के रूप में हमारे पास पहले ही 20 लाख टन की कमी है। इस समय की कीमतों के सही सही आकड़े मेरे पास नहीं हैं। इसमें निश्चित रूप से लगभग 90 डालर प्रति टन की वृद्धि हुई है।

श्री पी० के० देव : मन्त्री महोदय के इस आशय में वक्तव्य के बावजूद कि तेल की कीमत में वृद्धि हुई है, मेरी धारणा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार म तेल की औसत कीमत म कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है। परन्तु मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि वह सही हैं या म सही हूं। तेल के प्रमुख उत्पादक देशों अर्थात् अरब राष्ट्रों के साथ अपने मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखत हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन मित्र देशों के साथ के अपने सद्भाव का उपयोग करने का प्रयास कर रही है, जिससे जहां तक इस प्रकार के तेल आयात का सम्बन्ध है, उनसे कुछ रियायत प्राप्त की जा सके।

श्री देवकान्त बरुआ : अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी के बारे में कुछ चर्चा की गई है। परंतु तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशों के पिछले सम्मेलन में 10 प्रतिशत कीमतें बढ़ाने का निर्णय किया गया है। कीमतों में कमी करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैं इस बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं।

श्री पी० के० देव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अरब राष्ट्रों के साथ अपने मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए उन सम्बन्धों का अपने पक्ष में उपयोग करने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से यह बात नहीं कहनी चाहिए कि उनके साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं इसलिए हम उसका नाजायत फायदा उठायें।

श्री पी० के० देव : सही बात को तो सही बात कहना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी यह बात जिस ढंग से कही गई है, उस ढंग से नहीं कही जानी चाहिए। बहरहाल, मैं बीच में नहीं आता।

श्री देवकान्त बरुआ : उत्तर समझा हुआ है।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने ईंधन तेल की बचत होगी।

श्री देवकान्त बरुआ : अगर कमी लागू हुई, तो 5 प्रतिशत की कमी हो जायेगी। इससे लगभग 2,00,000 टन भट्टी तेल की प्रतिवर्ष बचत होगी। कीमत के बारे के मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री कृष्णा चन्द्र हाल्दर : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे देश में भट्टी तेल की कमी है और इस वजह से इस्पात संयंत्रों और अन्य संयंत्रों को क्षति

पहुंच रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भट्टी तेल के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी और भट्टी तेल के मामले में हमारा देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायगा ?

श्री देव कान्त बरुआ : जहां तक कुल ईंधन बिल का सम्बन्ध है, इसकी राशि लगभग 1200 करोड़ रुपये है। भट्टी तेल के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमें विदेशों से लगभग 20 लाख टन भट्टी तेल का आयात करना पड़ता है। इसे प्राप्त करना कठिन है। कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इसलिए, हम भट्टी तेल की खपत म कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। भट्टीतेल के आबंटन में ही कमी नहीं की जा रही, बल्कि अनेक उद्योगों से कोयले का उपयोग करने के लिए भी कहा जा रहा है। अनेक उद्योग जो अब तक भट्टीतेल का उपयोग करते थे, अब कोयले का उपयोग करेंगे। वस्तुत: अनेक उद्योग पहले कोयले का उपयोग करते थे और अब भट्टी तेल का उपयोग करने लगे। जहां कोयला उपलब्ध है, वहां भट्टी तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करके और भट्टी-तेल के उपयोग में किफायत करके, हमें आशा है कि ऊर्जा की कमी के कारण हमारे देश के उद्योग के चक्के चालू रहेंगे।

औषध उद्योग द्वारा लाइसेंसों तथा अन्य सुविधाओं के लिये प्राथमिकता मांगना

+

***230. श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग ने औषध उत्पादन के लिये प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस दिये जाने की मांग की थी ;

(ख) यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है :

(ग) क्या औषध उद्योग ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कम्पनियों के अतिक्रमण से सुरक्षा की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 1-11-1973 से औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (सेक्रेटेरियेट और इन्डस्ट्रियल एप्रुभ्लस) योजना के प्रचलन के बाद औषध निर्माण सहित औद्योगिक लाईसेंसीकरण आवेदन-पत्रों का निपटान बड़ी शीघ्रता से किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अधिक विदेशी पूंजी वाली कंपनियां तथा उनकी शाखाएं और सहायक कंपनियां एक बड़ी अवधि से औषध एवं भेषज क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तथापि इन कंपनियों द्वारा अधिकांश औषधों का उत्पादन अब नहीं किया जाता क्योंकि सरकार की नीति भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की है। इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के भाग को नियंत्रित करने के लिए तथा इस उद्योग के भारतीय क्षेत्र को सुगठित करन हेतु सरकार द्वारा निम्न-लिखित कदम उठाये गए हैं :-

(i) निर्माण कार्य-क्रमों के अनुमोदन में उदद्योग के भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जाती है;

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से बढ़ती हुई संख्या में प्रपुंज औषधों का निर्माण;

(iii) साधारण तथा विदेशी फर्मों को जब तक वे प्रपुंज औषधों के उत्पादन से अनुबंधित न हों सुत्रयोगों के उत्पादन हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किये जाते;

(iv) उनसे प्रपुंज औषधों का उत्पादन अधिक मूलभूत चरणों से करने को कहा जाता है तथा उनके सामने क्षमता विस्तार या गए कार्य-कलापों को हाथ में लेने की स्वीकृति देने से पहले अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन का एक उपयुक्त भाग असंम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को देने की शर्त रखी जाती है।

(v) क्षमता विस्तार या नये कार्य-कलापों को हाथ में लेने की स्वीकृति देने से पहले उन पर उपयुक्त निर्यात बंधन की शर्त लगाई जाती है।

(vi) जब उन्हें अपने निर्माण कार्य-कलापों को विस्तार करने हेतु स्वीकृति दी जाती है तब उन पर विदेशी साम्य पूंजी भागीदारी में प्रगामी कमी तथा भारतीय साम्य पूंजी में तदनुरुप वृद्धि करने की शर्त लगाई जाती है।

(vii) उन उपक्रमों जिनका वार्षिक उत्पादन 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है को औषध सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने से संबंधित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 9, 10 और 13 के कुछ अनुबंधों के कार्रवाई-क्षेत्र से बरीकर दिया गया है।

सरकार ने 8-2-74 को श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग के लिए एक समिति की नियुक्ति की है जिसका अन्य कार्य-कलापों के अतिरिक्त एक निम्नलिखित कार्य भी है :—

"(iii) औषध उद्योग विशेष रूप से भारतीय तथा लघु क्षेत्र उद्योगों के शीघ्रगामी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सिफारिशें करना। अपनी सिफारिशें देते समय, यह समिति उद्योग के क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता को ध्यान में रखगी।

Shri Shrikishan Modi : I would like to know from the Honourable Minister as to how much percent of drugs are produced by foreign companies and their subsidiaries, and how much money is repatriated by them abroad?

Shri Shah Nawaz Khan : The total turn over of drugs in our country is worth Rs. 350 Crores and about 45 percent of drugs are produced by foreign companies or the companies having foreign equity capital. I do not have figures at present about the amount repatriated by them per annum, for which I would require a notice.

Shri Shrikishan Modi : How many applications from Indian Companies have been received by the Government under the facility extended by the Government on 1st of Not vember, 1973 as mentioned in your statement and how many of them have been given approval ? Have you put any such condition on them while giving approval that if any sort of adulteration is found in the production directly or indirectly, the entire factory would be confiscated?

Shri Shah Nawaz Khan : The Licensing Procedure has been changed with effect from 1st of November, 1973. A Secretariat for Industrial Approvals has been set up under the Ministry of Industrial Development with effect from that date, which processes all the applications. This Secretariat functions under a time bound programme and every application for a licence has to be disposed of within 90 days. Thus the disposal of applications has become very rapid now. At present I do not have exact figures about the number of applications received, but disposal is very quick now.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अर्थ व्यवस्था के इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की घुसपैठ के विरुद्ध विशेष संरक्षण प्रदान किये जाने के लिए औषधि उद्योग ने अनुरोध किया है। उनका यह कहना है कि लाइसेंस देने और मूल कच्चे माल की सप्लाई करने के मामले में देशी कम्पनियों की अपेक्षा विदेशी कम्पनियों को प्राथमिकता दी जाती है। क्या यह सच नहीं है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा-

स्यूटिकल कम्पनी, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों को मूल कच्चा माल देती है और स्थानीय औषधि निर्माताओं को प्राथमिकता नहीं देती । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे उत्पादों के मामले में कितनी विदेशी औषधि निर्माता कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिनका उत्पादन पहले से ही भारतीय औषधि निर्माता कर रहे हैं ?

Sri Shah Nawaz Khan : First of all, I would like to make a submission that foreign companies have not invaded this field. The foreign companies which were already in the field are carrying on their business. It is policy of the Government that indigenous firms should be given all sorts of encouragement and where other things are equal, the Indian firms are given preference in the allotment of licence. The foreign firms are not given any new licence for their formulations unless they are making bulk production of drugs in the country. We, therefore, give priority to our indigenous firms in every way.

So far as allotment of raw material is concerned our indigenous firms registered with D.G.T.D. are allotted raw material equal to the maximum consumption during the last two years and fifteen percent more material is allotted for growth. Similarly small Scale Industries are allotted 30 percent additional raw material over and above the consumption of the best year during the last two years. The industries of West Bengal in the small scale sector are given 50 percent additional raw material for growth. We are making all efforts to give all sorts of encouragement to the indigenous firms.

The Honourable House is aware that a committee has been appointed under the chairmanship of Shri Jaisukh Lal Hathi in the last February, one of whose terms of reference is to suggest ways and means to give encouragement to the indigenous firms. So that they may come up. I hope that the recommendations of the Hathi Committee would be fully implemented.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उन्होंने मेरे एक प्रश्न के भाग का उत्तर नहीं दिया है । मैंने यह पूछा था कि क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० मूल कच्चा माल भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों को दे रही हैं और भारतीय फर्मों को कच्चा माल नहीं दिया जा रहा ।

श्री शाहनवाज खां : हम दोनों के बीच भेदभाव नहीं करते । जहाँ विदेशी फर्में इस कच्चे माल की एक मात्र उपभोक्ता है, हम उन्हें आबंटन कर देते हैं । जहाँ भारतीय फर्में भी उन समूह औषधियों का उपयोग कर सकती है और फार्मूलेशन आदि बना सकती हैं, हम उन्हें भी आबंटन करते है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि 50 लाख रुपए से कम मूल्य का वार्षिक उत्पादन करने वाले उपक्रमों को औषधि फार्मूलेशनों की कीमतो का संशोधन करने और उनकी कीमतों का निर्धारण करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने संबंधी वर्ष 1970 के औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश के अनुच्छेद 9, 10 और 13 के कुछ 13 के उपबन्धों के लागू होने से मुक्त रखा गया है । क्या यह सच नहीं है कि कुछ औषधि निर्माता, जो गलत उत्पादन दिखाते हैं, वर्ष 1970 के औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश के उपबन्धों से बच-निकलने का प्रयास करते है और अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते है ? उन्हें किस प्रकार से रोकने का आपका विचार है ? इन कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Shah Nawaz Khan : If any such complaint is received, proper action would be taken.

Prof. Madhu Dandwate : I had asked whether your attention has been drawn to such malpractices and if so, what steps are being taken? You are saying that if such a thing is brought to your notice, you would take action. Whether such a thing has so far been brought to your notice or not?

Shri Shah Nawaz Khan : No such thing has been brought to our notice so far.

Shri Nawal Kishore Sharma : Mr. Speaker, Sir, The Honourable Minister had been stating just now that every Indian Drug seller and Drug Producer is given preference n the purchase of drugs. I would like to know whether it is a fact that in the purchase of drugs D.G.T.D. gives preference to foreign drugs companies, if so, would he give an assurance to the House to ask the D.G.T.D. to purchse drugs manufactured by Indian Companies in India and not to purchase such drugs from foreign companies?

Shri Shah Nawaz Khan : D.G.T.D. is not under my Ministry. You should ask this question to that Ministry.

Shri Hukam Chand Kachhwai : Indian drug companies are not getting sufficient raw material for the last two years, and as a result, drugs are not properly available in the market, whereas foreign companies are receiving sufficient raw material and their drugs are highly priced than those of the Indian companies and they are earning more profits. I would like to know whether such complaints have been received by you and whether he would enquire as to why they are being given less raw material? Whether it is also a fact that only 750 or 800 capsules are found in a packing of 1000 capsules and tablets are also found in less number. I would like to know whether he has received such complaints?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) : The basis of the Honourable Member is wrong and his theory is also wrong.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रेलों पर बुक स्टालों के ठेके शिक्षित बेरोजगार युवकों को दिये जाना

***221. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**
श्री लालजी भाई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुक स्टालों के ठेके शिक्षित बेरोजगार युवकों को देने तथा एकाधिकारियो को न देने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के ठेके का नवीकरण करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि नये स्टेशनों पर तथा उन स्टेशनों पर जहां इस समय बुक स्टाल नहीं है, बुक स्टाल बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों/साझीदारों को दिये जाये।

(ख) उपर्युक्त नीति के व्यापक प्रचार के बावजूद भी बेरोजगार स्नातकों की ओर से बहुत ही कम आवेदन प्राप्त हुए। अत: ठेकों का नवीकरण करके, वर्तमान ठेकेदारो के माध्यम से ही जनता की सेवा को सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया।

मंगलोर-हसन रेलवे परियोजना का निर्माण

***222. श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलोर-हसन रेलवे परियोजना के निर्माण की धीमी प्रगति के क्या कारण है;

(ख) इस परियोजना का पहला चरण पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) परियोजना के दूसरे चरण में धीमी प्रगति नाजुक सामान के न मिलने, धन की कमी तथा ठेका संबंधी जटिलताओं के कारण है। इसके अतिरिक्त, इस कार्य के लिये दुर्भेद्य तराई में बहुत सी सुरंगे और पुल बनाने पड़ेंगे जिनके निर्माण में तकनिकी कठिनाइयां हैं।

(ख) परियोजना का प्रथम चरण पहले ही पूरा हो चुका है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में गुजरात के इंजीनियरों तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति

*223. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग में गुजरात के युवा इंजीनियरों तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्त के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है;

(ख) क्या स्थानीय व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) 268–470 रुपए के वेतनमान वाले तकनीकी सहायक श्रेणी ii के पदों को छोड़कर, रु० 500 रुपए प्रति मास से कम मूल न्यूनतम वेतन वाले आयोग के सारे पदो की भर्ती का विकेन्द्रीकरण कर दिया है और इन पदों की भर्ती अपने 2 क्षेत्रीय/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय आधार पर की जाती है। 209 रुपए तक के मूल वेतन वाले पदों की अधिसूचना केवल स्थानीय रोजगार कार्यालयों को दी जाती है और उस स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत प्रत्याशियों को रोजगार के मामले में वरीयता दी जाती है। 210–499 रुपए के बोच के मूल वेतन वाले पदों की अधिसूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाती है और केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को भी उसकी अधिसूचना दी जाती है। जब तक रोजगार कार्यालय में इन पदों के लिये प्रत्याशियों के न मिलने का प्रमाणपत्र नहीं मिल जाता है तब तक बाहर से इन पदों के लिये आवदन पत्र नहीं मांगे जाते हैं।

जगाधरी-पौंटा रेलवे लाइन के लिये किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष

*224. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित जगाधारी-पौंटा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या निकले हैं, और

(ग) कब तक इस लाइन को स्वीकृति दिये जाने तथा इसका काम शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबों को कानूनी सहायता

*228. **श्री डी० पी० जडेजा :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार ने गरीबों को सीमित विस्तार तक कानूनी सहायता देने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 में और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 के आदेश 33 में तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की, यथा संशोधित धारा 7(1)(ख) में पहले से ही उपबंध किया है। जहां तक गरीबों को कानूनी सहायता दिए जाने के लिये व्यापक स्कीम का संबंध है, उस समिति को, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश वी० आर० कृष्ण अय्यर थे, सभी राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय भारतीय विधिज्ञ परिषद्, राज्य विधिज्ञ परिषदों तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों को, उनके विचार जानने के लिये भेज दी गई है। उनकी टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं। जब तक उनकी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हो जातीं और उनका विश्लेषण नहीं हो जाता तब तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया जा सकता है ।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न हो नहीं उठता ।

(ग) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम के 'इन्डेन' गैस व्यापारियों के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या की अधिकतम सीमा

***231. श्री वी० मायावन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम से लाइसेंस देने की प्रक्रिया को बदलने तथा इंडेयन गैस के व्यापारियों द्वारा बुक किये जाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय तेल निगम की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नये परिवर्तन कब से लागू किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) भारतीय तेल निगम को कहा गया है कि वे अपने वर्तमान डीलरशिप के संबंध में साइज, लाभप्रदत्ता, डीलरों के पास एजेंसियों को संख्या आदि के बारे में समीक्षा करें, उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे इंडेन गैस के सम्बन्ध में नये डीलरशिप का इस प्रकार व्यवस्था करें जिससे वितरक औसतन 5,000 उपभोक्ताओं को सेवा कर सके ।

(ख) और (ग) निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

साबुन, टायर और सीमेंट बनाने वाली फर्मों द्वारा अर्जित लाभ

***232. श्री वयालार रवि :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में साबुन, टायर और सीमेंट बनाने वाली विभिन्न फर्मों ने वर्ष 1971, 1972 और 1973 में कुल कितना लाभ अर्जित किया ?

3—24 L.S.S.(ND)/74

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : 1970-71, 1971-72 एवं, 1972-73 के वर्षों के मध्य, निजी क्षेत्र में विभिन्न बहित्र टायर, सीमेंट और साबुन कम्पनियों द्वारा कमाये गये लाभ की कुल राशि निम्न प्रकार थी :—

	करों से पहले लाभ (करोड़ रुपए में)		
	1970-71	1971-72	1972-73
	रुपए	रुपए	रुपए
टायर बनाने वाली कम्पनियां (7) .	16.0	16.1	16.1
सीमेंट बनाने वाली कम्पनियां (18) .	16.28	15.73	10.41
साबुन बनाने वाली कम्पनियां (9) . .	16.79	21.81	20.19

तकनीकी विकास के महानिदेशालय के 1972 के वर्ष के वार्षिक प्रकाशनों के अनुसार साबुन बनाने वाली 24 कम्पनियां हैं। 15 साबुन बनाने वाली कम्पनियों के लाभ की बाबत नवीनतम सूचना सुलभ नहीं है। तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा सीमेंट के विषय में भेजी गई सूचना के अनुसार, सीमेंट बनाने वाली 22 कम्पनियां हैं। 4 कम्पनियों की बाबत नवीनतम सूचना सुलभ नहीं है।

उपरोक्त 22 सीमेंट कम्पनियों में से चार सीमेंट बनाने वाली ऐसी कम्पनियां हैं, जो अनेक रपत्व-प्रकृति की भी हैं, और अन्य वस्तुओं का निर्माण भी कर रही हैं साबुन कम्पनियों में से अधिकांश अनेक रपत्व-कम्पनियां हैं। चूंकि कम्पनियों के लिये, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद-अनुसार/एकक-अनुसार, अलग से लाभ-हानि लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, अतः ऊपर दिये गये लाभ आंकड़े इन कम्पनियों के सम्पूर्ण व्यापारिक कार्य-कलापों के लाभों के हैं

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में मजूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन

***233. श्री सरजू पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क मशीनरी के प्राधिकारियों ने पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के रेलवे श्रमिकों के मामले में मजूरी भूगतान अधिनियम का उल्लंघन, और भूगतान में असाधारणविलम्ब होने के बड़ी संख्या में मामलों को उठाया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने दावेदार हैं और जयपुर डिवीजन के श्रमिकों द्वारा 1971 1972 और 1973 के वर्षों के लिये कितनी राशि का दावा किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क मशीनरी द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिये बहुत से पत्र भेजे गये थे; और

(घ) इन मामलों को अन्तिम रूप से कब तक निपटा दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) से (घ) दावेदारों की संख्या तथा उनके द्वारा मांगी गयी रकम के आंकड़े नहीं रखे जाते। लेकीन केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र ने पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में मजूरी भुगतान

अधिनियम को उल्लंघन तथा भुगतान में देर के कुछ मामलों की रिपोर्ट की थी। पिछले तीन वर्षों के वर्षवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	मजुरी भुगतान अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की कुल संख्या	भुगतान में देर के मामले
1971	1224	277
1972	187	2
1973	959	50

उपर्युक्त मामलों के निपटारे के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र द्वारा दी गयी सूचनाओं की जांच की गयी जिसके फलस्वरूप वर्ष 1971 से 1973 के दौरान प्रस्तुत अनियमितताओं की कुल 2370 शिकायतों में से केवल 38 मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया था।

शेष मामलों के यथाशीघ्र निपटारे के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

Production of Phenol and Pathalic Anhydride at Durgapur Chemical Plant

***234. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the extent to which production in 1971 fell in the Phenol and Pathalic Anhydride at the Durgapur Chemical Plant and the reasons therefor; and

(b) whether this unit had been given a licence in 1961 for the production of 6600 tonne and if so, the reasons for not achieving the target?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) : (a) The production of Synthetic Phenol and Pathalic Anhydride at Durgapur Chemicals Limited (a West Bengal State Govt. Undertaking) during 1969, 1970 and 1971 was as under :—

	1969	1970	1971
Synthetic Phenol	433	716	503
Pathalic Anhydride	1615	1288	790

The above production was against the installed capacity of 3300 tonnes/annum each for these items.

The main reasons for the poor performance of the Durgapur Chemicals Plant were shut downs due to power failures, labour troubles, "Durgapur Bundhs", poor maintenance and heavy corrosion necessitating complete overhaul spread over a period of 10-12 months. The additional reason for the low production of Phenol was difficulty in the procurement

of benzene from Durgapur Steel Plant. In the case of pathalic anhydride, apart from the general reasons the specific reasons were the technological and operational problems, difficulties in the supplies of naphthalene and restricted market due to large stocks of material imported by exporters under the permissible chemical category.

(b) M/s. Durgapur Chemicals have not been able to establish the capacity of 6600 tonnes/annum for synthetic phenol licensed in their favour in 1961 because of technological deficiencies and operational problems.

Cases under P.W.A. detected by Chief Labour Commissioner

***235. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Administration has been found guilty under Payment of Wages Act in 2100 cases out of 18,000 cases detected by the Chief Labour Commissioner by the end of 1973; and

(b) the salient features in this regard, the reasons therefor and the preventive action taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) During the year 1973, 21,766 irregularities were detected by the Chief Labour Commissioner's Organisation under Payment of Wages Act, 1936, out of which 14,300 were rectified by 31-12-1973. These irregularities relate to non-display of copies of Acts and Rules and notices, arrears in maintenance of registers, delay in payment, unauthorised deductions, etc. Adequate machinery already exists at different levels to ensure compliance with the requirements of the Act.

दिल्ली में कुछ पेट्रोल व्यापारियों द्वारा जल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री किये जाने संबंधी शिकायतें

***236. श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1974 के प्रथम सप्ताह में जल मिश्रित पेट्रोल बेचने के लिये दिल्ली के कुछ पेट्रोल व्यापारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) ऐसा एक मामला 4-7-1974 को रिपोर्ट किया गया था ।

(ख) तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा शिकायत की जांच की गई थी और पता चला था कि पैट्रोल पाइपलाइन, जो थोड़ी ढीली पाई गई थी, के द्वारा टैंक में सहसा वर्षा का पानी चला गया था । कोई संज्ञेय अपराध किया गया नहीं पाया गया था । पुलिस, टैंकों में से लिए गए पैट्रोल के नमूनों के परिणामों की और प्रतीक्षा कर रही है । यदि पानी के अलावा किसी अन्य वस्तु का मिश्रण पाया गया तो डीलर के विरुद्ध और कार्यवाही की जाएगी ।

Expenditure Incurred on Emergency during Rail Strike

***237. Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that huge expenditure was incurred in the name of emergency during the Rail strike;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) whether any audit is done of the amount so spent?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) To meet the situation arising out of the illegal strike in May, 1974, Railways had to incur some emergency expenditure towards safety and security of travelling public as well as to maintain free movement of goods/passengers trains and for protection of vital Railway installations etc.

All expenditure incurred by the Railways is to be audited.

गुजरात में निर्वाचन

***238. श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस वर्ष गुजरात में निर्वाचन कराना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) ये निर्वाचन कब तक कराये जा सकेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) 1971 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों का नया परिसीमन और तत्पश्चात नए परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना और उनका पुनरीक्षण—ये दो ऐसी बुनियादी अपेक्षाएं है जिनको, नई विधान सभा गठित कराने के लिए गुजरात में साधारण निर्वाचन कराए जाने के पूर्व, पूरा किया जाना आवश्यक है । गुजरात में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू किया जा चुका है और अभी चल रहा है । इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद निर्वाचक-नामावलियों का पुन निरीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात् निर्वाचन कराए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

औषध बनाने वाले कारखानों को राज्य व्यापार निगम और आई० डी० पी० एल० द्वारा कच्ची सामग्री की सप्लाई

***239. श्री डी० डी देसाई**
श्री अनादि चरण दास :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध बनाने वाले कारखानों को राज्य व्यापार निगम तथा आई० डी० पी० एल० द्वारा पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की सप्लाई नहीं की जाती ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) औषध बनाने वाले कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम तथा आई०डी०पी०एल० प्रपुंज औषधों तथा मध्यवर्ती पदार्थ जो आयात के लिए सारणीबद्ध किए गए हैं देश के औषध तथा भेषज एकको को उनकी हकदारी के अनुसार वितरित करता है । जब कभी या तो अपर्याप्त

देशी उत्पाद या विलम्ब से प्राप्त या जहाजों का देर से आने सहित अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में अपर्याप्त उपलब्धि के कारण इन मदों की प्राप्ति में कमी उत्पन्न होती है तो सारणीबद्ध ऐजन्सियां अनुपात के आधार पर उपलब्ध स्टाक वितरित करती है ।

(ग) औषध तथा भेषज उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कमी वाले मदों को प्राप्त किया जा रहा है तथा देशीय उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयत्न किए जा रहे है ।

Proposal to add more Bogies to Important Trains

***240. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of additional bogies added to important trains separately during 1973 in view of daily increase in the number of second class passengers; and

(b) whether it is proposed to add more second class bogies to important trains during 1974-75?

The Deputy Minister in the Minist y of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) A statement is laid on the table of the Sabha.

STATEMENT

No. of bogies added to important Mail/Express trains during 1973-74

(a)

S. No.	Train number and description	Augmentation by number of bogies
	Broad Gauge	
1	7 Up/8 Dn. Toofan Express	1
2	303 Bombay-Kolhapur Mahalaxmi Express/310 Pune-Bombay Janta Express.	4
3	31/32 Bombay-Secunderabad Express	4
4	1/2 Howrah-Kalka Mail	1
5	33/34 Kashmir Mail	2
6	83/84 Lucknow Express	1
7	51/52 Sealdah-Jammu Tawi Express	3
8	29/30 Lucknow Mail	1
9	307/308 Black Diamond Express	2
10	301/302 Howrah-Tatanagar Express	1
11	25/26 Paschim Express	1
12	43 Up/44 Dn. Darjeeling Mail	1
13	7/8 Madras-Bangalore Mail	2
14	23/24 Madras-Bangalore Express	1
15	26/25 Island Express	2
16	29/30 Malabar Express	1
17	41/42 Kerala Express	1
18	51/52 Madras-Kazipet Link Express	1

S. No.	Train number and description	Augmentation by Number of bogies
	Metre Gauge	
1	97/98 Barmer Express	1
2	95/96 Marwar Mail	1
3	5/6 Triveni Express	1
4	17/18 Vaishali Express	2
5	3/4 Ahmedabad-Delhi Express	3
6	3/4 Assam Mail	2
7	5/6 Kamrup Express	1
8	1 Up/2 Dn. A. T. Mail	1
9	105/106 Madras-Trivandrum Mail	2
10	177/178 Rock Fort Express	2
11	153/154 Cholan Express	2
12	85/86 Secunderabad-Bangalore Express	1
13	31/32 Jayanti Janta Express	1
14	15/16 Lucknow Express	4

(b) Yes, Sir.

Proposal to transfer Patna Ghat land to Birlas

1627. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to sell to Birlas the land of present "Patna Ghat" in Marufganj under Patna city after wounding up that Centre; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) No.

(b) Does not arise.

पैट्रोल उत्पादों की खपत को सीमित करने की योजना

1628. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "हाई स्पीड" और "लो स्पीड" दोनो प्रकार के पैट्रोल और डीजल तेल के उपभोग को सीमित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसे लागू कर दिया गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां, नवम्बर, 1973 में मूल्य में वृद्धि के कारण मोटर स्प्रिट अर्थात पेट्रोल में खपत पहले ही कम हो गई है। सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श से दोनों हाई स्पीड और लाइट डीजल तेल की खपत को कम करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्व आदि अवसरों पर डीजल तेल से बिजली पैदा करने पर रोक

1629. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्व आदि अवसरों पर बिजली पैदा करने के लिए हाई स्पीड डीजल तेल तथा लाइट डीजल तेलों के प्रयोग पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) ऐसा इन उत्पादनों की अनावश्यक खपत को कम करने के लिए किया गया जो देश में आवश्यक औद्योगिक तथा कृषि कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत निवेश बनाता है।

साबुन के उत्पादक

1631. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साबुन के मुख्य उत्पादक कौन कौन है ;

(ख) प्रत्येक उत्पादक की 1965 तथा 1973 में अनुज्ञप्त और स्थापित क्षमता क्या थी ;

(ग) क्या कुछ उत्पादको पर स्थापित क्षमता के अनधिकृत विस्तार का आरोप लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं०	प्रमुख साबुन निर्माताओं के नाम	लाइसेंसीकृत/पंजीकृत (मी० टन प्रति वर्ष) 1965	लाइसेंसीकृत/पंजीकृत (मी० टन प्रति वर्ष) 1973	फर्म द्वारा बताई गई स्थापित क्षमता (मी० टन प्रति वर्ष) 1973	साबुन का उत्पादन (मात्रा मी० टन में) 1973
1	हिंदुस्थान लीवर लि०—				
	(क) कलकत्ता कारखाना	33,000	33,000	60,000	32,916
	(ख) बम्बई कारखाना	58,000	58,000	1,20,000	66,553
2	टाटा आइल मिल्स लि०—				
	(क) बम्बई .	14,400	14,400	21,200	19,710
	(ख) टाटापुरम फैक्ट्री	14,460	15,006	29,480	26,175
	(ग) मद्रास फैक्ट्री	1,728	1,728	7,350	4,824
	(घ) गाजियाबाद फैक्ट्री	7,500	8,540	14,500	11,998
	(ङ) कालिकट फैक्ट्री	3,000	3,000	6,405	3,806
	(च) कलकत्ता फैक्ट्री .	9,600	9,600	12,180	5,528
3	मैसर्स स्कास्टिक आयल मिल्स, बम्बई . . .	10,920	10,920	..	8,970
4	मैसर्स बुशन प्रोडक्टस प्राइवेट लि०	6,500	6,500	10,000	6,808
5	मैसर्स गवर्नमेन्ट सोप फैक्टरी, बंगलोर . .	6,000	6,000	6,000	5,203
6	मैसर्स एशियाटिक सोप कं० कलकत्ता . .	4,800	4,800	11,700	3,016
7	मैसर्स बाम्बे सोप फैक्टरी, बम्बई	4,500	4,500	8,004	8,336
8	मैसर्स गोद्रेज . .	4,032	4,032		5,317
9	मैसर्स कलकत्ता कैमिकल्स कं० लि०, कलकत्ता . .	1,500	1,500	5,004	1,758
10	मैसर्स बरार आयल इण्डस्ट्रीज, अकोला . .	1,800	1,800	5,000	3,069
11	मैसर्स तुंगभद्रा इण्डस्ट्रीज, कुरनुल	1,152	1,152	..	2,220
12	मैसर्स गोदी सोप वर्क्स, गोदी नगर	1,500	1,500	4,800	2,364
13	मैसर्स वेजीटेबल्स प्रोडक्टस लि०, कलकत्ता . .	720	720	2,880	1,587
14	मैसर्स बी० एस० पाटन वाला, बम्बई . . .	1,200	1,200	6,696	2,284

नई हड़ताल के लिए भड़काने वाले कार्मिक संघों के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

1632. श्री शंकर राव सावन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक संघो के उन नेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जो रेलवे कर्मचारियों को पुन: हड़ताल करने के लिए भड़का रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारत रक्षा नियमों की धारा 118 के अधीन भारतीय रेलो पर हड़ताल करना निषिद्ध है और रेल कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी व्यवस्थाएं स्वभावत: लागू होती हैं । अत: प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है और की जायेगी ।

खम्भात और सौराष्ट्र में तट से दूर तेल की खोज

1633. श्री एस० आर० दामाणी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात और सौराष्ट्र के तट दूर के क्षेत्रों मे तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये तैयारियां की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रुप रेखा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रो में रेल का पता लगाने के लिए की गई प्रारम्भिक जांच पड़ताल की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कैम्बे की खाड़ी के दक्षिण भाग के कुछ क्षेत्र में विस्तृत भूकम्पीय यान चित्रण तथा सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्व अपतट क्षेत्र में प्रारम्भिक भूकम्पीय रेखांकन कार्य पूर्ण हो गया है । कैम्बे अपतट क्षेत्र में तीन संरचनाओं, अर्थात पश्चिमी अलियाबेट, पूर्वी अलियाबेट तथा ताप्ती, की रूप रेखा तैयार की गई है । पश्चिम अलियाबेट में खोदे गए प्रथम अपतटीय कुए में गैर वाणिज्यिक तेल के संकेत प्राप्त हुए है ।

सौराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्र में किए गए प्रारम्भिक भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप खोदे जाने योग्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षणों को करने की आवश्यकता का पता चला । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन सर्वेक्षणों को करने का प्रस्ताव है जिसमें वे अपना भूकम्पीय जहाज, जिसके आगामी वर्ष में आ जाने की आशा है, का प्रयोग करेंगे ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों मे अशोधित तेल के उत्पादन में कमी

1634. श्री एस० आर० दामाणी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में अशोधित तेल के उत्पादन में कमी हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस बारे में क्या अनुमान लगाया गया है इन कूपों को वाणिज्यिक उपयोग के उपयुक्त बनाने कितने वर्ष लगेंगे ; और

(ग) क्या उत्पादन में कमी किए बिना इन कूपो की लाभदायकता को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्रत्येक तेल क्षेत्र का एक प्रारम्भिक काल होता है जिसमें उत्पादन बढ़ता है दूसरा, काल चोटी के उत्पादन का होता है तथा तीसरा काल उत्पादन के घटने का होता है। काफी समय के लिए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र की अवधि चोटीके उत्पादन की रही है तथा हाल ही में वहां का उत्पादन घटने लगा है ।

(ख) इस तेल क्षेत्र के लिए जो प्रौद्योगिकी विकास योजना बनाई गई है उसमें विभिन्न रेतों के लिए वाणिज्यिक उपभोग हेतु कुछ वर्षों की अवधि निश्चित की गई है। इसके अनुसार रेत के उस क्षेत्र जिसकी सीमा सबसे छोटी है, के उपयोग के लिए 5 वर्ष रखे गए है तथा उस रेत जो अपनी क्षेत्रीय सीमा में सबसे अधिक विकसित है, के लिए 22 वर्ष की अवधि रखी गई है ।

(ग) इन अध्ययनों को नियोजित किया जा रहा है तथा ह्रास को कम से कम करने के लिए इनके निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जाएगा ।

तेल की खुदाई करने वाला "सागर सम्राट" जहाज का उपयोग

1635. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सागर सम्राट" बम्बई के खुले समुद्र में पहले कुएं सम्बन्धी खुदायी कार्य पूरा करने के बाद कब से निष्क्रिय पड़ा है ; और

(ख) तब से उस रखरखाव और तेल के खोज कार्य में तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सहायता देने वाले विदेशी तकनीशियनों के दैनिक खर्चे के रूप में कितना व्यय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल उत्पादक देशों तथा उपभोक्ताओं के बीच बातचीत में भारत द्वारा भाग लेना

1636. **श्री डी० पी० जदेला :**
श्री बेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सउदी अरब ने तेल उत्पादन देशों तथा उपभोक्ताओं के बीच बातचीत का जो प्रस्ताव रखा है उसमें उसने भारत को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इसमें भाग लेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Release of arrested Employees in Southern Railway

1637. **Shri Hukam Chand Kachwai ;** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees in Southern Railway out of those arrested during the Railway strike which began on the 8th May, 1974 who have since been released; and

(b) the number being prosecuted at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a)	(i) No. arrested during strike	2138
	(ii) No. released so far	2131
	(b) No. still under arrest	7

Trains cancelled on Western Railway during May, 1974

1638. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had cancelled some trains in Western Railway during May, 1974;

(b) if so, the number of trains cancelled and the reasons therefor; and

(c) the estimated loss suffered by Government thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) During May, 1974, on an average about 114 pairs of passenger carrying trains were cancelled daily because of the strike.

(c) The estimated loss on this account is about Rs. 1·8 crores.

Employees Dismissed, Suspended and Reinstated in Southern Railway

1639. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees in Southern Railway out of those dismissed and suspended from service during the railway strike which began on the 8th May ; and

(b) the number since reinstated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qareshi):

(a)	(i) No. of employees on Southern Railway	1,33,558
	(ii) No. of dimissals/removals from service or termination	530
	(iii) Suspended	248
(b)	(i) No. out of (a)(ii) since reinstated	5
	(ii) No. out of (a)(iii) since reinstated	223

Incidents of Sabotage on S. E. Railway during Strike

1640. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of incidents of sabotage that took place in the South Eastern Railway during the Railway strike launched from 8th May ; and

(b) the total value of Railway property damaged as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 19 cases.

(b) Rupees one Lakh approximately.

Railway Employees' cases heard by Chief Labour Commissioner

1641. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of Railway Administration and Railway Employees heard by the Chief Labour Commissioner till the end of 1973 ;

(b) the number of cases in which the Railway administration was found guilty ; and

(c) the name of the officers who were found actually guilty in such cases and the action taken against each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Restoration of Gohana-Panipat Railway line

1642. Shri Birender Singh Rao :
Shri Mukhtiar Singh Malik :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress so for made in the restoration of Gohana-Panipat Railway Line;

(b) Whether the work on this line has been started ; and

(c) the time by which this project will be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The progress achieved upto end of June, 1974 is 1.4%.

(b) yes.

(c) The project is expected to be completed by April, 1977.

वर्ष 1973–74 के दौरान हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण प्रत्येक रेलवे द्वारा उठायी गयी हानि

1643. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण प्रत्येक रेलवे को कितनी कितनी हानि हुई; और

(ख) भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1. रेलों की सुरक्षा शाखा राज्य पुलिस की कार्यकारी और आसूचना शाखाओं के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती है और वे रेलों के परिचालन पर प्रभाव डालने वाले मामलों तथा महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के बचाव के सम्बन्ध में सूचनों का आदान प्रदान करते हैं।

2. जब किसी गड़बड़ी की आशंका होती है, तब भेद्य स्थलों की रखवाली और भेद्य खण्डों में रेलपथ की गश्त का काम यथास्थिति राज्य पुलिस अथवा रेलवे सुरक्षा दल द्वारा, किया जाता है।

3. ऐसे क्षेत्रों में जहां गड़बड़ी होने की सम्भावना हो, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के अलावा भेद्य खण्डों पर सरकारी पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गाड़ियों की रक्षा के लिए मार्गरक्षी तैनात करने की व्यवस्था की जाती है।

4. जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस रेलवे स्टेशनों और शैक्षिक संस्थाओं के निकट के रेलपथ के बचाव का प्रबन्ध करती है।

5. रेल सम्पत्ति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों पर आक्रमक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

6. रेल सम्पत्ति को क्षति/विनाश से बचाने के लिए शिक्षाप्रद उपाय के रूप में रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां/विशेष लेख/पुस्तिकाएं जारी की जा रही हैं। अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा रेडियो वार्ताएं भी प्रसारित की जाती हैं। राष्ट्रीय रेल उपभोगकर्ता परामर्श परिषद का सहयोग प्राप्त करने के लिए परिषद की बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा की जाती है।

विवरण

विवरण, जिसमें यह दिखाया गया है कि हिंसात्मक आन्दोलन के कारण प्रत्येक रेलवे द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की कितनी-कितनी हानि उठायी गयी है

क्रम संख्या	रेल्वे का नाम	राशि (रुपयों में)
1.	मध्य	70,85,100
2.	पूर्व	45,10,062
3.	उत्तर	1,22,626
4.	पूर्वोत्तर	2,33,727
5.	पूर्वोत्तर सीमा	1,66,340
6.	दक्षिण मध्य	8,97,26,000
7.	दक्षिण पूर्व	8,59,200
8.	दक्षिण	2,14,050
9.	पश्चिम	62,12,000

इस समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन मामले

1644. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री समर गुह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उच्चतम न्यायलय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुल कितने मामले निर्णयाधीन हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): 30 जून, 1974 तक की जानकारी केवल कुछ ही उच्च न्यायालयों की बाबत उपलब्ध है। अन्य उच्च न्यायालयों की बाबत दिसम्बर, 1973 तक की ही जानकारी उपलब्ध है। उक्त जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

न्यायालय का नाम	जून, 1974 के अन्त तक लम्बित मामले	दिसम्बर, 1973 के अन्त तक लम्बित मामले
उच्चतम न्यायालय	12,895	..
उच्च न्यायालय		
1. इलाहाबाद . .	..	89,573
2. आन्ध्र प्रदेश . .	22,332	..
3. मुंबई	..	45,145
4. कलकत्ता	..	66,588
5. दिल्ली	..	19,730
6. गोहाटी	..	5,263
7. गुजरात	12,860	..
8. हिमाचल प्रदेश		1,883
9. जम्मू कश्मीर	..	2,308
10. कर्नाटक . .	11,601	
11. केरल .	31,660	
12. मध्य प्रदेश .	31,569	..
13. मद्रास .	..	34,345
14. उड़ीसा . .	5,865	..
15. पटना .	26,006	..
16. पंजाब और हरियाणा .		25,320
17. राजस्थान	..	15,531

मथुरा तेल शोधक कारखाने के भारतीयकरण के प्रश्न पर मतभेद

1645. श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री वी० मायावन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 97 करोड़ रुपये की लागत के प्रस्तावित मथुरा तेल शोधक कारखाने को भारतीय साधनों से बनाने पर मंत्रालयों के बीच विवाद है; और

(ख) इस मतभेद की बातें क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Demand from Madhya Pradesh Government for setting up a Fertilizer Plant at Singrauli

1646. **Shri Shri Krishna Agrawal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) Wether the Madhya Pradesh Government have urged the Central Government for setting up a fertilizer factory at Singrauli in that State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Singrauli is one of the areas suggested by the Government of M. P. as suitable for setting up additional coal-based fertilizer plants.

(b) Government have asked Fertilizer Corporation of India to examine the Suitability of Singrauli from the techno-economic angle for setting up a fertilizer plant.

केरल के पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनें बनाने के निर्धारित लक्ष्य

1647. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में, विशेष कर उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइन के निर्माण के निर्धारित लक्ष्यों कों अंतिम रुप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे लाइनो के निर्माण के लक्ष्य राज्यवार निर्धारीत नहीं किये जाते बल्कि प्राकृतिक साधनो के अधिकतम उपयोग, खनिज पदार्थो के दोहन तथा रलों की परिचालन सम्बधी आवश्यकताओं कों ध्यान में रखते हुए समग्र राष्ट्रीय हित में निर्धारित किये जाते है । तथापी आशिक रुप से या सम्पूर्ण रुप से केरल राज्य में पड़ने वाले निम्नलिखित सर्वेक्षणों/परियोजनाओं का काम जारी है या उन पर विचार किया जा रहा है:

(i) गुरुवय्यूर के रास्ते कुट्टीपूरम से त्रिचूर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की हाल ही में मंजूरी दी गई है । इस काम पर 86,421 रुपये खर्च आयेगा । इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्टों के मिलने और उनकी जांच हो जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

(ii) एरणाकुलम से तिरुवनंतपुरम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम जारी है और 1976 तक इसके पुरा हो जाने की आशा है ।

(iii) तिरुवनंतपुरम से तिरुनेलवेली तक नागरकोइल के रास्ते बड़े आमान की रेलवे लाइन तथा कन्याकुमारी तक शाखा लाइन बनाये जाने को मंजूरी दी गई है जिस पर 14.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी । यह काम चालू है ।

(iv) एलेप्पी के रास्ते एरणाकुलम से कन्याकुमारी तक एक बड़ी लाइन के लिए हाल में यातायात सर्वेक्षण किया गया था । इसकी रिपोर्ट के अनुसार यह लाइन सर्वथा अलाभप्रद होगी । तथापि इसे पिछड़े क्षेत्रो के विकास के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना मे बनायी जाने वाली प्रस्तावित नयी लाइनों की सूची में शामिल कर लिया गया है । लेकिन इसका निर्माण योजना आयोग द्वारा इस काम के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किये जाने पर निर्भर करेगा ।

कोयले के अभाव में गत छः महीनों में कैन्सिल की गयी गाड़ियां

1648. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के अभाव के कारण गत 6 महीनों में कुल कितनी, कौन-कौन सी गाड़ियां, किस किस तारीख को कैन्सिल की गयी ;

(ख) उनमें से कितनी गाड़ियों को पुन: चाल करने का प्रस्ताव है और वे कब तक चालू की जायेंगी ; और

(ग) यदि उन्हें पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी।

केरल राज्य में नयी रेलवे लाइनें

1649. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नयी रेलवे लाइनों के काम को, जिनका सर्वेक्षण वर्ष 1972–73 में किया गया था, वर्ष 1973–74 के अन्त तक शुरू नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1972–73 में केरल राज्य में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। एरणाकुलम से अलेप्पी होकर कायकुलम तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिए 1970 में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिसके परिणाम 1971 में मालूम हुए थे। सर्वेक्षण रिपोर्ट से मालुम हुआ है कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होगी। फिरभी यह प्रस्तावित रेल सम्पर्क पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली प्रस्तावित लाइनों में शामिल कर ली गयी है और इसका निर्माण योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए आबंटित होने वाली अतिरिक्त राशि मिलने पर निर्भर करता है।

एरणाकुलम से तिरुअनन्तपुरम तक मीटर लाइन को बड़ीं लाइन में बदलने और नागरकोइल के रास्ते तिरुअनन्तपुरम से तिरुनेलवेली तक नयी बड़ी लाइन बिछाने का काम पहले से ही जारी है जिसकी एक शाखा लाइन कन्याकुमारी तक बनायी जाएगी जिसका कुछ भाग केरल राज्य में पड़ता है। हाल ही में त्रिचुर के रास्ते कुट्टिपुरम से गुरुवायुर तक एक रेल सम्पर्क के सर्वेक्षण के लिए मंजूरी दी गई है।

अप्रैल के बाद केरल में भेजे गये खाद्यान्नों की मात्रा

1650. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे चालू वर्ष के अप्रैल से लेकर अब तक केरल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा को लाने ले जाने में असफल रही है ;

(ख) उसका अनुमानित लक्ष्य क्या था तथा वस्तुत: कितना खाद्यान्न ले जाया गया;

(ग) वे कारण क्या थे जो खाद्यान्नों को लाने ले जाने में बाधक बने और इस सम्बन्ध में किन-किन कठिनाइयों को महसूस किया गया ; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी या किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य के अन्तर्गत संचलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, किन्तु जब कभी मांग की जाती है, उन्हें पूर्णतया पूरा किया जाता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डिजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के लिये प्रोत्साहन बोनस योजना

1651. श्री बेकारिया :
श्री अरबिन्द एम० पटेल :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में जून, 1969 में लागू की गयी प्रोत्साहन बोनस योजना से कारखाने में उत्पादन बढ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लागू किए जाने से पूर्व के उत्पादन की तुलना में अब कितना उत्पादन आ है ; और

(ग) क्या इस योजना से श्रमिक बल में भी काफी कमी हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) डीजल इंजन कारखाने में प्रोत्साहन प्रणाली जून, 1969 में शुरू की गयी थी । उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई में कटौती और श्रमिक उपद्रवों के बावजुद प्रोत्साहन योजना शुरू करने के बाद काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है । यह बात अनुबन्ध 'क' में दिए गए आंकड़ों द्वारा सिद्ध हो जाती है ।

(ग) कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है क्योंकि प्रोत्साहन योजना शुरू करने के फलस्वरूप फालतू होने वाले कर्मचारियों को लक्ष्य के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के काम में लगा दिया गया । सामान्यतः इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक होती ।

विवरण **अनुबंध 'क'**

प्रत्यक्ष जनघंटे/इंजन

(आंकड़े हजार में)

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1968–69	35.0	30.6
1969–70 . . .	33.0	32.0
1970–71	33.0	20.0
1971–72 . .	26.5	18.4
*अन्तिम दस्ता	20.53	17.29

*बड़ी लाइन —इंजन सं० 512 से 521

मीटर लाइन — इजन सं० 121 से 131

महोबा से खजुराहो तक के लिये ब्राड गेज लाइन

1652. **श्री नरेंद्र सिंह** : क्या रेल मंत्री मध्य प्रदेश में रेलवे के विस्तार कार्यक्रम के बारे में 7 मई 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9296 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महोबा से खजुराहो तक के लिए नई ब्राड गेज रेलवे लाइन के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) रेलवे से कहा गया है कि महोबा से खजुराहो तक एक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने के अनुमानीत खर्च का ब्योरा भेजे। सर्वेक्षण पूरा हो जाने, उसकी जांच होने और परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा ।

सतना ब्योहरी बरास्ता रीवा रेलवे लाइन का निर्माण

1653. **श्री नरेंद्र सिंह** : क्या रेल मंत्री मध्य प्रदेश में रेलवे के कार्यक्रम के बारे में 7 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9296 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना-ब्योहरी बरास्ता रीवा (बड़ी) लाइन के निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार पूरा किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर कब तक विचार कर लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रस्तावित लाइन 127.0 कि० मी० लम्बी होगी जिसका सम्भावित खर्च 19.10 करोड़ रुपये है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि यह परियोजना लाभकारी नहीं रहेगी, तथापि प्रस्तावित लाइन के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय रिपोर्ट की जांच पूरी होने पर ही लिया जायगा ।

(ग) रिपोर्ट की जांच आगामी दो महीनों में पूरी हो जाने की सम्भावना है ।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर उद्योग मंडल के कोचीन डिवीजन में हड़ताल

1654. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर, उद्योग मण्डल (कोचीन डिवीजन) में चल रही हड़ताल का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कर्मकारों के मांग के सम्बन्ध में फैक्ट प्रबन्ध मण्डल तथा कर्मकारों की युनियनों के बीच बातचीत हुई थी तथा एक समझोता हो गया था . . . हड़ताल 16 जुलाई, 1974 को समाप्त की गई ।

सरकारी क्षेत्र के प्रबंधकीय कर्मचारियों के वेतन तथा परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन

1655. **श्री नरेंद्र कुमार सांघी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकीय कर्मचारियों के वेतन तथा परिलब्धियों में वृद्धि करने हेतु कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा कदम उठाया जा रहा है ; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन के द्वारा किस प्रकार का लाभ देने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्री मान जी।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होता ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में उत्पादन में कमी

1656. **श्री नरेंद्र कुमार सांघी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने में वर्ष 1974 में उत्पादन तेजी से कम होने की सम्भावना है और इसमें कमी होना शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तेल शोधक कारखाने में उत्पादन कितना कम हुआ है;

(ग) उत्पादन में इस कमी के लिए जिम्मेदार कारण क्या है ; और

(घ) वर्ष 1973 के स्तर तक कम से कम उत्पादन को बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ख) जनवरी से जून, 1974 तक, कोचीन शोधन शाला ने वर्ष 1973 के उसी अवधि के 0.86 मिलियन मीटरी टनों के कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में, 1.16 मिलियन मीटरी टनों का तथा 1973 के पूर्ण वर्ष में 1.97 मिलियन मिटरी टन कच्चे तेल का उत्पादन किया। कच्चे तेल के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वर्ष में कुछ शोधनशालाओं कों जो आयातित कच्चे तेल को साफ करती है, न्यून स्तर पर कार्य करना पड़ रहा है। कोचीन शोधनशाला सहित आयातित कच्चे तेल को साफ करने वाली शोधनशालाओं के परिचालन स्तरों को उत्पादों की क्षेत्रीय मांग तथा शोधनशालाओं के उत्पाद प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुए, तय कर दिया गया है। लेंकिन यह आशा की जाती है कि वर्ष 1974 के दुसरे छ माही में कोचीन शोधनशाला को 1 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल की सप्लाई की जाएगी।

मियां भाई पंचाट की सिफारिशों के कारण होने वाले लाभों की मुख्य बातें

1657. **श्री पी० वेंकट सुब्बैया :**
श्री चन्दूलाल चन्द्राकार :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मियां भाई पंचाट की "सिफारिशों" से कितने रेलवे कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप काम के घण्टे भी घटाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) लगभग 13 लाख (नेमित्तिक श्रमिकों सहित) ।

(ख) जी हां ।

(ग) (i) चतुर्थ श्रेणी के "अपवर्जित" कर्मचारियों अर्थात 'ग' श्रेणी के फाटकवालों, सैलून परिचरों, विश्राम गृहों, और जलाशयों के रखवालों, जिन्हें बिना किसी समय सीमा के काम करना पड़ता था, का दर्जा बढ़ा कर "अनिवार्य सविरामी" कर दिया गया है । साथ ही यदि उनके पास कोई प्रारम्भिक और/या अनुपूरक काम न हो तो काम के घण्टों को सप्ताह में 72 तक और यदि काम उस तरह का हो तो सप्ताह में 75 घण्टों तक सीमित कर दिया गया है ।

(ii) चतुर्थ श्रेणी की उपयुक्त 3 कोटीयों के अलावा " अनिवार्य सविरामी " कर्मचारियों और ऐसे अन्य "अनिवार्य सविरामी" कर्मचारियों, जिन्हे मार्गवती छोटे स्टेशनों पर नियुक्त किया गया है और जो अपने काम के स्थान से . 5 किलोमीटर की दुरी पर रहते हों, के काम के घण्टों को प्रारम्भिक और या अनुपूरक काम होने या न होने के अनुसार सप्ताह में क्रमशः 75 और 72 से घटा कर 64½ और 60 घण्टे कर दिया गया है ।

(iii) "निरन्तर कर्मचारियों को जिनके पास प्रारम्भिक और/या अनुपुरक काम नहीं होता, दिन में 8 घंटे/सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा जब कि इस समय उन्हे एक सप्ताह में 51/52 रोस्टर घंटे काम करना पड़ता है ।

(iv) कुछ खण्ड नियंत्रको और वायरलेस आपरेटरों, जिन्हें दर्जा बढ़ाकर "निरन्तर" से "गहन" कर दिया गया है, के काम के घंटे, यदि उसके समय प्रारम्भिक और/या अनुपूरक काम जुड़ा हुआ हो, सप्ताह में लगभग 52 से घटाकर 45 कर दिये गये है ।

आवश्यक औषधियों की कमी

1658. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कथित कमी के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहानवाज खां) : (क) और (ख) देश के कुछ भागों में कुछ औषधों की कमी कभी कमी की रिपोर्टें जिसके लिए अन्य निर्माताओं की समान औषधियां भी सामान्यतः उपलब्ध हैं, समय समय से राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त होती हैं । ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होने पर निर्माण करने वाले एककों के साथ सम्पर्क स्थापित किए जाते हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि जिन क्षेत्रों से कमी की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं उनकी औषधों की सप्लाई करें और उस सप्लाई को जारी रखने को सुनिश्चित करें ।

एस्सो और बर्मा शेल तेल शोधक कारखानों में नेफ्था का जमा होना

1659. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन-चार महीनों के दौरान बड़ी मात्रा में नेफ्था का भंडार एस्सो और बर्मा शेल के तेल शोधक कारखानों में जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों तेल शोधक कारखानों में कितनी मात्रा में नेफ्था का भंडार उपलब्ध है तथा कितने समय से यह भंडार अनबिका पड़ा है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहानवाज खां) : (क) से (ग) गत चार-पाच महिनों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा बर्मा शेल रिफाइनरीज में नेफ्था के स्टॉक को कुछ इकट्ठा किया गया। प्रत्येक महीने के वास्तविक स्टाक में अन्तर है। विभिन्न कारणों से उर्वरक संयन्त्रों द्वारा इसके उठान के कारण मुख्यत: ऐसा हुआ : मोटर गैसोलिन की मांग में कमी के कारण नेफ्था के उत्पादन में वृद्धि हुई। बम्बई से कुछ नैफ्था के माल के निर्यात से गत कुछ महीनों से स्थिति को सामान्य बनाया गया है।

जुलाई, 1974 के अन्त तक रेलवे में घाटे की अर्थ-व्यवस्था

1660. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1974 तक के अन्त तक रेलवे में कितनी राशि की घाटे की अर्थव्यवस्था की गयी है, तथा चालू वित्तीय वर्ष के चार महीनों के दौरान घाटे की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के कारण क्या हैं ; और

(ख) इस घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1974–75 के बजट अनुमानों में, जो फरवरी, 1974 में संसद के समक्ष पेश किये गए थे, 52.79 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था। जून, 1974 के लेखे लगभग अगस्त के मध्य में तथा जुलाई, 1974 के लेखे सितम्बर, 1974 के प्रथम सप्ताह में बन्द होंगे। मई महीने के अन्त तक के बजट अनुपात की तुलना में उक्त माह के अन्त तक यातायात से शुद्ध प्राप्ति की स्थिति नीचे बताई गई है :—

(i)	आमदनी में कमी	76.02 करोड रु०
(ii)	राजस्व खर्च में बचत	18.18 करोड़ रु०
(iii)	यातायात से प्राप्तियों में शुद्ध कमी	57.84 करोड़ रु०

आन्दोलनों और हड़तालों का क्रम, जिनके कारण रेलों पर गाड़ी परिचालन और लदान पर दुष्प्रभाव पड़ा, चालू वित्तीय वर्ष में भी मई, 1974 तक जबकि अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जारी रहा।

मई में हड़ताल के फलस्वरुप माल डिब्बों का भारी संख्या में जमाव तथा रेल इंजनों और माल डिब्बों के अनुरक्षण का बहुत अधिक काम बकाया होने के कारण जून और जुलाई के महीनों में लदान की स्थिति में तेजी से सुधार नहीं हुआ। जुलाई में बम्बई में अभूतपूर्व वर्षा के कारण भी लदान पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ा। स्थिति में क्रमीक सुधार के साथ साथ रेलें चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रही है।

पी० वी० सी० रेजिन निर्माता

1661. श्री राजा कुलकर्णी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पी०वी०सी० रेजिन निर्माता कौन कौन से हैं और वर्ष 1973 में उन्होंने कुल कितना उत्पादन किया ;

(ख) वी०पी०सी रेजिन के मूल्यों और वितरण पर सरकार किस प्रकार नियंत्रण करती है ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माताओं द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम कमी के कारणों को दूर करने का प्रयास किया है ? :

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

उत्पादक का नाम	1973 में उत्पादन (एम०टी०)
1. श्रीराम कैमिकल्स दिल्ली	9267
2. मैसर्स अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रि० कं० लि० बम्बई .	4247
3. मैसर्स नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इण्डिया लि०, बम्बई .	21356
4. कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक (इण्डिया लि० मद्रास) .	6132
5. प्लास्टिक रेसिन एण्ड केमिकल्स लि०, मद्रास .	7484
	48486

(ख) और (ग) पी० वी० सी० सहित फर्मो प्लास्टिक रेसिन पर कोई मूल्य एवं वितरण सम्बन्धी नियंत्रण नहीं है । पी० सी० वी० के उत्पादन ने बढ़ी हुई मांग को पूरा नहीं किया गया तथा कुछ समय से इसकी कमी का अनुभव किया जा रहा है । उत्पादन में वृद्धि करने में मुख्य कठिनायियां हैं । विनायल, क्लोराइड के तदनुरुपीं अनुपलब्धता, दो उत्पादकों के मामले में उत्पादन सुविधाएं तथा बार बार बिजली की कमी । पी० वी० सी० के उत्पादन में यथाशीघ्र वृद्धि करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे है ।

मई, 1974 की हड़ताल के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उठायी गयी हानि

1662. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 में हुई रेलवे हड़ताल के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) उत्तर रेलवे के मामले में प्रतिदिन का पृथक-पृथक विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मई, 1974 में हुई रेलवे हड़ताल के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उठायी गयी हानि लगभग निम्नलिखित है :--

	(लाख रुपयों में)
मध्य	823.70
पूर्व	1093.46
उत्तर	850.66
पूर्वोत्तर	177.00
पूर्वोत्तर सीमा . .	206.63
दक्षिण . .	380.55
दक्षिण मध्य .	169.41
दक्षिण पूर्व	1086.99
पश्चिम	717.26

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कांगड़ा घाटी रेलवे मार्ग का पुनः निर्धारण करने के बारे में प्रगति

1663. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगडा घाटी रेलवे मार्ग का पुन: निर्धारण करने के बारे में हुई प्रगति की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून, 1974 तक इस योजना पर कुल मिला कर 54 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) इस कार्य को अविलम्ब पूरा करने और समय समय पर पैदा होने वाली कठिनायियों का, समाधान करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ कठिनाइयां इस प्रकार हैं :—

(i) राज्य सरकार द्वारा भूमि समय पर न देने के फलस्वरूप कों ठेका सम्पन्न न हो पाना।

(ii) बिजली फेल हो जाने के कारण, पुल सम्बन्धी कार्यों की प्रगति में रुकावट।

(iii) पुलों के गर्डर बनाने के लिए अपेक्षित इस्पात की कमी।

(iv) आवश्यक सामान न मिलने और मजदूरों की कमी के कारण।

(v) व्यास बांध अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निधि का नियतन।

काश्मीर घाटी में रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण

1664. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी के भीतर एक रेलवे लाइन प्रदान करने सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ; और इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के खर्च पर निक्षेप कार्य के रुप में काजीगुण्ड से बारामुला तक श्रीनगर होकर लगभग 122.35 कि०मी० लम्बी लाइन के मी० आमान/बड़े आमान विद्युतीकरण सम्बन्धी सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि दोनों ही लाइनें मी० आ०/ब० आ० आर्थिक रुप से अलाभकारी रहेंगी। मी० आ० और ब० आ० की लाइनों के निर्माण की सम्भावित लागत क्रमश: 71.33 करोड़ रुपये और 78.62 करोड़ रुपये होगी। तथापि रिपोर्ट की अभी भी जांच की जा रही है।

(ग) इस परियोजना पर निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने पर लिया जायेगा।

New Railway Stations to be constructed in Bihar

1665. Shri Chandra Shekhar Singh :

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Government are considering to construct some new Railway stations in Bihar ;

(b) if so, the particulars thereof ; and

(c) the time by which the construction work will start?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) yes.

(b) and (c) Information is given in the statement attached.

STATEMENT

Particulars of the station	Time by which work is expected to start
Pusla between Dildarnagar and Bhadaura . .	Work will start after completion of plans and sanction of estimates which is in progress, and after inclusion in future works programmes.
Halt between Dhauni and Sanjha Halt .	Do.
Mahadeoganj between Sahibganj and Karamtola .	Do.
Rajendra Nagar between Gulzarbagh and Patna .	Do.
Harchandpur between Tinpahar and Rajmahal .	Work completed. Would be opened shortly.
Halt between Shivnarayanpur and Colgong . .	Do.
Station at Gautam Dhara	Likely to be opened during current year.
Station at Barwakag Road	Do.
Halt station between Jaynagar and Khajauli .	Expected to be taken up shortly.
Halt between Darbhanga and Mohammadpur .	Do.
Halt between Kamtaul and Jogiara . . .	Do.
Halt between Nirmali and Ghogardiha . .	Do.
Halt between Murliganj and Budhma . . .	Do.
Two halts on Jhanjharpur and Lauka Bazar on Sakri-Hasanpur new line.	Would be taken up along with construction of the new line.
Three crossing stations on Pratapganj and Forbesganj section.	Would be taken up along with construction of the new line.
Four crossing stations on Jhanjharpur and Lauka Bazar section, and	
Eight crossing stations on Sakri-Hasanpur new line	

Stoppage of Kashmir Mail and Srinagar Express at Alawalpur (Punjab)

1666. **Shri Chandra Shekhar Singh:**
Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Kashmir Mail and Srinagar Express do not stop at Alawalpur (Punjab) and as such hundreds of passengers going to Alawalpur from Delhi have to face great Difficulty; and

(b) if so, the action being taken by Government for stopping those trains Alawalpur?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) Stoppage of 33/34 Kashmir Mails and 59/60 Srinagar Expresses at Alawalpur is neither justified on traffic considerations nor considered feasible in the interest of keeping the fast character of these trains.

नेफ्था का निर्यात

1667. **श्री विश्वनाथ झुनझुन वाला :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेफ्था का निर्यात कर रहा है जब कि देश में भी उसकी अत्यधिक आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो 1973–74 में कुल कितना नेफ्था निर्यात किया गया और चालू वर्ष में कितना र्यात किया जाना है;

(ग) क्या उर्वरक उत्पादन के लिए नेफ्था का उत्पादन करने हेतु पेट्रोल की खपत कम करने के लिए पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की गई है, और यदि हां, तो फिर उसे निर्यात करने का औचित्य क्या है ; और

(घ) क्या देश में पेट्रोल उपभोक्ता और किसान दोनों ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान नेफ्था की मांग पहले अनुमानित मांग की अपेक्षा बहुत कम रही । यह मुख्यत: विभिन्न कारणों से उर्वरक संयंत्रों से कम मांग के कारण थी । नवम्बर, 1973 से मूल्यों में वृद्धि से मोटर गैसोलिन की मांग में कमी के कारण देशी उत्पादन भी बढ़ गया था । अत: शोधनशाला का कार्य संचालन रखने के लिए इस वर्ष के आरम्भ में कुछ नेफ्था का निर्यात किया गया था । नेफ्था निर्यात से 12.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान है । 1973–74 वर्ष के दौरान बंगला देश को कुछ मात्रा की सप्लाई करने के अतिरिक्त नेफ्था का कोई निर्यात नहीं हुआ था ।

(घ) इस समय नेफ्था की देशी मांगें पूर्ण रूप में पूरी की जा रही है । मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की खपत में कमी करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे ताकि नेफ्था की अत्यावश्यकता को पूरा किया जा सके जिसकी आने वाले महीनों में मांग और बढ़ती रहेगी ।

बर्मा शेल के सरकारीकरण के लिये बातचीत

1668. **श्री मधु लिमये :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा सेल से उसके सरकारीकरण के बारे में बातचीत आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या इस बातचीत के दौरान बर्मा शेल के अन्य विंगों, अर्थात बर्मा शेल आयल स्टोरेज तथा डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड के सरकारीकरण के प्रश्न की चर्चा भी की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

मई, 1974 में रेलवे द्वारा ढोया गया माल तथा यात्री यातायात

1669. श्री मधु लिमये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 मई से 27 मई 1974 तक प्रत्येक जोन में प्रति दिन कितने स्थाई कर्मचारी, अस्थाई कर्मचारी तथा नैमित्तिक श्रमिक हड़ताल पर थे अथवा अनुपस्थित रहे ;

(ख) रेल्वे ने 8 मई, से 27 मई, 1974 तक कितने मूल्य का माल तथा यात्री यातायात ढोया ; और

(ग) रेलवे ने 1972 और 1973 में 8 मई से 27 मई की अधिक में कितने मल्य का माल तथा यात्री यातायात ढोया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य उपर्युक्त अवधि के दौरान माल और यात्री यातायात की ढुलाई से प्राप्त आमदनी के बारे में जानना चाहते है । माल यातायात से प्राप्त हुई आमदनी का मोटे तौर से अनुमान 28.72 करोड़ रुपये और यात्री यातायात से 14.05 करोड़ रुपये लगाया गया है ।

(ग) 1973 और 1972 की इसी अवधि के दौरान क्रमशः माल यातायात से लगभग 36.16 और 37.21 करोड़ रुपये तथा यात्री यातायात से लगभग 24.75 और 22.77 करोड़ रुपये की आमदनी हुई ।

बम्बई, के खुले समुद्र में तेल की खोज कार्य में विदेशी फर्मों को भाग लेने की अनुमति न देना

1670. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन कारणों से बम्बई के खुले समुद्र में तेल की खोज कार्य में किसी भी विदेशी फर्मों को भाग लेने की अनुमति न देने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या विदेशी फर्मों को तेल की खोज करने के लिए कोई अन्य स्थान देने की पेशकश की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चूंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई संरचना पर परिचालन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिए हैं तथा वहां तेल भी प्राप्त किया है अतः यह निर्णय किया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वयं ही क्षेत्र का अन्वेष एवं विकास किया जाय ।

(ख) बंगाल बेसिन के लिए कर्ल्सवर्ग इण्डिया ग्रुप तथा कच्छ बेसिन के लिए रीडिंग एण्ड बेटस ग्रुप के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

समस्तीपुर से दरभंगा तथा बाराबंकी-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बड़ी लाइन

1671. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर समस्तीपुर से दरभंगा तक तथा बाराबंकी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर तक बड़ी लाईन बनाए जाने के लिए अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को आरम्भ किए जाने तथा पूरा किए जाने के बारे में वास्तविक निर्धारित समय क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बाराबंकी-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य स्वीकृत हो चुका है और इस परियोजना पर कार्य हो रहा है, समस्तीपुर दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य 1974–75 के बजट में शामिल किया गया है और परियोजना के अनुमान की स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य अप्रैल, 1972 में स्वीकृत किया गया था और उसके 1977 के आरम्भ में पूर्ण होने की योजना है। समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कार्य के प्रारम्भ और पूर्ण करने का कार्यक्रम परियोजना का अनुमान स्वीकृत होने के बाद तैयार किया जाएगा।

झंझरपुर से लोकहा और संकरी से हसनपुर तक (पूर्वोत्तर रेलवे) नई रेलवे लाइन

1672. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में झंझरपुर से लोकहा तथा संकरी से हसनपुर तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य के आरम्भ किए जाने तथा पूरा किए जाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) झंझरपुर-लोकहा बाजार नई मीटर लाइन के निर्माण का अनुमानित खर्च हाल ही में स्वीकृत किया गया है और मिट्टी का कार्य शुरू कर दिया गया है। हसनपुर-सकरी नई लाइन के निर्माण का अनुमानित खर्च विचाराधीन है और शीघ्र ही स्वीकृत होने की आशा है।

(ख) झंझरपुर-लोकहा बाजार लाइन के प्रारम्भ होने की अनुमानित तारीख अप्रैल, 1976 है, जब कि, सकरी-हसनपुर लाइन के प्रारम्भ होने की सम्भावित तारीख मार्च, 1978 है।

मुरैथा और कोरा है या पर हाल्ट बनाने की मांग

1673, श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच मुरैथा और जयनगर तथा खजौली स्टेशनों के बीच कोराहैया पर हाल्ट बनाए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है तथा ग्राम वासियों ने श्रमदान करके मिट्टी डालने का कार्य पूरा कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये दोनों हाल्ट कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। दोनों हाल्ट खोलने के सम्बध में अन्तिम फैसला कर लिया गया है। कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच हाल्ट के लिए स्वैच्छिक श्रम के माध्यम से मिट्टी का काम अभी तक पुरा नहीं हुआ है।

(ख) जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच हाल्ट खोलने की तारीख के सम्बन्ध में तभी निर्णय किया जाएगा जब बिहार सरकार इस हाल्ट के लिए किसी उपयुक्त नाम का सुझाव दे देगी। कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच हाल्ट खोलने की तारीख के बारे में फैसला स्वैच्छिक श्रम द्वारा मिट्टी का काम पूरा हो चुकने के बाद किया जाएगा।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

1674. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर आधारित उन उर्वरक संयंत्रों के लिए निर्धारित स्थान क्या है तथा उनकी क्षमता क्या है जिनके निर्माण के लिए सरकार ने अबतक अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) वे कब तक चालू हो जाएंगे ?

(ग) क्या सरकार का विचार पांचवी योजना अवधि में कोयले पर आधारित और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) संयंत्रों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित स्थल, क्षमता तथा परिचालन सम्बन्धी तिथि नीचे दिए गए है :—

स्थान	क्षमता	अनुमानित परिचालन की तिथि
1. रामागुण्डम	227.7 एन$_2$	अप्रैल, 1976
2. तालचर उड़ीसा .	227.7 एन$_2$	जनवरी, 1976
3. कोरबा (मध्य प्रदेश) . .	227.7 एन$_2$	जनवरी, 1976

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कार्यक्रम में, जैसा कि इस समय पांचवीं योजना में परिकल्पना की गई है, कोयला के रूप में सम्भरण सामग्री पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना के बारे में व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, अतिरिक्त कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न स्थलों की उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अध्ययन किए गये है।

रेलवे में इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली आरम्भ करना

1675. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान योजना की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, चुने हुए मार्गों पर, चरण-बद्ध कार्यक्रम क अनुसार ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1800 मार्ग कि० मो० रेलवे लाइन का बिजलीकरण करने का प्रस्ताव है ।

अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे तेल शोधक कारखाने

1676. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे तेल शोधक कारखाने अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) चारों ही देशीय शोधन शालाएं जो देशीय कच्चे तेल के संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने पर आधारित है, द्वारा देशीय कच्चे तेल को समस्त मात्रा जो उनको असम और गुजरात के तेल क्षेत्रों से सप्लाई की जा रही है, को साफ कर रही है। बरौनी शोधनशाला, असम से प्राप्त कच्चे देशीय तेल के अतिरिक्त प्रति वर्ष 0.5 से 0.6 मिलियन मीटरी टन ईराकी ... आयातित कच्चे तेल को भी साफ करती है ।

पांच तटवर्ती शोधनशालाओं में से कुछ एक को वर्तमान वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा को समग्र उपलब्धता तथा कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय सप्लाई एवं मूल्य स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं को ध्यान में रखते हुए, न्यून स्तर पर कार्य करना पड़ रहा है ।

पांचवीं योजना में स्थापित किए जाने वाले उर्वरक संयंत्र

1677. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री झार खंडे राय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि में किन-किन स्थानों में नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

(ख) इस में कुल कितनी पूंजी लगेगी ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग लिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकारी क्षेत्र में पांच नवी उर्वरक प्रायोजनाओं को स्थापना करने के लिए सरकार के सेद्धान्तीक रूप में स्वीकृति दे दी है । इनको भटिण्डा, पानीपत, मथुरा, पाराद्वीप और ट्राम्बे में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भटिण्डा, पानीपत और मथुरा की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक नई कम्पनी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा पारादीप और ट्राम्बे परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सरकार ने मैसर्स भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लि० द्वारा फलपुर (उ० प्र०) में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए सैद्धान्तिक रूप मे स्वीकृति दे दी है। आशय पत्र भी जारी किए जा चुके है।

कंपनी के नाम	स्थान
महाराष्ट्र सहकारिता केमिकलस फर्टिलाइजर्स लि० .	बम्बई क्षेत्र (महाराष्ट्र)
दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि० .	कोटा (राजस्थान) (द्वितीय विस्तार)
नार्गार्जुन फर्टिलाइजर्स लि० . .	ककिनड (आन्ध्र प्रदेश)
मैसूर स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वस्टमेन्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	मंगलोर (कर्नाटक)

(ख) पूंजीगत लागत अनुमानों का अन्तिम रूप से अभी तक निर्णय नही हुआ है।

(ग) और (घ) उर्वरक क्षेत्र में भारत को वर्षों से आत्मनिर्भरता के पर्याप्त उपायों में सफलता मिल चुकी है और इस समय विदेशी सहायता, प्रक्रिया जानकारी का उपार्जन देश में अनुपलब्ध सेवाओं और जटिल उपस्कारों की सप्लाई सदृश क्षेत्रों तक ही सिमित है।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का पूरा किया जाना

1678. **श्री रानेन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है ; और

(ख) इसके कब तक पूरे होने को सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कलकत्ता को दमदम-टालीगंज द्रुत परिवहन लाइन के निर्माण में जून, 1974 के अन्त तक कुल मिलाकर 5.1 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) इस परियोजना के 1979 के अन्त तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। लेकिन भण्डार और उपस्कर के अनिवार्य आयात के प्रश्नों, सम्पत्ति-अधिग्रहण और सड़क यातायात के दिशा परिवर्तन की समस्याओं के तय होने के प्रश्न से उक्त लक्ष्य स्थिति तक परियोजना का काम पूरा होने में अड़चन पड़ सकती है।

ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र के लिये इटली और आस्ट्रिया से ऋण

1679. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट ट्राबे उर्वरक संयंत्र के विस्तार के लिए इटली और आस्ट्रिया के ऋण सहायता देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार ट्राम्बे फर्टिलाइजर संयंत्र (ट्राम्बे/विस्तार) की विस्तार परियोजना का वित्त पोषण संभावतया इटली तथा आस्ट्रिया से प्राप्त ऋण द्वारा किया जाएगा जबकि आस्ट्रिया ने 7–10 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर ऋण का उपलब्धि का संकेत दिया है, लेकिन इटली से प्राप्त होने वाले संभावित सहायता के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

बम्बई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भूमि पर तथा भूमिगत चलने वाली ट्यूब रेलवे

1680. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सड़क तथा रेल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने भूमि पर तथा भूमिगत चलने वाली ट्यूब रेलवे के निर्माण के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, मामला विचाराधीन है।

(ख) पश्चिम और मध्य रेलों पर वान्द्रा और कुर्ला के उत्तर में क्रमशः गोरेगांव और भांडूप तक अतिरिक्त रेल पथ बिछाने और वडाला स्टेशन के निकट रौवली जंक्शन और फोर्ट मार्केट के बीच अतिरिक्त ऊपरी एवं भूगत लाइनें बिछाने का कार्य इसमें शामिल है। रौवली जंक्शन और फोर्ट मार्केट के बीच का निर्माण पांचवीं योजना में किए जाने की सम्भावना है। स्वीकृति के पश्चात, यह योजना पांच वर्ष में पूरी होगी ।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा भारतीय एकाधिकारियों के सहयोग से कंपनियां स्थापित करना

1681. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारतीय एकाधिकारियों के सहयोग से कम्पनियां स्थापित की हैं ;

(ख) ऐसे बहुराष्ट्रीय निगमों और भारतीय एकाधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक कम्पनी में कुल कितनी पुंजी लगाई गई है ?

विधि न्याय, तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) प्रशासनिक रूप से विदेशी सहयोग के विषय से औद्योगिक विकास मंत्रालय, संबंधित है, तथा मांगी गई आवश्यक सूचना का संग्रह किया जा रहा है एवं यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

भारत में एक तेलशोधक कारखाने के निर्माण करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पेशकश

1682. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में एक तेल शोधक कारखाने का निर्माण करने तथा इसके लिए और अन्य तेलशोधक कारखानों के लिए अशोधित तेल आसान शर्तों पर सप्लाई करने की पेशकश की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) भारत को आसान शर्तों पर कच्चे तेल की सप्लाई करने तथा भारत में एक तेल शोधनशाला के लिए सहयोग देने की संभावना संबंध में यूनाइटेड अरब एमिरेट के उपाध्यक्ष के साथ प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया है। तथा 18-6-74 को एक मेमोरेंडम आफ अन्डर टेकिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

कोलाघाट रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे सम्पत्ति से मिट्टी की खुदाई

1683. श्री मूलचंद डागा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 के निर्माण के लिए नियुक्त की गई फर्म ने कोलाघाट रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे की सम्पत्ति से 1.23 लाख रुपये के मूल्य की 10.17 घनफुट गहराई तक मिट्टी खोद ली है ;

(ख) क्या उक्त ठेकेदार से यह धनराशि वसूल कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ। कोलाघाट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन से लगभग 8.31 लाख घनफुट को गहराई तक मिट्टी खोदी गयी थी जिससे लगभग 1 लाख रुपये की हानि का अनुमान है ।

(ख) और (ग) जी नही । सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम 1971 के अधीन , मेसर्स एसोशियटेड इंजीनियरिंग ट्रेडर्स, कलकत्ता से नुकसान की वसूली के लिए, सम्पदा अधिकारी, खड़गपूर के समक्ष मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

Work-to-Rule Movement by Mechanical Staff from November, 1973 to January, 1974

1684. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Mechanical Staff had launched 'work to rule' movement from the 25th November, 1973 to the 24th January, 1974 ;

(b) if so, whether the said movement had been withdrawn following an appeal by him over the A. I. R. and whether he had assured the leaders of the said Association not to take any action against the employees ;

(c) whether various types of action have been taken against hundreds of employees, despite his assurance and some persons have been lodged in the Jails under MISA in Bihar ; and

(d) if so, the names of such employees and the reasons for victimising them not withstanding his above assurance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) to (d) The Minister had only made a general appeal for putting an end to the 'work to rule' movement. Only four staff working at Jhajha on the Eastern Railway were wanted by police for detention under MISA on the eve of the recent strike ; out of them three viz. Sarvashri Maulvi Ram, Jhaman Kandu and S. B. Kumar are in police custody ; the fourth Shri Ram Pabitar, has been absconding.

भारतीय रेलों की अलाभप्रद शाखा रेल लाइनें

1685. श्री रेणुपद दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अलाभप्रद रेल लाइनें तब से ही अलाभप्रद थीं जब से वह चालू हुई थीं अथवा सामान्य व्यापार में गिरावट और वार्षिक किराया वृद्धि अथवा निर्धन व्यक्तियों के गांवों से शहरों की ओर अधिक संख्या में आने के कारण ये रेल लाइनें अलाभप्रद हो गई है; और

(ख) भविष्य में इस समस्या से निपटने के लिये रेलवे का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अब अलाभप्रद मानी जाने वाली बहुत सी शाखा लाइनों का निर्माण पिछले लगभग ी वर्ष की अवधि में विभिन्न चरण में किया गया था। इसलिए इतने समय बाद निश्चित रुप से यह बताना सम्भव नहीं है कि ये लाइने अपने खोले जाने के समय भी अलाभप्रद थीं। ये लाईनें मुख्यतया यातायात के कम धनत्व के कारण अलाभप्रद हैं।

(ख) हानियां कम करने के लिए जो उपाय शुरू किये गये हैं या जिनके किये जाने का विचार है उनकी सूची संकन विवरण में दे दी गयी है।

विवरण

अलाभप्रद शाखालाइनों पर होने वाले हानियों को कम मरने के लिये किये गये/जाने वाले उपायों का विवरण

1. गति और गाड़ी-भार बढ़ाने की दृष्टि से कुछ छोटी लाइनों की पटरी मजबूत करने के सम्बन्धं में विचार कियां जा रहा है।
2. चल-स्टाक का बदलाव एक चरण बद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है।
3. कुछ खंडों पर संचालन की एक-इंजन प्रणाली शुरू की गयी है।
4. माल यातायात के लिए कुछ छोटी लाइनों पर ब्लाक स्टेशनों का ग्रेड निम्न कर दिया गया है और कुछ अन्य स्टेशन बन्द कर दिये गये हैं।
5. कुछ छोटी लाइनों पर गाड़ी सेवाएं कम कर दी गयी है।
6. अतिरिक्त यातायात प्राप्त करने के दृष्टिकोण से रियायाती दरें घोषित की गयी है।
7. अलाभप्रद लाइनों द्वारा सेवित क्षेत्रों में स्थित उद्योग रेल सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग करे इस दृष्टिकोण से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनसे निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।
8. बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए सघन जांच की जाती है।
9. कुछ स्टेशनों पर विभक्त पारि ड्यूटियां शुरु की गयी है।
10. कुछ खण्डों पर सवारी गाड़ियों की जगह मिली-जुली गाड़ियां चलाई गयी हैं।
11. अधिक यातायात ढोने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

दिसम्बर, 1973 में दक्षिण रेलवे में बन्द की गयी गाड़ियों को दोबारा चलाना

1686. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 में दक्षिण रेलवे में दक्षिण पश्चिम ब्राड गेज सेक्शन और मीटर गेज सेक्शन पर रद्द की गई गाड़ियां अभी तक दोबारा नहीं चलाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दक्षिण रेलवे के दक्षिण-पश्चिमी भाग में दिसम्बर, 1973 के दौरान पूर्णतः/अंशतः रद्द की गई बड़ी लाईन की 54 और मीटर लाईन की गाड़ियों में से बड़ी लाईन की 35 गाड़ियां और मीटर लाइन की 32 गाड़ियां अभी भी रद्द की हुई हैं। इन गाड़ियों को दुबारा शुरू करने के पहलू पर चरणबद्ध ढंग पर विचार किया जा रहा है।

हल्दिया तेल शोधन कारखाने के लिए अशोधित तेल आयात करना

1689. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दियां तेल शोधक कारखाने के लिए कितने अशोधित तेल के आयात का अनुनान लगाया गया और आयात किन साधनों से किया गया और समें अशोधित तेल के परिष्करण से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अनुमानत: कितन उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : हल्दिया परिष्करण शाला की आंशिक आवश्यकता के लिए आगाभारी अशोधित तेल की सप्लाई हेतु भारतीय तेल निगम ने मैसर्स टोटल अन्तर्राष्ट्रीय लि० के साथ एक संविदा की है। इसके अलावा भारतीय तेल निगम के पास अशोधित तेल की सप्लाई के लिए भी अन्य संविदायें है। तथापि विदेशी मुद्रा नियंत्रणों के कारण आयातित अशोधित तेल की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखकर हल्दिया परिष्करण शाला सहित विभिन्न परिष्करण शालाओं को परिष्करण शालाओं के उत्पादन पैटर्न और विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादन मांग को देखते हुए इसका आबंटन किया जायगा। जब हल्दिया परिष्करण शाला में आंगाभारी क्रुड के अनुसार परियोजना रिपोर्ट में थथा परिकलिपत पूर्ण उत्पादन करना आरम्भ कर देती है तो उसका उत्पादन पैटर्न निम्न प्रकार है:—

आगाभारी क्रुड . . .	2.5 मिलियन मी० टन/प्रति वर्ष
हल्के उत्पाद और गैसेज. . .	14.7% भार तक
मध्यवर्ती आसुतों . . .	39.0% ,, ,,
ल्यूब्स और बिटूमन सहित भारी उत्पादन	35.0% ,, ,,

एर्नाकुलम एलेप्पी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य

1690. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम-एलेप्पी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ;

(ख) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 1970 में एक बड़ी लाईन रेल सम्पर्क के लिए एलेपी होकर एरणाकुलम से काथमकुलम तक यातायात सर्वेक्षण किया गया था और पाया कि प्रस्तावित सम्पर्क अत्याधिक अलाभप्रद होगा। फिर भी इसे 5 वी पंचवार्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई रेलवे लाइनों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और इस रेल सम्पर्क का निर्माण योजना आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त धन के आबंटन पर निर्भर करेगा।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रस्ताव

1691. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) 1974 में, स्वीकृत सदस्य संख्या में वृद्धि के लिए प्रस्ताव निम्नलिखित उच्च न्यायालयों से प्राप्त हुए हैं:—

(1) मुम्बई
(2) दिल्ली
(3) गुजरात
(4) मध्य प्रदेश
(5) इलाहाबाद
(6) हिमाचल प्रदेश

मुम्बई, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों की बाबत प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है और हिमाचल प्रदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालयों से सम्बन्धित प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई कार्य

1692. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुमर की तल्ली में गहरी तेल की खुदाई कार्य को शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और यह खोज कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, शुमरवली तलाई पर न कि सुमर की तली पर ।

(ख) 23-12-1973 को कुआ खोदा गया था जिसके लिए 3,500 मीटरों की गहराई तक खुदाई की योजना है । 27-7-1974 को 217.25 मीटर की गहराई तक खुदाई हो चुकी है । अब से लगभग 6 महीनों के अन्तर्गत कुए की खुदाई के कार्य पूरा हो जाने की आशा है ।

सेवा में अवरोध को समाप्त किया जाना

1693. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कुल कितने रेल कर्मचारियों को उनकी सेवा में अवरोध डालकर पुनः कामपर लिया गया;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की जोनवार कुल कितनी संख्या है जिनके मामले में सरकार ने सेवा में अवरोध माफ कर दिया है ; और

(ग) कुल कितने ऐसे कर्मचारियों के मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा इन मामलों मे भी कब तक इसे माफ कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 1,40,000 रेल कर्मचारीयों को सेवा भंग मे माफी दे दी गई है ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मुम्बई उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच में लम्बित मामले

1694. **श्री वसंत साठे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई उच्च न्यायालय तथा इसकी नागपुर बेंच में 31 जुलाई, 1974 तक कुल कितने मुकदमें सुनवाई के लिये लम्बित थे ;

(ख) क्या लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार कोई स्कीम बनाने का विचार करती है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 31 जुलाई, 1974 तक की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, मुम्बई उच्च न्यायालय और आगपुर बेंच में 31 दिसम्बर, 1973 तक लम्बित मामलों की संख्या क्रमश: 34,922 और 10,223 थी ।

(ख) तथा (ग) (i) राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से न्यायाधिशों की संख्या का पुनर्विलोकन करें ;

(ii) न्यायमूर्ति जे० सी० शाह की अध्यक्षता में न्यायाधिशों की एक समिति ने अनिर्णित मुकदमों की संख्या कम करने और न्याय में विलम्ब कम करने के लिए अनेक सिफारिशें की थीं। समिति की वे सिफारिशें जो कि पूर्णत: प्रशासनिक प्रकार की हैं और जिनमें यह अपेक्षा नहीं की गई है कि नियमों, कानून या विधि मे संशोधन किया जाए, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को क्रियान्वित करने के लिए भेज दी गई हैं ;

(iii) सिविल मुकदमों में विलम्ब समाप्त करने और कम करने और ऐसा करके खर्च घटाने की दृष्टि से विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ विनिर्दिष्ट संशोधनों का सुझाव दिया है। विधि आयोग की रिपोर्ट की जांच की गई थी और सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद् के विचाराधीन है;

(iv) विधि आयोग ने दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया संबंधी विधि के संशोधन के लिए भी अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर आधारित एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता हाल ही में अधिनियमित की गई थी ।

महाराष्ट्र में औद्योगिक एककों को वैक्स की सप्लाई

1695. **श्री वसंत साठे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने औद्योगिक एकक पैरेफिन वैक्स का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों में औद्योगिक एककों की मांग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना योग आबंटित किया गया; और

(ग) औद्योगिक एककों द्वारा पैरेफिन वैक्स की मांग को पूरा करने के लिए, क्या कार्यवाही क गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा यथा समय पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर जाएगी।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य को गत दो वर्षों में पैराफिन का आबंटन निम्नलिखित रूप से किया गया :

1972	9470 मी० टन
1973	9659 मी० टन

पैराफिन वैक्स (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार राज्यों के औद्योगिक एककों में पैराफिन वैक्स के वितरण का प्रबन्ध करती है। राज्य स्थित विभिन्न औद्योगिक एककों की मांगों पर विचार करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है।

कम्पनियों के निदेशक मण्डलों/प्रबन्ध समितियों में सरकार के प्रतिनिधि

1698. श्री शंकर राव सावंत : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं जिनके निदेशक मण्डलों अथवा प्रबन्ध समितियों में सरकार ने वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में जून, 1974 के अन्त तक अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये हैं; और

(ख) इस अवधि में कितने सरकारी प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया गया है और उसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों के निदेशक मण्डलों में ऐसे मामलों में, जिनमें या तो कम्पनी के किन्हीं सदस्यों को सतानेवाला जो व्यवहार हैं या उस व्यवहार में जो कम्पनी के हितों या लोकहित के विपरित हो, निदेशक नियुक्त करने का अधिकार देती है। पूर्वोक्त धारा के अन्तर्गत जिन कम्पनियों में केन्द्रीय सरकार ने निदेशक नियुक्त किये हैं, सूची दर्शाता विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) कोई नहीं।

विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत जिनमें सरकार न निदेशक नियुक्त किये हैं उन कंपनियों/फर्मों का नाम

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
	1972-73 की अवधि में	
1	मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्रा० लिमिटेड, बम्बई .	..
	1973-74 की अवधि में	
1	मैसर्स आंध्रप्रभा प्रा० लि०, विजयवाड़ा	..
2	मैसर्स बेलापुर शुगर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई . . .	..
3	मसर्स ग्रेट ईस्टर्न होटल लि०, कलकत्ता	..

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
4	मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	..
5	मैसर्स पूना इलैक्ट्रीकल एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई . .	..
6	मैसर्स श्री चंगदेव शुगर मिल्स लि०, बम्बई	
7	मैसर्स नासिक देवलाली इलैक्ट्रीक सप्लाई कम्पनी लि०, बम्बई . .	..
8	मैसर्स नैशनल रेयान कारपोरेशन लि०, बम्बई . . .	..
9	मैसर्स डब्ल्यु० एच० ब्रेण्डी एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई . . .	..
	30 जून, 1974 तक 1974-75 की अवधि में	
1	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न होटल लिमिटेड, कलकत्ता	1973-74 में नियुक्त निदेशकों ने त्याग-पत्र दे दिया और केन्द्रीय सरकार ने दो अन्य निदेशक नियुक्त किये।

सेवा में अवरोध को समाप्त करने की सिफारिश

1699. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे विभागों को कहा गया है कि उन मामलों की सिफारिश करें जिनमें सेवा में अवरोध में माफी दी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो कितने जोनल रेलवे विभागों ने अबी तक इस प्रकार के मामलों की सिफारिशे की हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन युनिटों के महाप्रबन्धकों को ऐसे अनुदेश जारी कर दिये है कि जिन कर्मचारियों के मामलों में जांच पड़ताल के बाद यह पाया जाये कि वे किन्हीं ऐसे कारणों से ड्यूटी पर न आ सके जो उनके काबू के बाहर थे, तो वे उनकी सेवा भंग को माफ कर सकते हैं।

परिसीमन आयोग द्वारा गुजरात के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में प्रस्तावों के प्रारूपों का प्रकाशन

1700. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने गुजरात के निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों का प्रारूप 28 फरवरी, 1974 को प्रकाशित कर दिया था;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने अभी तक सार्वजनिक सुनवाई प्रारम्भ नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसा कब तक किया जायेगा और संशोधित मतदाता सूचियां कब तक प्रकाशित की जायेंगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह परिसीमन आयोग के लिए है कि वह सार्वजनिक बैठकें करें और उसने अभी तक ऐसी बैठकें नहीं की हैं ।

(ग) राजपत्र में अधिसूचित आयोग के प्रस्तावों की बाबत जनता से आक्षेप और सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 1974 विनिर्दिष्ट की गई थी । किन्तु गुजरात में सार्वजनिक बैठकें राज्य में विद्यमान असाधारण स्थिति के कारण नहीं की जा सकीं । उस समय आयोग का केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में सार्वजनिक बैठकें और परामर्श करने का कार्यक्रम था । तत्पश्चात कच्छ का रन क्षेत्र और गुजरात के दक्षिणी जिलों में मानसून और बाढ़ के आ जाने के कारण यह संभव नहीं हुआ कि राज्य में सार्वजनिक बैठकें की जाएं, क्योंकि जनता को राज्य के विभिन्न भागो में होने वाली बैठकों में आयोग के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए हाजिर होने में बहुत कठिनाई होती ।

(घ) आयोग को गुजरात राज्य में सार्वजनिक बैठकें करने के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप देना है । जैसे ही गुजरात राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आदेश को परिसीमन आयोग द्वारा अन्तिम रुप दे दिया जाता है वैसे ही राज्य में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यवाही

1701. श्री वयालार रवि : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान कुओं के उत्पादन में वृद्धि करके तथा नए कुएं खोदकर देश में अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) इस प्रयोजन से कुल कितने नए कुएं खोदे गए तथा उनमे से कितनों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे और इस क्षेत्र में गतिविधि बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आयल इण्डिया लि० प्रतिदिन 8400 मीटरी टन के उत्पादन के अपने आयोजित स्तर को बनाये रखने में समर्थ हो जाएगा । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रतिदिन लगभग 11,800 मीटरी टन के वर्तमान उत्पादन की तुलना में अपने सम्भाव्य उत्पादन में 1 अप्रैल, 1975 तक प्रतिदिन 1400 मीटरी टन की वृद्धि को प्राप्त करने की आशा रखती है ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1-7-1973 से 1-7-1974 की अवधी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उत्पादन के लिए 31 कुओं का व्यधन किया है । इन में से 19 ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं, 9 की अभी जांच की जानी है, एक पानी युक्त पाया गया और दो को तकनीकी कारणों से छोड़ दिया गया था ।

आयल इण्डिया लि० ने 1-7-74 से 30-7-74 तक छः कुओं की खुदाई की है उनमें से चार कुओं में तेल के संकेत मिले है, एक को अभी जांच की जानी है, और एक को सूखा पाया गया था। दोनों तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लि० के व्यधन कार्य कलापों को बढाने के लिए अतिरिक्त व्यधन रिग्ज और अन्य उपस्कर प्राप्त किए जा रहे हैं।

वरकला रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए धनराशि

1702. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वरकला रेलवे स्टेशन के विभिन्न विकास कार्यों में क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या इन कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विकास कार्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण स्टेशन पर विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वरकाला रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों की प्रगति इस प्रकार है :—

काम	प्रगति
1. 16 बोगियों वाली गाड़ियों को खड़ा करने के लिए यात्री प्लेटफार्म का विस्तार	काम पूरा हो चुका है।
2. पानी की व्यवस्था में सुधार . .	40 प्रतिशत।
3. परिचलन क्षेत्र पर फर्श लगाना	अनुमान की मंजूरी दी जा रही है।
4. स्टेशन की पुरानी इमारत के एक भाग में फेर बदल करना	15 प्रतिशत।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर केलों और आमों से भरे वैगनों का खड़े रहना

1703. **श्री वरके जार्ज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद स्टेशन पर 10 जुलाई, 1974 से केलों और आमों से भरे 15 वैगन खड़े हुए हैं;

(ख) क्या ये माल डिब्बे इटारसी से आये थे, जहां वे 35 घंटे से अधिक समय तक रुके रहे;

(ग) क्या रेलवे अधिकारी माल डिब्बों को यहां निर्धारित चार दिन के समय में लाने में असफल रहे हैं और परिणामतः खराब हो सकने वाले फल वहां गर्मी में सड़ रहे हैं;

(घ) क्या व्यापारियों ने यह धमकी दी है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही, तो वे माल नहीं छुडायेंगे; और

(ङ) खराब हो सकने वाले फलों को शीघ्र डिलीवरी की व्यवस्था करने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) परेषणों में थोड़ा अधिक समय लगा क्यों कि केला यातायात अभी शुरू हुआ है और पर्याप्त गाड़ी-भार न मिलने के कारण विशेष माल गाड़ियां न चलायी जा सकीं।

(घ) उत्तर रेलवे को कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की गयी।

(ङ) सामान्यतः जब कभी यातायात की मात्रा अधिक होती है, केले और आम का परिवहन विशेष गाड़ियों द्वारा किया जाता है। संदर्भाधीन अवधि में यातायात की मात्रा इतनी थी कि विशेष गाड़ियों का औचित्य नहीं बनता था। फिर भी, इस यातायात के संचलन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस यातायात पर विशेष निगरानी रखने की उपयुक्त हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें फिर से दोहराया गया है।

अशोधित तेल के आयात में कटौती

1704. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अशोधित तेल के आयात में किस सीमा तक कटौती की गई है; और

(ख) क्या इस कटौती का विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्तमान मूल्यों के आधार पर गत वर्ष के 14 मिलियन मीटरी टन के आयात की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 13 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के आयात करने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

रेल हड़ताल के दौरान प्रादेशिक सेना के सैनिकों पर व्यय

1705. **श्री मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल के दौरान तैनात किये गये टैरीटोरियल सेना के सैनिकों पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ख) क्या यह खर्च तथा हड़ताल सम्बन्धी अन्य खर्च का रेलवे की बजट स्थिति पर बुरा प्रभाव पडेगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हां।

गोमोह और बरवाडीह तथा बरवाडीह और डेहरी-ओन-सोन के बीच स्टेशनों की हालत खराब होनी

1706. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कगोमोह और बरवाडोह तथा बरवाडीह और डहरी-ओन-सोन के बीच के स्टेशनों की हालत संतोषजनक नहीं है — वहां प्लेटफार्मों पर पानी के नल नहीं है, प्रतीक्षालय गन्दे हैं, वहां फर्नीचर पूरा नहीं है और इन स्टशनों के बीच पुरानी किस्म की बोगियां चलती हैं, और

(ख) क्या इन स्टेशनों की स्थिति में उपरोक्त दृष्टि से सुधार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठो की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Disparity between the emoluments of railway employees and other services in 'A' Class cities

1707. **Shri Madhav Rao Scindia :**
Shri Ishwar Choudhary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total monthly emoluments drawn by railway employees drawing a basic pay of Rs. 70 per month and residing in Class 'A' cities;

(b) the monthly emoluments of the messengers in other services of the Central Government, nationalised banks, Reserve Bank and Government pharmacies in Class 'A' cities separately; and

(c) the action taken and propossed to be taken to reduce this disparity in emoluments of railway employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The total monthly emoluments drawn by Railway employees whose basic pay is Rs. 70 and are residing in Class 'A' cities is Rs. 201.70, however with the introduction of revised pay scales w.e.f. 1-1-73 this amount has correspondingly been raised to Rs. 277·35.

(b) & (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पांचवी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में नई रेल लाईनें बिछाना

1708. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विद्यमान रेल लाइनों के विस्तार और नई रेल लाइनें बिछाने की कितनी परियोजनायें पांचवीं पचवर्षीय योजना में शामिल की गई है ;

(ख) क्या 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर सब डिवीजन और उत्तर बंगाल में रेल सुविधाओं के विस्तार की कोई योजना शामिल की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पांचवीं योजना में समग्र रूप से शुरू की जाने वाली नयी लाइनों के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी पश्चिम बंगाल राज्य में पांशकुडो और हल्दिया के बीच 69 कि०

मी० लम्बी लाइन के निर्माण का काम दुर्गाचक तक पूरा हो गया है। इस लाइन का विद्युतीकरण हो रहा है। इसके अलावा (i) भूतपूर्व हावड़ा आम्ता लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में जिसमें बड़गछियां-चंपाडांगा शाखा लाइन भी शामिल है एक बड़ी लाइन और (ii) भतपूर्व हावड़ा शियाखला लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में एक बड़ी लाइन का निर्माण 1973-74 के पूरक रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया था। हावड़ा आम्ता चम्पाडांगा लाइन के निर्माण कार्य का प्रधान मंत्री ने 16-7-74 को उद्घाटन किया था। इस लाइन को पूरा करने में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की भागीदारी भी प्रस्तावित है।

निम्नलिखित लाइनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है: —

(i) पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव।

(ii) एकलाखी वैलूरघाट नयी बड़ी लाइन के लिए। इसकी सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में नयी लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण हो रहे हैं और शीघ्र ही पूरे हो जायेंगे।

(ख) बजबज से डायमंड हारबर होकर नामखाना तक एक नयी बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ग) जब प्रस्तावित सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और उसके परिणाम मालूम हो जायेंगे उसके बाद ही इस लाइन की प्रमुख बातों की जानकारी मिल सकेगी और प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने के अतिरिक्त किसी अन्य तेल शोधक कारखाने की स्थापना न करने का निर्णय

1709. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने के अतिरिक्त किसी अन्य तेल शोधक कारखाने को स्थापना के लिये अनुमति न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाना देश को आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) मथुरा संशोधनशाला के अतिरिक्त हल्दिया तथा बोंगई गांव में शोधनशालायें तथा कोयाली विस्तार भी पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान आरम्भ किए जायेंगे। यह आशा की जाती है कि इस अतिरिक्त शोधन क्षमता से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के पर्याप्त भाग को पूरा किया जा सकेगा। विश्व के अशोधित तेल मूल्यों में हाल में हुए दूरगामी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाने वाली इष्टतम शोधन क्षमता तथा उत्पाद मांग के संतुलन पर पुनः विचार किया जा रहा है।

सभी श्रेणियों पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना

1710. **श्री देवेंद्र सिंह गरचा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों की अधिकांश कोटियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतनमान अधिसूचित किये जा चुके हैं। शेष कोटियों के बारे में संशोधित वेतनमान शीघ्र ही घोषित कर दिये जायेंगे।

कर्मचारियों की जो कोटियां बाकी रह गयी हैं उनमें अधिकतर ऐसी छोटी छोटी कोटियां हैं जिन पर वेतन आयोग ने विशिष्ट रूप से विचार नहीं किया था। इन कोटियों की सम्बन्द्ध मुख्य कोटियों के आधार पर संशोधित वेतनामान आबंटित किये जाने हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन में वेतन आयोग द्वारा जिन वेतनमानों की सिफारिश की गयी है, उन पर कुछ विशेष कारणों से सरकार अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं ले सकी है।

मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर खर्च

1711. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री महेंद्र सिंह गिल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जोनल रेल कार्यालयों ने, रेलवे बोर्ड की इच्छा के अनुरूप मियांभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशें लागू कर दी हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन सिफारिशों को स्वीकार करने पर कुल कितना खर्च होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद्र शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मियाभाई अधिकरण की सिफारिशों के कार्यान्वियन की स्थिति बतायी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8130/74**]

(ख) मंजूर की गयी कुछ सिफारिशों के पूर्ण कार्यान्वियन में काफी काम करना होगा इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसमें समय लगेगा। इन सिफारिशों को मंजूर करने का वित्तीय निहितार्थ, सब से बाद के अनुमानों के अनुसार, लगभग 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।

गैर सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उत्पादक

1712. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों का उत्पादन करने वाली गैर सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन में से प्रत्येक कम्पनी पर किस का नियंत्रण है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी में अब तक कुल कितनी पूंजी निवेशित हुई है;

(घ) गैर सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक कम्पनी की स्थापित क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक कम्पनी का वर्ष वार उत्पादन क्या था;

(ङ) प्रत्येक कम्पनी को गत तीन वर्षों में वर्ष वार कितना उत्पादन हुआ; और

(च) उपरोक्त प्रत्येक बातों के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन क्या था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है (विवरण पत्र I) **[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8131/74]**

(ख), (ग) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8131/74]**

सभा पटल पर रखे गयें पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 1974

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Niti Raj Singh Choudhary) : I lay on the Table a copy of the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 1974 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 579 in Gazette of India dated the 15th June, 1974, under sub-section (3) of section 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act. 1958 together with an explanatory memorandum. [*Placed in the Library. See. L. T., No.* 8125/74]

केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1970–71 के वित्तीय लेखे तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं, श्री के० आर० गणेश की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1970-71 के वित्तीय लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 358 (ङ) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अगस्त 1974 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8124/74]

औषधि (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 तथा हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड रसायनी महाराष्ट्र का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत औषधि (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 226क में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्यक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8126/74]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड रसायनी (महाराष्ट्र) का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8127/74]

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नौसेना औपचारिकता सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (छठा संशोधन) विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 192 में प्रकाशित हुए थे।

(2) नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 199 में प्रकाशित हुए थे।

(3) नौसेना औपचारिकता सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 215 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8128/74]

रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं तथा उनकी जांच) नियम 1973

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 84 के अधीन जारी किये गये रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं तथा उनकी जांच) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 575 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को पहले सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8129/74]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा के पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1974, जो लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 1974 को प्राप्त किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अविलम्बनीव लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रीजर्व बैंक के जाली परमिटों पर विदेशी मुद्रा अवैध रूप से बाहर भेजे जाने का समाचार

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपूर) : श्रीमान, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविम्लनीय लोक महत्व के निम्नविषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"रिजर्व बैंक के जाली परमिटो पर विदेशी मुद्रा के अवैध रूप से बाहर भेजे जाने में एक अमरीकी और एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के अन्तर्गस्त होने का समाचार।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : विजया बैंक लिमिटेड ने 11 जुलाई, 1974 को 30,000 अमरीकी डालर की रकम एक परमिट के आधार पर जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किया कहा गया, हांगकांग भेजी। यह परमिट किन्हीं श्री दीपक शान्तिलाल जैन द्वारा बिजया बैंक लि० में पेश किया गया था। श्री दीपक शान्तिलाल जैन ने 19 जुलाई, 1974 को ऐसे ही दो परमिट जो क्रमश: 80,000 व 50,000 अमरीकी डालर के थे, विजया बैंक को दिये और 1,30,000 अमरीकी डालर हांगकांक भेजने को कहा। चूंकि यह रकम एक भारी रकम थी इसलिए विजया बैंक के मैनेजर ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से उक्त परमिटों व उस परमिट की वैधता के बारे में जिसके आधार पर 30,000 अमरिकी डालर भेजे जा चुके थे, जांच करने को कहा। ये परमिट जाली पाये गये व मामला इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जांच पड़ताल करने के लिए सौप दिया गया। इस तरह 1,30,000 अमरीकी डालर तक की राशि भेजने के लिए मंजूर नहीं की गयी।

आरंभिक जांच पड़ताल से पता चलता है कि इस तरह जाली परमिटों के आधार पर रकम एक बैंक से अधिक बैंकों के मार्फत निकाली गयी होगी। अब तक जो जाँच पड़ताल हुई है उसके आधार पर 2.34 करोड़ रुपयों के परमिट इनकी वैधता की जांच करने के लिए अलग निकाले लिये गये हैं। इन परमिटों के बारे में रकम विजया, बैंक आफ अमेरिका और दि बैंक आफ इंडिया के मार्फत भेजी गयी। चूंकि जांच-पड़ताल अभी आरंभिक अवस्था में हैं इसलिए ठीक-ठीक यह बताना कठिन है कि इस तरह जाली परमिटों से कितनी रकम भेजी गयी या इस प्रकार का भुगतान कितने बैंकों द्वारा हुआ।

श्री दीपक शान्तिलाल जैन और उनका एक सहयोगी गिरफ्तार है। इसके अलावा दीपक शान्तिलाल जैन और उनके सहयोगियों के नाम विजया बैंक में खुले हुए खातों में से 42 लाख रुपये जब्त कर लिये गये हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दो अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है और चूंकि यह अफसर इस धोखाघड़ी में शामिल लगते हैं इसलिए उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदम दर्ज करवाया जा रहा है।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री शांतिलाल जैन जैसे लोगों द्वारा करोडों रुपये के काले धन सम्बन्धी गतिविधियों के समाचार हम नित्यप्रति सुनते हैं। केवल वित्त मंत्री ही जानते हैं कि ये लोग इस प्रकार का व्यापार कैसे करते हैं। यह बात सराहनीय है कि सरकार ने श्री दीपक शांतिलाल तथा उनके साथियों को पकड़ा है। इस मामले में रिजर्व बैंक के दो छोटे अधिकारियों को भी पकड़ा गया है लेकनि असली दोषी जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको नहीं पकड़ा गया है। इस बारे में सरकार को एसी कार्यवाही करनी चाहिये जिसके द्वारा सच्चाई सामने आ जाये। वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों में सतर्कता से काम लेना चाहिये। इस बुराई को हमेशा के लिये समाप्त करने हेतु क्या वित्त मंत्रालय में कोई सल खोला गया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने की गयी कार्यवाही की प्रशंसा की है। सौभाग्यवश इस बात का रहस्योद्घाटन पहली बार हुआ है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की है। मेरे विचार में इस मामले में भविष्य में अधिक सतर्कता बरती जायेगी।

Shri Satpal Kapur (Patiyala) : It is pity that inspite of security and control, take permits of such a huge amount have been issued by way of conspiracy from the Reserve Bank. What are the names of these two junior officers who have been suspended for involving in this racket.

Besides Shri Deepak Shantilal Jain what are the names of other parties involved in matter. No light has been thrown on the past record and antecedents of Shri Jain. The statement is not comprehensive. The House should be given an opportunity to discuss the matter in detail so that hon. members could express their views.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य को इन दो अधिकारियों के नाम जानने का हक है। इनके नाम हैं सर्वश्री वाई० आर० मंत्री, स्टाफ आफिसर ग्रेड II तथा बी० एस० प्रधान, एक्सचेंज कन्ट्रोलर इन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

मुख्य व्यक्ति का नाम पहले बता दिया गया है। उसका साथी प्रतापसिंह है। जांच चल रही है। दो करोड़ रुपये के परमिटों की छानबीन हो रही है। मुझे अन्य सूचना की कोई जानकारी नहीं है। जहां तक सदन में चर्चा का सम्बन्ध है। मैं माननीय सदस्य तथा अध्यक्ष महोदय के रास्ते में नहीं आता।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह एक गम्भीर मामला है। वित्त मंत्री का वक्तव्य सही तथ्यों तक नहीं पहुंचा है। यह बात भी मालूम नहीं कि इस प्रकार के घोटालों से इस अपरक्षित बैंक के अतिरिक्त कोई अन्य बैंक भी सम्बद्ध हैं। सम्भवतः उनमें से अनेक सम्बद्ध हो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं।

दो दिन पूर्व एक महत्वपूर्ण अमरीकी नागरिक के गिरफ्तार होने का समाचार प्रकाशित हुआ है। यह व्यक्ति वेस्टिंग हाउस निगम जो किसी ऐसी स्विस कर्म की सहायक कम्पनी है जो स्वयं एक बहुराष्ट्रीय अमरीकी फर्म की सहायक कम्पनी है। यह एक दूसरा घोटाला है इस मामले में एक अमरीकी फर्म भारत में अपने व्यय को कुछ कानुनी और कुछ गैर कानूनी तरीकों से पूरा करती आ रही है।

श्री अध्यक्ष महोदय : आप इस चर्चा को व्यापक बना रहे हैं जो उचित नहीं है।

भोगेन्द्र झा : इस व्यक्ति को पकड़ा गया तथा जमानत पर छोड़ दिया गया। इस मामले से दस लाख रुपये का कर अपवंचन सम्बद्ध है। उसे केवल 50,000 रुपये की जमानत पर छोड़ा गया। वह भाग भी सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर बोलें, जो विचाराधीन है ।

श्री भोगेन्द्र झा : इस मामले में लगभग 200 अन्य जाली परिमिटों का उपयोग किया गया है ।

ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस अमरिकि बैंक के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगी । दो अवर अधिकारियों के अतीरिक्त क्या कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी पकड़ा गया है अथवा पकड़ा जा रहा है इस स्थिति में क्या सरकार का विचार विदेशी बैंक सहित शेष बैंकों के राष्ट्रीयकरण का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जांच पड़ताल के बाद दोषी व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है । कोई अन्य अधिकारी भी पकड़ा जायगा तो उसे भी नहीं छोड़ा जायेगा । यह सम्भव है कि कुछ अधिकारी इस मामले में लापरवा रहेहों । लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि ये बैंक इसके लिये स्वंय जिम्मेवार है **(व्यवधान)**। बैंको ने इस मामले में कोई भी काम जानबझुकर नहीं किया । अमरीका के बैंक के अतिरिक्त एक राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस मामले से सम्बद्ध है **(व्यवधान)**। किसी भी अन्य बैंक को सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है ।

मेघालय के जोवाई के कुछ लोगोंपर कथित हमलें के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ALLEGED ASSAULT ON SOME PEOPLE OF JOWAI IN MEGHALAYA

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): लोक सभा में 29 जुलाई, 1974 को माननीय श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक घटना के बारे में जिक्र किया था जो 11 जुलाई को जोवाई गांव के समीप हुई थी और जिसमें सीमा सड़क संगठन के कार्मिक और स्थानीय असैनिक सम्मिलित थे और जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के अनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो उस समय सभा की कार्यवाही चला रहे थे, कहा कि यह देश के हित में है कि रक्षा मंत्री शीघ्रातिशीघ्र मामले के तथ्यों और की गई तथा प्रस्तावित कार्रवाही के संम्बध में एक वक्तव्य दें ।

अभी तक एकत्र किए गए तथ्य इस प्रकार हैं :—

(1) 17 जुलाई, 1974 को अन्य राज्य में घटना के स्थान से लगभग 200 मील की दूरी पर स्थित पुष्पक परियोजना के मुख्य इंजीनियर से सीमा सड़क संगठन के मुख्यालय को एक सिगनल प्राप्त हुआ कि 11 जुलाई, को 406 रोड मेनटिनेंस लाटून के शिविर पर 4 और सवा छः बजे सांय के बोच स्थानोय असैनिकों ने पत्थर फेंककर और कोटेदार तारों को बाड़ से अनधिकार प्रवेश करके आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरुप सीमा सड़क संगठन के कई एक कार्मिक जख्मी हो गय जिनमें से तीन को गम्भीर चोटें आई और उन्हें जोवाई के अस्पताल में रखा गया था । सिगनल में आगे कहा गया है कि स्थानोय पुलिस से सम्पर्क किया गया और शिविर की सुरक्षा के प्रबंध किए गये ।

(2) सीमा सड़क के महानिदेशालय से प्राप्त बाद की रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि जोवाई के समीप जोवाई-बदरपुर सड़क पर सीमा सड़क शिविर के समीप 11 जुलाई, 1974 को एक स्थानीय मेला हुआ था । दोपहर बाद, मेले में सम्मिलित कुछ स्थानीय नागरिकों ने शराब पी ली और तारों की बाढ़ को काटते हुए तथा शिविर में सीमा सड़क कार्मिकों और उनके परिवारों पर हमला करते हुए सीमा सड़क के शिविर में बल पूर्वक प्रवेश किया । इस हमले के परिणामस्वरुप शिविर के तोन सदस्य गम्भीर रुप से जख्मी हो गये । यह घटना तब हुई जबकि यूनिट के व्यक्ति काम पर बाहर

गये हुए थे। जब वे लोग वापिस आए तो उन्होंने अपने आदमियों को जख्मी पाया और उन्हें अस्पताल ले गये और दोषी व्यक्ति की खोज की जिनको ढूंडा नहीं जा सका। पुलिस मे रिपोर्ट कर दी गई है और यूनिट में पुलिस गार्ड की व्यवस्था कर दी क्योंकि यूनिट के पास अपनी सशस्त्र गार्ड नहीं है।

(3) 30 जुलाई 1974 को मेघालय राज्य को सरकार से टेलीफोन पर सम्पर्क किया गया और उनको रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार-"जैनतिया हिलस में बेहडनटंसलाम नामक वार्षिक त्यौहार के अवसर पर जोवाई-बदरपुर सड़क से आठ मील एक स्थान पर 11 जुलाई 1974 को सांडों की लड़ाई का आयोजन किया गया था। इस सड़क की अब बी० आर० टी० एफ० द्वारा देख भाल की जाती है। सांडों की लड़ाई की लगभग 3,000 व्यक्तियों ने देखा। यह लगभग 4½ बजे समाप्त हो गयी और भीड़ तितर-बितर हो गई। अचानक ही लगभग 100/150 व्यक्तियों की भीड़ ने बी० आर० टी० एफ० के एक छोटे से शिविर के पास उसी क्षेत्र में फुटबाल मैच करने का निर्णय किया। जब दूसरा मैच चल रहा था तो बी० आर० टी० एफ० के कुछ कार्मिक खेल में सम्मिलित होना चाहते थे परन्तु स्थानिय जनता द्वारा मना कर दिए जाने के परिणाम स्वरुप झगड़ा हो गया। बी० आर० टी० एफ के का.मकों का शिविर तक पीछा किया गया और बी० आर० टी० एफ० के कार्मिकों द्वारा प्रतिकार करने पर भीड़ ने शिविर पर पत्थर फेंके। इसी बीच लगभग एक फर्लान्ग की दूरी पर अगले शिविर को सूचना भेज दिए जाने पर बी० आर० टी० एफ० कार्मिकों को कुमक स्थल पर तत्काल पहुच गई। शिविर के कार्मिकों की कुमक और तितर-बितर होती हुई भीड़ के सदस्यों के बीच कई स्थानों पर संघर्ष हुआ। दोनों और बहुत से व्यक्तियों को चोटें आई। यह घटना लगभग 5/5½ बजे हुई। अगली सुबह उस क्षेत्र से स्थानिय ग्रामीणों के दो शव प्राप्त किए गये जिन पर तेज और कुन्द हथियारों की चोटो के निशान थे। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधिक्षक 11/12 रात म लगभग, 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। दोनो तरफ से मामले दर्ज कर लिये गये हैं और जांच पड़ताल चल रही है। इस घटना में किसी लड़की/महिला के साथ किसी व्यक्ति द्वारा किसी दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं है।

इस क्षेत्र में इस बारे में 24 जुलाई को एक सार्वजनिक बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव में भी बी० आर०-टी० एफ० कार्मिकों द्वारा स्थानिय महिला के साथ छेड़-छाड़ और खतों आदि में आमतौर से आनाधिकार प्रवेश की पिछली घटनाओं का प्रसंग है परन्तु इस का उपर्युक्त घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है।

3. मुझे इसका खेद है कि सीमा सड़क कार्मिको और स्थानीय नागरिकों के बीच संघर्ष हुआ और जिसके परिणामस्वरुप दोनों तरफ से व्यक्ति हताहत हुए। इस मामले की पुलिस द्वारा अब जांच-पड़ताल की जा रही है। इस में संदेह नहीं कि कानून स्थापित करने वाला शासन तन्त्र दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि सीमा सड़क संगठन इस बारे में राज्य प्राधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTER UNDER RULE 377

(एक) उड़ीसा में भीषण सूखे की स्थिति

श्री चिंतामणी पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं सदन और सरकार का ध्यान उड़ीसा में गम्भीर सूखा की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। दिनांक 5 अगस्त के 'पट्रियट' तथा अन्य समाचार-पत्रों के अनुसार उड़ीसा के सभी 13 जिलों में सूखा की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहा

[श्री चिंतामणी पाणिग्रही]
धान और चावल के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। इस स्थिति का ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। मैंने वहां के विभिन्न स्थानों का दौरा किया है तथा वहाँ अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस ओर विशष ध्यान दे तथा वहाँ को जनता के लिये अधिकाधिक सहायता उपलब्ध कराये।

(दो) केरल के इडिकी जिले में बड़े पैमानेपर भू-स्खलन

श्री सी० एम० स्टीफन (मक्त्तुपुजा) : महोदय ! केरल के इडिक्की जिले में भूस्खलन की अत्यंत दुःखद घटना घटी है। वहाँ पहाड़ के पहाड़ टूटपड़े हैं जिनके नोचे हजारों मकान दब गये है तथा हजारों व्यक्ति बेघर हो गये हैं।

इडिक्की जिले में पनबिजली परियोजना है। इस क्षेत्र पर भो बुरा प्रभाव पड़ा है। यह प्राकृतिक विनाश को घटना केन्द्रोय सरकार तथा राज्य सरकार के लिये एक चुनौती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट ने उस क्षेत्र का दौरा करके प्रधान मंत्रो को एक याचिका भेजी है। मैं इसके कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि भूस्खलन तथा बाढ़ से लाखों एकड़ भूमि बेकार हो गई है। मोलों तक फसल नष्ट हो गई है हजारों मकान धराशाहो हो गये हैं। हम अकेले जिले में 34 व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार है। वास्तव में इस विनाश को स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता।

वित्त आयोग ने बहुत छोटी धनराशि अलाट की है। केरल को प्रतिवर्ष केवल 30 लाख रुपया दिया जाता है। इस सन्दर्भ में मेरा अनुरोध है कि इस मामले की चर्चा किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये जिससे वित्त मंत्रो इस स्थिति को स्पष्ट कर सकें। वहाँ पर सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया है तथा सभो प्रकार को सुविधाओं का प्रनिर्निमाण किया जाना है। अतः इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : A news-item has appeared in today's 'Nav Bharat Times' that an hon. member of this House, Shri Ishwar Chaudhary, alongwith the other *Satyagrahis*, was brought to the court from the Jail duly hand cuffed. The treatment given to the hon. member of the House is not an insult of the hon. member only but of the House as well. I think the people launching peaceful satyagrah should not be given such derogatory treatment. The minister of Home Affairs should clarify the situation.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय दिल्लो दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई दिये ये दूध की इस बोतल में कीटाणु हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसो शिकायतों को प्रशासन के पास भेजा जाना चाहिये। इन छोटी-छोटी बातों पर सभा का समय नष्ट नहीं होना चाहिये।

तेल उद्योग (विकास) विधेयक

OIL INDUSTRY (DEVELOPMENT BILL)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड को स्थापना के लिये और उस प्रयोजनार्थ कच्चे तेल और प्रतकृतिक जैस पर उत्पादन शुल्क उद्गृहीत करने और उससे सम्बद्ध मामलों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत स्पष्ट और साधारण है। अशोधित तेल की कमी तथा इसके मूल्य में भारी वृद्धि के कारण हमारे आर्थिक विकास में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। गतवर्ष हमें 2 डालर और 6 सेंट को हिसाब से अशोधित तेल खरीदना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने मुझे एक पर्ची भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में उन्हें कुछ आपत्ति है। मेरे विचार से आप उनके बोलने के पश्चात् अपना उत्तर दें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : At the time when the hon. Minister wanted to introduce this Bill, an objection was raised on introduction on the ground that no notice was given by the Government. The argument advanced by the Government regarding this bill as recent has been proved false. According to Rule 74, when a Bill is introduced the Minister concerned is required to make one of the motions mentioned in the said rule. At that time members are entitled to give notices of amendments in the Bill. I wanted to give notice of a motion but it was not possible for me to do so unless it is decided whether the Bill is money bill or not.

In this Bill Government have intermingled two different objections, that is the establishment of a Board and levy a duty of excise on crude oil. Thus, this approach of the Government can not be said justifiable. So far as the levy duty of excise on crude of is concerned, this matter comes under the provisions of Article 110(1) and on this basis this Bill can be considered a money bill. But the matter pertaining to development of oil industry is different.

Now, if this Bill is decided to be a money Bill, then the Rajya Sabha will be deprived of its rights of making amendments in this Bill. In that case Rajya Sabha can make recommendations only. If this Bill is termed as non-money Bill, then the status of Lok Sabha is lowered because of the fact that there are financial implications in it. Thus the Government have created a serious problem before the House.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : प्रश्न यह है कि क्या प्रबन्ध तथा कर की वृद्धि सम्बन्धी दो नितांत भिन्न उद्देश्यों को इस प्रकार मिलाया जा सकता है। यह विधेयक मिश्रित विधेयक है। तथा इस प्रकार के विधेयकों को पहले भी अनुमति नहीं दी गई।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : महोदय ! संविधान के अनुछेद 110(1) में कहा गया है कि कोई भी विधेयक जिसका सम्बन्ध ऐसे भुगतान से है जो भारत को समेकित निधि में जाती है तथा इसमें से खर्च होती है इसे वित्त विधेयक माना जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कर लगाना है। प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को तेल उद्योग के नियंत्रण के लिये विनिमय विधेयक के रुप में लाया जा सकता है ? इस विधेयक को वित्त मंत्री द्वारा नहीं वरन पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किया जा रहा है।

श्री आर० वी० बड़े (खारगोन) : विधेयक के उद्देश्य और कारण सम्बन्धी विवरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकार अशोधित तेल पर 60 रुपया प्रतिटन के हिसाब से कर लाकर धनराशि एकत्र करना चाहती है। अतः यह वित्त विधेयक है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सरकार ने यह मिश्रित तथा भ्रांतिपूर्ण विधेयक लाने की कुचेष्टा की है। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित किये जाने की अनुमति नहीं दी जाये तथा सरकार के इस रवैये पर भी विनिर्णय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि यह विधेयक अत्यंत गोपनीय होगा और इससे सम्बन्धित जानकारी का प्रकाशन होने पर भारी धनराशि की हानि होगी। इसी दृष्टि से मैंने कहा था कि इसे गोपनीय रहने दिया जाये। किन्तु मैंने मंत्री महोदय से अप्रत्यक्ष रुप से अपने विचार व्यक्त करा दिये थे।

अब तथ्यों का उद्‌घाटन होने पर ज्ञात होता है कि खण्ड 15 और 16 के अधीन सरकार कर लगाना चाहती है। इस स्थिति में अध्यक्ष को संविधान में निहित व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले सकता। यह मेरा मत है। मंत्री महोदय! आपने मुझे विषम स्थिति में डाल दिया है। यदि अब मैं कहता हूं कि यह वित्त विधेयक नहीं है तो मैं अपने साथ अन्याय करता हूं और यदि कहता हूं कि यह वित्त विधेयक है तो राज्य सभा के साथ अन्याय करता हूं। इसमें क्या गोपनीयता थी। मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री डी० के० बरुआ : महोदय! इस विधेयक को गोपनीय विधेयक के रुप में पुरःस्थापित किया गया था। संविधान में इसकी अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय : वह युद्ध काल के लिए है।

श्री डी० के० बरुआ : मैंने सभा में प्रस्ताव किया था कि इस विधेयक को गोपनीय विधेयक के रुप में पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाए। यह मेरा निर्णय नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह अध्यक्ष पीठ को दोषी ठहरा रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री डी० के० बरुआ : महोदय, आपको स्मरण होगा कि विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के समय श्री ज्योतिर्मय बसु ने पूछा था कि क्या सरकार तेल कंपनियों तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर कोई कर लगायेगी। मैंने उत्तर दिया था कि सरकार ओ० एन० जी० सी० आसाम आयल कम्पनी तथा आयल इण्डिया से कर वसूल करेगी। अतः इसका उद्देश्य यह था कि विधेयक पुरः स्थापित किये जाने पर सरकार कर वसूल कर सकती थी। सभा ने इसकी अनुमति दी थी **(व्यवधान)**। मैं आपके निर्णय का पूरी तरह से पालन करुंगा। इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन वसूल की जाने वाली राशि का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिस पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का नियंत्रण होगा। इस विधेयक का कोई दुसरा उद्देश्य नहीं है। वसूल की जाने वाली राशि का उपयोग उद्योग के विकास के लिये किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जिस समय यह विधेयक लाया गया था उस समय इसे किसी भी माननीय सदस्य ने देखा नहीं था। उस समय मैंने यह कहा था कि इसे पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् इसपर विचार करने की स्थिति के समय माननीय सदस्यों को आपत्ति करने का अधिकार होगा। अतः अब उन्हे आपत्ति करने का अधिकार है।

मंत्री महोदय का यह कहना सच हो सकता है कि सरकार इससे कर वसूल कर सकती है। किन्तु सरकार को कर की प्राप्ति के लिये मैं नियमों तथा संवैधानिक समस्या का कैसे उल्लंघन कर सकता हूं। मुझे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा तथा कोई प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। किन्तु मैं सभी मंत्रीयों को यह बता देना चाहता हूं कि भविष्य में मैं किसी विधेयक को गुप्त विधेयक के रुप में पुरःस्थापित करने की तब तक अनुमति नहीं दूंगा जब तक वे यह लिखकर न दें कि विधेयक में कर सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि मंत्री महोदय इसे वित्त विधेयक का दूसरे भाग के रुप में लाते तो भी कुछ न्यायोचित बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : वह उपयुक्त बात होती किन्तु उन्होंने ऐसा नही किया। किन्तु जो भी किया गया है वह देश के हित को ध्यान में रखते हुये किया गया है। इसके लिये कोई नई प्रक्रिया बनानी होगी क्योंकि इसको वापस भी नहीं लिया जा सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा सुझाव है कि कर सम्बन्धी भाग को वित्त विधेयक के साथ जोड़ दिया जाय।

श्री मधु लिमये : इसे स्थगित कर दिया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Let as postpone the discussion on it and let us think to find some solution of this problem.

अध्यक्ष महोदय : हमारे समक्ष कठिन स्थिति आ गई है। हम इस पर विचार करना चाहते हैं। अतः इसे स्थगित किया जाये।

भाखड़ा के बिजली घर में पानी भरने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. FLOODING OF POWER HOUSE AT BHAKRA

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : दिनांक 5 अगस्त, 1974 को 11.50 बजे भाखड़ा बिजली घर के बांये तट की ई० एल० 1150 दीर्घाएं ड्राफ्ट ट्यूब डिवाटिंग वाल्वों के माध्यम से बाढ़ के पानी से भरने लगी। बिजली घर के बाईं ओर के सारे संयंत्र बन्द कर दिये गये और पानी निकालने का कार्य तुरंत आरम्भ कर दिया गया।

पानी 19.00 बजे उतरना आरम्भ हो गया था और पानी निकालने का कार्य आज (6 अगस्त, 1974) 10.45 बजे पुनः चालू हो गया है। बिजली सप्लाई की स्थिति सामान्य हो गई है।

जब बांये तट का बिजली घर (जो उस समय 180 मैगावाट बिजली तैयार कर रहा था) 11.50 बजे बन्द हो गया था, तो उसने 5 अगस्त, 1974 को 12.00 बजे बिजली तैयार करना बन्द कर दिया था। उस समय उसका सिस्टम लोड 588 मैगावाट था। उसके उत्पादन दबाव (लोड) को 14.00 बजे घटा कर 235 मैगावाट कर दिया गया था ताकि पानी निकालने का कार्य सुगमता से हो सके और फिर 16.00 बजे इसकी बिजली उत्पादन प्रक्रिया 394 मैगावाट तक पहुंच गई जो उस समय लगभग सामान्य थी।

फिर भी नांगल उर्वरक का दबाव (72 मैगावाट) जिसका बाये तट के बिजली घर से सीधा सम्बन्ध था पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि दांये तट को बिजली घर ने स्थानांतरण क्षमता बहुत कम थी। कल 16.00 बजे से फैक्टरी की 48 मैगावाट बिजली सप्लाई हो रही है। आज प्रातः 10.45 बजे से बिजली की सप्लाई बढ़ाकर 72 मैगावाट कर दी गई है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till quarter past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 20 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at twenty minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मुख्य पत्तन (संशोधन) विधेयक

MAJOR PORT TRUSTS (AMENDMENT) BILL

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) ; Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend the Major Port Trusts Act, 1963 be taken into consideration".

Sir, this Bill has been brought in accordance with the recommendations of the Major Ports Commission which was appointed in 1968 to recommend the ways and means for bringing a comprehensive Bill for the Major Ports in India. Three Major Ports i.e. Bombay, Calcutta and Madras, are not covered under the provisions of Major Port Trusts Act, 1963. The main objective of this Bill is to cover these three Major Ports under the provisions of Major Ports Trust Act because of the fact that these provisions have been found suitable for better performance of the ports.

We have also consulted the Chairman of Bombay Port, the Commissioner of Calcutta port and the Chairman of the Madras port. Through this Bill about 24 sections of the M.P.T Act are envisaged to be amended. So far Central Government had no right to issue directives to these three Major Ports on the policy matters. But according to the recommendations of the said Commission, Central Government should have a right to issue such directives in view of the fact that Central Government spend heavy amounts on these ports.

The main purpose of another amendment is regarding the financial and administrative rights which are quite rigid. It is envisaged in this Bill to make them flexible. The third amendment deals with the composition of the Ports. The recommendation of the Commission was to bring uniformity in this respect. It had recommended 19 and 15 trustees for major ports and minor ports respectively. As the Government thought the number of members is less, so it was increased to 21 and 19 respectively. An amendment has been brought in this regard also. Formerly users had predominence in these trustees but now ship owners and local and public bodies have been given representation in it. We have not changed the system of having two representatives of workers as was provided in the Parent Act. The number may be increased but the minimum number will remain as two representatives of workers. According to the Major Ports Trusts Act, an employee of the Port can also be nominated as representative in the trustees. Now the representatives of Labour and Public Undertakings can take part in the discussions and meetings.

In the same way the board has been divested of the powers of making appointment and promotion. Now the Central Government will appoint Chairman and Deputy Chairman, Head of the Departments and General Manager. The Government will also make appointment of office bearers earning salary two thousand rupees or more in consultation with the Chairman. This bill is purported to remove lacunas in the Major Port Acts. In this bill provision has been made to continue the rules and regulations till the appointment of new boards. We may accept the ammendment of Shri Shastriji.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान): इस विधेयक का उद्देश्य बड़े बंदर गाहो के बारें में आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्यरुप देना है। हालाँकि आयोग ने 160 सिफारिशें की थी परन्तु सरकार एक या दो सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु यह विधयक लाई है। महत्वपूर्ण सिफारिशों को छोड़ दिया गया है और केवल पत्तन न्यास अथवा प्रबंधक बोर्डों का पुन: गठन करने हेतु यह विधयक लाया गया है। एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पुराने अधिनियम में नगरपालिका द्वारा संपत्ति के आकलन संबंधी प्रावधान को हटा दिया बोये परन्तु अब सरकार उस प्रावधानों को बनाए रखना चाहती है ताकि वह पत्तन न्यास संबंधी संपत्ति के मामले में नगरपालिक कर और शुल्कों के भुगतान से बच सकें, सरकार ने आयोग की इस संबंध में की गई सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। अब इस प्रकार की धारणा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि बोर्ड ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और यदि बोर्डों में परिवर्तन लाया गया तो विभिन्न पत्तनों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

आज कलकत्ता पत्तन की स्थिति क्या हो गई है? इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है, यहां माल यातायात की मात्रा कम हो गई है। यदि फरक्का बांध से पानी नहीं छोड़ा गया कि हुगली नदी में जहाजों के आने जाने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, कलकत्ता पत्तन हुगली नदी की नौवहन क्षमता पर आधारित है। इस संबंध में अनेक सुझाव दिए गए थे परन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया गया। आज स्थिति यह है कि जहां वर्ष 1928 में कलकत्ता से 10 लाख टन सामान ले जाने में 130 जहाजों की आवश्यकता पडती थी वहां नदी में गाढ़ भर जाने तथा अन्य कठिनाइयों के कारण वर्ष 1971 में उसी मात्रा में सामान को ले जाने में 177 जहाजों की आवश्यकता पड़ती है। मेरा यह निवेदन है कि आयोग की मुख्य सिफारिश को ध्यान में नहीं रखा गया है और मुख्य पत्तनों के बेहत्तर कार्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह कहने में कोई खास बात नहीं है कि कामगारों के दो प्रतिनिधियों को रखने से सारी बुराइयों दूर हो जाएंगी। मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु मेरा यह कहना है कि देश में ऐसी धारणा न फैलाओ कि आपके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है ताकि देशमें बड़े पत्तनों के कार्यकरण में सुधार लाया जा सकें यह मत सोचिए कि न्यास के सदस्यों की संख्या बढाकर आप कोई करिश्मा कर दिखायेंगे। आपको समस्या पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करना पड़ेगा, यह मत सोचिए कि कलकत्ता पत्तन के समाप्त होने पर हमारा देश प्रगति के मार्ग में चलेगा। इस तरह का भ्रामक विचार मत पालिए। मेरा यह कहना है कि प्रतिवेदन दिए जाने के बावजूद भी कलकत्ता पत्तन के कार्य को सुधारने के लिए कोई उपयुक्त प्रयास नहीं किया गया है, तलकर्षण के कार्य में काफी धन व्यय किया जा रहा है परन्तु इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, विशेषज्ञों ने विभिन्न सुझाव दिए है, मैं जानना चाहता हूँ कि कलकत्ता पत्तन के सुधार के लिए क्या कार्य-वाही की गई है, एक सुझाव यह था कि फाल्टा के निकट पाकुरिया के पास हुगली नदी पर लाक्स ओर रेगुलेटिंग गेट लगा कर बांध का निर्माण किया जाये इससे 35' ड्राट वाले जहाज कलकत्ता पत्तन पर आ सकेंगे। फिर इसी प्रकार का एक बाँध हल्दिया के नीचे भी बनाए जाने की आवश्यकता है। हुगली नदी के दोनों किनारों पर दो बांध बनाने से उसकी चौडाई 15 मील से घट कर 2-3 मील हो जाएगी। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से यह बताएं कि फरक्का बांध से हुगली नदी को कब पानी उपलब्ध होगा। कलकत्ता पत्तन को माल उतारने की कोई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है, वहां माल चढ़ाने तथा उतारने और सड़क सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके बिना पत्तन भली-भांती कार्य नहीं कर सकते हैं। भारत के विभिन्न पत्तनों पर भिन्न-भिन्न शुल्क लिए जाते हैं जिसके कारण पत्तनों के कार्य में रूकावट पड़ रही हैं। आयोग ने सुझाव दिया था कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय पत्तन न्यास प्राधिकरण गठित की जाए। परन्तु इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में जो नियंत्रण अपने हाथ लिया है उसे नौकरशाही नियंत्रण की संज्ञा दी जा सकती है। इससे कठिनाईयां दूर नहीं की जा सकती है। सरकार को इस मामले मार्गनिर्देश सिद्धान्त बनाने चाहिए। मैं नही समझता कि अध्यक्ष को और अधिक अधिकार दिए जाने से वे बेहतर रुप से कार्य करेंगे।

अध्यक्ष और बोर्ड के अधिकारों में भिन्नता होने के क्या कारण है। न्यासी बोर्ड को अधिकार क्यों नहीं दिए गए है और अध्यक्ष को बोर्ड से अधिक अधिकार क्यों दिए गए है, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को पर्याय प्रतिनिधित्व दिए जाने चाहिए। इस संबंध मे मार्ग निर्देशन सिध्दान्त निर्धारित किए जाने चाहिए। अधिकारियों की नियुक्ति वस्तुतः उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहां तक विभिन्न पत्तनों का प्रश्न है उन में भ्रष्टाचार और पद दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है, भारत के सभी बड़े पत्तनों के संबंध में एकरुपता लाई जाने की आवश्यकता है, सरकार को चाहिए कि आयोग की सिफारिशों को समग्र रुप में स्वीकार करके पत्तनों के कार्य मे सुधार लाये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसका उद्देश्य मुख्य पत्तनों के बारे में आयोग द्वारा किए गए कुछ सिफारिशों को कार्यरुप देना है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बंदरगाह एसोसिएशन ने भी एक अध्ययन दल को भेजा था जिसने अपना प्रतिवेदन दिया था। इस समय मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में देश मे समुद्र वाले प्रत्येक राज्य के लिए एक बड़ा पत्तन होने की बात कही गई है परन्तु कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है...

श्री कमलापति त्रिपाठी : मंगलौर को बड़ा पत्तन बनाया गया है।

श्री बी० वी० नायक : मुझे प्रसन्नता है मंत्री महोदय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है कि मंगलौर को बड़ा पत्तन बनाया जायगा। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के अन्तर्गत मुख्य पत्तन न्यास बनाया जायेगा कि नहीं?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : दो पत्तनों को मुख्य पत्तन घोषित किया गया है यथा तूतीकोरीन और मंगलौर, चूंकि उन्हें अभी मुख्य पत्तन घोषित किया गया है इसलिए कोई पत्तन न्यास नहीं बनाया गया है. और न ही उन पर मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 लागू होता है परंतु उन्हें विभागीय तौर पर चलाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम के संशोधन के बाद मंगलौर इसके अन्तर्गत आ जायेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी : निश्चय ही आयेगा

श्री बी० वी० नायक : भविष्य मे पत्तनों का चयन करते समय राजनीतिक दबाबों के प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। इसके अलावा देश में सभी पत्तनों के लिए समान अधिनियम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार बड़े पत्तनों की ओर ध्यान दे और छोटे पत्तनों को छोड़ दे। यदि छोटे पत्तनों की ओर ध्यान दिया जायेगा तो बड़े पत्तनों पर अधिक भीड़ भाड़ तथा काम के दबाव को कम किया जा सकता है। आप जब तक समान कानून नहीं लायेंगे तब तक देश के शेष पत्तनों का सुधार नहीं हो सकता है। यह राष्ट्र की बड़ी हानी है।

अंतर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बंदरगाह एसोसिएशन ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार को कीमती पूंजीगत उपकरणों की खरीद स्वयं करनी चाहिए। इससे यह संकेत होता है कि हमारे पत्तन न्यास उचित रुप से खरीदारी नहीं करते हैं और उन में भ्रष्टाचार है। इन के अलावा अन्य खामियों को दूर किए जाने की आवशकता है जैसे विलम्ब शुल्क को कम किया जा सकता है जो हमे हजारों रुपयों की विदेशी मुद्रा के रुप में देना पड़ता है। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या हम इस मुख्य पत्तन न्यासों की पूरी क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (पांडिचरी) : हालांकि मैं इस विधेयक में निहित विचार का स्वागत करती हूं परन्तु फिर भी इसके संबंध मे मेरी कुछ आशंकाएं हैं। इसमे चिन्ताजनक बात यह है कि विधेयक के खंड 9, 10 और 11 के द्वारा अध्यक्ष को, जिसके पास पहले ही अधिक अधिकार हैं, और अधिक अधिकार दिए गए हैं इससे पत्तन न्यास के सदस्यो को अध्यक्ष से आगे झुकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इन बोर्डों के विभिन्न सदस्यों के कृत्यों की व्यास्या नहीं की गई है। अध्यक्ष को किसी भी सदस्य की बात को अस्वीकार करने का अधिकार करने का अधिकार दिया गया है। इस लिए सदस्यों के कृत्यों की पूर्ण व्याख्या होनी चाहिए ताकि नौकरशाही से बचा जा सके। मुझे प्रसन्नता होती अगर इस विधेयक में ऐसे खंड नहीं होते जिसके अनुसार बोर्ड के अधिकारों को कम किया गया है और अध्यक्ष के अधिकारों को बढ़ाया गया है।

विभिन्न पत्तनों मे कार्मिक संघों को मान्यता देने के बारे में समान नीति नहीं है। जांच के उपरांत कतिपय कार्मिक संघों को बोर्डों में प्रतिनिधित्व मिल जाता है परन्तु उस संघ को फिर भी मान्यता नहीं मिलती है। इससे अनेक विवादों को निचले स्तर पर ही हल नहीं किया जा सकता है। इससे हड़तालें होती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे कार्मिक संघो को मान्यता देने के लिए कुछ उपबंधों की व्यवस्था करें ताकि श्रमिक तथा औद्योगिक समस्याओं को आपसी बातचीत से यथाशीघ्र हल किया जा सके।

मद्रास पोर्ट यूनाइटिड लेबर यूनियन को अभी तक मान्यता नहीं दी गई जब कि गत वर्ष इसके सदस्यों की संख्या 6400 थी। गत दो वर्षों मे इस पत्तन पर हड़तालें हुई और तत्सम्बन्धी विवादों को तभी हल किया जा सकता था यदि युनियन के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया जाता।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि तूतीकोरिन को क्यों छोड़ा गया है।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : इसे भी प्रमुख पत्तन घोषित कर दिया गया है और अधिसूचना जारी कर दी गई है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : राज्य सरकार ने सिफारीश की थी कि तूतीकोरिन पत्तन को प्रमुख पत्तन माना जाय। प्रश्न यह है तूतीकोरिन मे पत्तन परियोजना के श्रमिकों का पत्तन न्यास में खपाया जायेगा कि नहीं। यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि तूतीकोरिन पत्तन को इस विधेयक में भी सम्मिलित किया जाये।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न प्रमुख पत्तनों मे समानता लाई जा सकेगी।

इस विधेयक मे श्रमिकों के प्रतिनिधित्व मे सम्बन्धित व्यवस्था पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिये। श्रमिकों के कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे तथा केन्द्रीय सरकार उनके बारे मे वहाँ की पंजीकृत यूनियन की राय लेकर उनकी नियुक्ति करेगी। मेरा सुझाव है कि पत्तन न्यास मे स्थानीय संसद सदस्य तथा विधान सभा सदस्य को नामांकित किया जाना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार पारादीप पत्तन की ओर ध्यान दे रही है। इसका निर्माण राज्य सरकार ने स्वयं किया था तथा इस पर 16 करोड़ रुपये खर्च किये थे। केन्द्रीय सरकार ने यह वचन दिया था कि राज्य सरकार को यह राशि दे दी जायेगा। किन्तु अभी तक उस वचन को पूरा नहीं किया गया।

जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिये कटक-पारादीप रेलवे लाइन बनाई गई थी। उस समय यह विचार था कि प्रतिवर्ष लगभग 3-4 करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा किंतु मालडिब्बे उपलब्ध न होने के कारण पारादीप पत्तन से जापान भेजे जाने के लिये अब 60,000 टन लौह अयस्क भी पत्तन पर नहीं पहुंचता। इस पत्तन पर तीन एजेंसियां काम करती हैं। अर्थात् पत्तन न्यास, रेलवे और एम० एस० टी० सी० तथा इन तीनों में कोई समन्वय नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि उस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई है जिसे तीनों एजेंसियो के कार्यकरण में समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

वैगन सप्लाई किए जाने की प्रणाली के बारे में गत तीन वर्षों से परिवहन मंत्रालय विचार कर रहा है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया। मेरा सुझाव है कि सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय करें जिससे अधिकाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जा सके।

[श्री चिंतामणी पाणिग्रही]

सामान्य कारगो बर्थ के बारे में सरकार ने मंजूरी दे दी है किन्तु पांचवीं योजना में एक भी कारगो बर्थ पूरी नहीं की गई। पारादीप पत्तन की क्षमता 70 लाख टन से 90 लाख टन तक है किन्तु यदि परिवहन मंत्रालय इस बारे में कोई रुचि नहीं लेगा तो इस पत्तन का कोई विकास नहीं होगा।

शिलान्यास के समय नेहरू बंगले से समुद्र तीन मील दूर था किन्तु अब वह केवल 200 फुट दूर रह गया है। अतः वहाँ भूमि कटाव की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि इस भूमि कटाव पर नियंत्रण नहीं किया जायेगा तो 34 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्रमुख पत्तन को भारी क्षति होगी।

उड़ीसा की जनता को शिप बिल्डिंग यार्ड के बारे में कुछ आश्वासन देने के लिये मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर अनुकूलस्वरुप से विचार किया जाये।

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : Sir, it seems to me that the Hon. Minister wants to bring all the major ports within the ambit of the Act of 1963 through this Bill. He has not taken into account the international status of these three major ports on the basis of which separate laws were applicable to them. I think therefore, that through this Bill these ports can not be developed. Actually, in the guise of recommendations of the commission Government is trying to curb the powers of the Port Trust and wants to concentrate power in their own hands.

There is every possibility of developing Govt. port as an international port. It was stated that Rs. 27 crores were sanctioned for the said port. But no steps have been taken in this regard as yet. I would like to mention that due to the mismanagement, the cases of strike and disputes are on the in crease at Goa port, resulting in heavy losses to the Government. Proper steps should be taken in this regard while concluding, I suggest that serious thought should be given by the Hon. Minister to bring radical changes in this Bill.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Sir, all the major ports in our country are governed by four different sets of rules The purpose of this Bill is to bring them all under uniform law and thus the Bill is a praiseworthy step. I would also like to draw the attention of the hon. Minister to certain important points.

So far as the representation of labour in the Board of Trustees is concerned, Government has not made any improvement in the system of giving them representation. According to this Bill, the Government will nominate two representatives of the labour. It is not a democratic way of giving them representation. I would like to suggest that all the workers, irrespective of their affiliation to recognised or unrecognised unions, should be given a right to elect their common representatives to avoid any clash between the unions. It would be much better if the number of representatives is increased to four.

Secondly, the Board of Trustees would have a representative of the state in which the port is situated. I would like to suggest that it should have representatives from all the States served by a port. For instance, Kandla should have representatives from Rajasthan, Haryana and Punjab as well.

Under the provisions of this original Act, the unclaimed goods are auctioned. This Bill provides that the unclaimed property would be disposed of by inviting tenders from private parties . This would open flood-gates of corruption. I suggest that the original provision should be retained.

More powers have been given to the Chairman in regard to the appointment to certain posts in Port Trust. In this respect also the original provision is more salutory and the Chairman should make appointments in consultation with the Board, in accordance with the previous practice.

I would also like to suggest that the ownership of the private publice landing places should be retained with the Port Trust so that these places are not occupied by any private persons.

I also suggest that the Calcutta and Kandla ports should be developed fully. More and more facilities should be provided in the hinterland.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड) : महोदय ! हमारे प्रमुख पत्तनो का कार्यकरण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना होना चाहिये तथा हम विधेयक में उन सभी पहलुओ को ध्यान में रखकर व्यवस्था करनी चाहिये थी। वर्ष 1968 में प्रमुख पत्तन अध्ययन दल नियुक्त किया गया था जिसने यह सिफारिश की थी कि पत्तन न्यास के पुनर्गठन के बारे में गम्भीर अध्ययन किया जाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओ का उपयोग किया जाना चाहिये । इसी सिफारिश के आधार पर सरकार ने प्रमुख पत्तन आयोग नियुक्त किया जिसने बहुत सी सिफारिशें कीं। सरकार ने उक्त आयोग की केवल एक ही सिफारिश क्रियान्वित की है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई पत्तनों को पत्तन न्यास अधिनियम के उपबन्धो के अन्तर्गत लाया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि उक्त आयोग की अन्य सिफारिशों को लागू करने के लिये कदम क्यो नहीं उठाये गये ।

मैं सभा का ध्यान भारतीय प्रमुख पत्तनों सम्बन्धी अध्ययन दल की इस टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूं कि पत्तन न्यासो के अधिकांश चेयरमैन आई० ए० एस० अथवा आई० सी० एस० अधिकारी हैं अत: उन्हें प्रशासन सम्बन्धी अनुभव तो बहुत है किन्तु प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव कम है। उन्हें पत्तनो के कार्यकरण का भी कोई अनुभव नहीं है। अथवा यही भी परिणाम होगा कि पत्तनों को घाटा होगा। कल ही मंत्री महोदय ने सभा में कहा था कि पारादीप पत्तन को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। किन्तु सरकार ने इस विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे पत्तनों के कार्यकरण में सुधार किया जा सके ।

अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की थी कि पत्तन न्यास के प्रबन्ध के लिये महा-प्रबन्धक का पद बनाया जाये तथा चेयरमैन को पत्तन का संचालन सम्बन्ध कार्य सौंपा जाये। इस सन्दर्भ में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चैयरमैन के पद पर गैर-तकनीकी व्यक्तियों को रखे जाने के क्या कारण हैं ?

प्रमुख पत्तन आयोग ने 10 वे अध्याय में कांडला, पारादीप तुतीकोरित और मंगलौर पत्तनों के बारे में निम्न विशेष सिफारिशें की हैं : (i) सिविल निर्माण कार्यों की पूंजी लागत का 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाये (ii) इन पत्तनों से ब्याज और मूलधन की अदायगी के रुपमें अनुदान की राशि घटाकर पूंजीगत परिव्यय की 50 प्रतिशत राशि भी वसूल की जाये (iii) परियोजना की निर्माण की स्थिति के दौरान ब्याज को पूंजी में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाये (iv) ऋण वसूली की अवधि 30 वर्ष की जाये किन्तु सरकार पारादीप पत्तन से मूलधन के साथ-साथ ब्याज भी वसूल कर रही है, जिसके कारण उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिये भी धनराशि नहीं है। लगभग सभी पत्तनो की लाभप्रदता की दर घटती जा रही है। अत: मेरा सुझाव है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दें तथा इसके विचार के लिए उपयुक्त कदम उठाये।

Shri M. C. Daga (Pali) : Sir, this Bill has been brought in pursuance of the recommendations made by a committee in 1963. Government has brought this Bill after eleven long years. This Committee made 127 recommendations. It is quite strange that Government has taken steps to implement its only one recommendation for bringing all major ports under one uniform law and has ignored all the other recommendations of the Committee.

The affairs of the most of the ports are mismanaged. There are labour problems. There are problems of roads and equipments. Huge quantities of iron ore and salt are exported from the ports. We have to see whether this export is being done at competitive costs. This should be examined and the working of Port Trusts should be improved.

In these circumstances, I would like to urge upon hon. Minister that he should bring a more comprehensive Bill which should cover all the important recommendations of the Major Ports Commission.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, under clause 4 of the Bill, Government has tried to give representation in the Board of Trustees to the various interests. There should also be two representatives of the Corporation or municipality in the Board of Trustees. I wonder how this aspect has been completely ignored by the Government.

The Government has given more powers to the Chairman of the Board under this Bill. This is not justified. I would like to suggest in this regard that original clause should be retained.

So far as the clauses Nos. 22 and 23 are concerned, I do not support the amendments made therein. Under the original Act, unclaimed goods are disposed of by auction. But this Bill provides that much goods will be disposed of by inviting tenders, by private agreement or any other manner. I suggest that here also original clause should be retained.

I have received letters regarding the ownership of the foreshore lands. People are complaining against the Government of Maharashtra for selling foreshore lands to the vested interest, to the detriment of the general public. I charge the central Government of the loot with the connivance of the State Government. Sir, I have got this map of Bombay harbour with great difficulty.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मंत्री महोदय को दे दीजिये।

Shri Madhu Limaye : I want to place it on the Table of the House. I devoted eight hours to study this map. I would also like to submit this book named Indian Tide Table to the hon. Minister for his guidance.

So far as the sale of plots are concerned, the municipality was totally against the sale. But the Government of Maharashtra sold 16 plots secretly. I have got the list of names of the parties which includes M/s. Dalamal and Sons, Mani Ram Mittal etc. It is also a fact that Rs. 2·80 crores have been given as briebe. When this matter went before the court and injunction was issued, the sixteen people who had purchased the plots approached our lawyers and explained their plight.. (*Interruption*).

Shri Kamlapati Tripathi : I wanted to know whether the matter is subjudice or not?

Shri Madhu Limaye : What I am saying, that is not sub-judice, when the matter wa brought before the Prime Minister, the Chief Minister of Maharashtra stated that Backbay Reclamation should not be there. So far as legal, position is concerned, Article 297 provides that "All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the Terriorial waters of India shall rest in the Union". May I know whether the area coming under Backbay Reclamation is covered under Article 297 or not? How the lands are being sold. It appears that the Central Government is in collision with the State Government. In the Circumstances, who will defend the rights of the Union.

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इतनी बात उठती है कि क्या यह भूमि कहा जा सकता है कि यह भूमि बम्बई पत्तन न्यास की है। मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करना है अथवा इससे इन्कार करना है। इसके संवैधानिक प्रश्न की ओर न जायें।

Shri Madhu Limaye : There is no dispute about the land beyond low water mark.

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु मैं समझता हूं कि ये सब बातें इस विधेयक की सीमा से परे हैं। आप ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय उठाया है। परंतु संवैधानिक बातें परिवहन और नौवहन मंत्री के अन्तर्गत नहीं आतीं इस कारण ये बातें नहीं उठायी जा सकती यदि आप यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार री-क्लेम की गई भूमि बम्बई पत्तन-न्यास की सम्पत्ति है तो यह इस विधेयक की सीमा में है।

Shri Madhu Limaye : Major Ports Act, Indian Ports Act and Bombay Port Act include the definition of 'Foreshore' and it is well known that the land lying between low-water and highwater mark is called Foreshore. I have already said that the land beyond the Foreshore belongs to the Centre.

According to the old Port trusts Act, the land includes the bed of the sea below high water mark. Under the original Port Trust Act, the land below high water mark also belongs to the Port Trust. The whole foreshore belongs to Port Trust. According to 1972 order also, the boundary of the Port Trust to the West is : The eastern shore of the Island of Bombay from the boundary piller situated on the south Bank of the Chandni creek to the southern extrimity of Colaba Point......And this very, area falls under Reclamation. I have, therefore, to submit that ownership of the Foreshore vests in Bombay Port Trust and this ownership is now being attacked. There was a mention in 96th Report of the Estimates Committee of the 3rd Lok Sabha that the Bombay Port Trust possesses large landed estates, most of which have been created the extensive reclamations. These estates total nearly 1,900 acres. If you are not the owner of this land, then to whom does this 1,900 acres of land belong? I, therefore, wanted to say that this Bill should have been more explanatory. There should not be any objection to accept my constitution Amendment Bill.

May I know why you are not banning any construction work in the area except Port Installations and light house?

Shri Kamlapati Tripathi : It is a matter of pleasure that this Bill has mostly been welcomed. But a number of such things have been said as do not fall within the scope of this Bill.

This Bill has a very limited scope. It is not connected with the development of Major Ports. It is proposed to enforce the Major Ports Act 1963 and Calcutta, Bombay and Madras Ports. Though this Act was passed in 1963, it could not enforced on these ports as old Acts were already inforce there. It is also a fact that there has been some delay in this regard. It should have been brought earliest.

The matter regarding the development of Calcutta Port has been raised. This matter is under serious consideration of the Government. Haldia Port is being constructed with this object in view. The case relating to Farakka Barrage is under negotiation with the Bangla Desh Government.

Planning Commission has earmarked large funds, for the development of Ports during the 5th Plan period. Our Trade is increasing and development of Ports is very necessary for this purpose. Efforts would be made to ease the congestion at Calcutta and Bombay Ports by constructing new ports or by constructing outer Harbours.

Mangalore and Tuticorin have been declared Major Ports. Efforts are being made to set up Port Trusts there. When these Trusts have been set up, Major Ports Act would be made applicable there by issuing a notification.

[Shri Kamlapati Tripathi].

The Government has accepted a number of recommendations of Major Ports Commission. But there is no need to bring forward any legislation for their implementation. This Bill was necessary as three different Acts were applicable on the three Major Ports. Efforts are also underway to develop Paradeep Port. A general Cargo Berth is nearing completion.

So far as my report goes, Reclaimed land does not belong to the Bombay Port Trust. There is no record to show that the land below the low water mark has been reclaimed. I believe that the land between high water mark and low water marks belongs to the State Government. Even then, any construction work can not be undertaken there without the permission of the Central Government. Previously, the word 'Reclamation' was not there but now this word has also been included and now the State Government is allowed to do any reclamation work also.

It is not correct to say that wide powers are being given to the Chairman of the Trust. The Major Ports Commission had recommended flexibility with regard to financial and Administrative Powers and that is being done. The appointments to the higher posts would be made by the Central Government in consultation with the Chairman. In fact, this power has been taken over from the Chairman.

Shrimati Parvathi Krishnan has raised a querry that only I. A. S. Officers are being appointed as Chairman. In fact, there is no such provision and anybody can be appointed. The question of appointing M.L.As.' and M.P's on the board was considered in 1963 but as this constitutes an office of profit, the idea was dropped.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहती हूं। मंत्री महोदय ने खंड 10-11 के विषय में कहा कि ये कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास पत्तनों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने और मुख्य पत्तनो के बारे में एकरूपता लाने की दृष्टि से हैं। परंतु वास्तव में खंड 10-11 के अन्तर्गत बोर्ड की शक्तियों को कम कर के अध्यक्ष को अधिक शक्तियां दी गई है। अत: मेरा अनुरोध है कि इन खंडो को वापस लिया जाये। मंत्री महोदय द्वारा यह कह कर कि अध्यक्ष को अधिक शक्तियां नहीं दी जा रहीं सदन को गुमराह किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपना अपना मत है कि अध्यक्ष को इन खंडों के अन्तर्गत अतिरिक्त शक्तियां दी जा रही हैं अथवा नहीं। इस बात का निर्णय सदन द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न यह है :

"कि मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड दिये गये :

Classes 2 and 3 were added to the Bill.

Shri Ramautar Shastri (Patna) : I beg to move my amendment No. 9.

There is a provision to appoint 'not less than two' representatives of labour and the Board. These days, there are a number of Trade Unions. It would, therefore, not be possible to obtain co-operation from all sections of workers by giving representation to only two people, with this object, I have suggested that instead of two this should be 'four'.

Shri Kamlapati Tripathi : I request that I can not accept this suggestion. We have changed the whole composition but have left the representation of workers unchanged. Moverover, this is the minimum. If considered appropriate, it can be four or six even in place of two.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 9 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 से 9 विधेयक में जोड दिये गये ।

Clauses 5 to 9 were added to the Bill.

खण्ड 10

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3,–

पंक्ति 42 से 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) in the case of a post—

(i) the incumbent of which is to be regarded as the Head of the department; or

(ii) to which such incumbent is to be appointed; or

(iii) the maximum of the pay scale of which (exclusive of allowances) exceeds two thousand rupees,

be exercisable by the Central Government after consultation with the Chairman'

7—24 LSS(ND)/74

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा अर्थात :—

(क) ऐसे पद की दशा में—

(i) जिसके धारक को विभागाध्यक्ष मानना है; या

(ii) जिस पर ऐसा पद-धारी नियुक्त किया जाना है; या

(iii) जिस का अधिकतम वेतनमान (भत्तो को छोड़कर) दो हजार रुपये से अधिक है, अध्यक्ष से परामर्श कर के केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी;

श्री कमलापति त्रिपाठी) : (संख्या 1)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

खंण्ड 11

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 4, पंक्ति 5 से पहले, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाय —

'(1) in the opening portion the word "promoting" shall be omitted;'

['(1) प्रारम्भिक भाग में "प्रोन्नत करने" शब्द निकाल दिये जायेंगे;']

पृष्ठ 4, पंक्ति 5—

"(1)" के स्थान पर "(2)" प्रतिस्थापित किया जाय। (सं० 3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12—

"(2)" के स्थान पर "(3)" प्रतिस्थापित किया जाय। (सं० 4)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13 और 14 हटा दी जायें। (सं० 5)

पृष्ठ 5, पंक्ति 15, "(b)" "[(ख)]" हटा दीया जाय। (सं० 6)

(श्री कमलापति त्रिपाठी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 12 से 21 विधेयक में जोड दिए गये ।

Clauses 12 to 21 were added to the Bill.

खण्ड 22

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

I have given two amendments regarding clause 24. The period of demurrage is four months and it should be reduced to two months.

Secondly, whatever money you have to give to the importer, that should be given with in a period of six months and not one year.

Shri Kamlapati Tripathi : If his first amendment is accepted, the port would incur loss, as it would receive demurrage only for two months instead of four months. But so far as reducing the period from one year to six months is concerned, I accept this amendment.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 10 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 22 विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 22 was added to the Bill.

खण्ड 23

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 11 और 12 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 11 और 12 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 11 and 12 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 23 विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 23 was added to the Bill

खण्ड 24

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन सं० 13 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 17,— "One year" "एक वर्ष" **के स्थान पर** ["Six months"] ["छः महीने"] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। (सं० 14)

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 20, —

"held by the Board upon trust" ["बोर्ड द्वारा ट्रस्ट पर रखा जायेगा]" **के स्थान पर** "applied by the Board" "[बोर्ड द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा"] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। (सं० 7)

Shri Ramavtar Shastri : It has already been stated in Article 22 that there would be sale by tender. I do not know as to why arbitrary powers are being given to the officers by selling through private agreement. There should not be any loophole so that officers may do something in a secret and hidden manner.

Shri Kamlapati Tripathi : The suspicion in the mind of Shri Shastriji is quite natural because there has been disposal by public auction. But in auction the shippers in collusion with each other do not allow the price to go up. That is why in addition to tender-private agreement or private negotiation has been provided here. We may watch its working for sometime.

I am not accepting amendment No. 13, but I am accepting amendment No. 14.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 7, पंक्ति 20,--

"held by the Board upon trust" "[बोर्ड द्वारा ट्रस्ट पर रखा जायेगा]"
के स्थान पर "applied, by the Board" ["बोर्ड द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा"]
शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। (सं० 7)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संशोधन सं० 13 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

The amendment No. 13 was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 7, पंक्ति 17—

"One year" ["एक वर्ष"] के स्थान पर "Six months" ["छः महिने"] प्रतिस्थापित किया जाये। (सं० 14)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 24 संशोधित रुप में विधेयक मे जोड दिया गया।

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 25 से 37 विधेयक मे जोड दिये गये।

Clauses 25 to 37 were added to the Bill.

खण्ड 83

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमलापति त्रिपाठी संशोधन सं० 8 को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा संशोधन सं० 22 उसी तरह का है, इसलिए उसे पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 27 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय—

"(2E) Upon the cesser of operation of the provisions of the Acts referred in sub-sections (2A), (2B) and (2C), the provisions of section 6 of the general clauses Act, 1897, (1 of 1897) shall apply as if the provisions first-mentioned were provisions contained in a Central Act and such cesser of operation were a repeal, and the mention of particular matters in sub-section (2D) shall not be held to prejudice of affect the general application of the said section 6 with regard to the effect of repeals".

"(2ङ) उपधारा (2क), (2ख) और (2ग) में निर्दिष्ट अधिनियमों के लागू न रहने पर, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 1) की धारा 6 के उपबन्ध लागू होंगे मानों प्रथमवर्णित उपबन्ध किसी केन्द्रीय अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्ध थे और ऐसे लागू न रहना निरसन था; और उपधारा (2घ) में विशिष्ट मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के सम्बन्ध में उक्त धारा 6 के साधारणतः लागू होने को प्रतिकूलतः प्रभावित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।"

(सं० 8)

(श्री कमलापति त्रिपाठी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 38, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।
Clause 38, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 39, 40, 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये।

Clauses 39, 40, 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक
UNIVERSITY OF HYDERABAD BILL

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में शैक्षणिक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

सदन को याद होगा कि आंध्र प्रदेश के लिए छ: सूत्री फार्मूले में इस बात की व्यवस्था की कि आन्ध्र प्रदेश में वर्तमान शैक्षनिक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसके बाद संसद द्वारा संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक पारित करने के बाद जिसमें संसद को आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की शक्ति प्रदान की गई थी, राष्ट्रपति ने 4 जुलाई, 1974 को आन्ध्र प्रदेश शैक्षणिक संस्थान विनियम जारी कर दिया है जिसमें "स्थानिक क्षेत्र अभ्यर्थियों" आदि की परिभाषा दी गई है और राज्य तथा गैर राज्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह अधिसूचना आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और इसके बाद यह आवश्यक है कि हम हैदराबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना के बात को आगे बढ़ायें। इसिलिए यह विधेयक पेश किया गया है।

चूंकि यह निर्णय ले लिया गया था, अत: मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा० जार्ज जेकब की अध्यक्षता में एक कार्यवाही दल की नियुक्ति की। इस दल न विधेयक की मुख्य बातों के बारे सिफारिशे कीं। इनमें से एक मुख्य सिफारिश यह है कि विश्वविद्यालय समेकित प्रकार का हो और इसका क्षेत्राधिकार अपने ही परिसर तक सीमित होना चाहिए। यद्यपि अन्य सभी मामलों में सरकार ने समिती की शिफारिशें स्वीकार कर ली है, मगरहमनेमें एक छोटा सा संशोधन किया है और हमने विश्व-विद्यालय को आन्ध प्रदेश के अन्य भागोंभी अन्य परिसर स्थापित करने की, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो, शक्ति प्रदान की है।

इसके साथ साथ विश्वविद्यालय को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के स्थानों में विशिष्ट केन्द्रों और अनुसंधान के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रयोगशालायें स्थापित करने का अधिकार होगा। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। अन्य अधिकार और उद्देश्य न्यूनाधिक वैसे ही है जैसे पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के बारे में हैं। विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय आनर्स पाठ्यक्रम, दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एक वर्षीय एम० फिल० और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होगी। यह हमने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है, परन्तु इस बारे में व्यापक कार्यवाही का निर्धारण विश्वविद्यालय ही करेगा। यह विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित और कार्यरत अन्य अनुसंधान संस्थाओं, विशेषकर उन अनुसंधान संस्थाओं के साथ, जिन्हें विभिन्न केन्द्रीय सरकारी स्रोतों से वित्तीय सहायता मिल रही है, पूर्ण सहयोग करेगा।

हमने समिती द्वारा सिफारिश किये गये आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि विश्वविद्यालय में दाखिला अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए और यदि विश्वविद्यालय चाहे, तो विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए परीक्षा ले सकता है। किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नहीं हो सकता, किन्तु हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण करना कानूनी होगा।

भारत के राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे, क्योंकि वह सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं। आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के रेक्टर होंगे। कुलाधिपति, कुलपति, प्रो० वाइस-चान्सलर और कुल सचिव आदि के सामान्य पर होंगे।

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय की तरह अधिकारियों की प्रारम्भिक नियुक्तियां विजिटर करेगा। प्रथम तीन वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए मुख्य निकायों में सदस्यों को विजिटर ही नाम-निर्देशित करेगा। कुछ विनियमों को विधेयक के साथ अनुबन्धित किया गया है। पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय की तरह पहले तीन वर्षों में विजिटर उन विनियमों में संशोधन कर सकेगा और तीन वर्ष पूरे होने से पहले ही व्यापक विनियम संसद के दोनों सदनों के सभा-पटलों पर रखे जायेंगे।

जहां तक परिव्यय का सम्बन्ध है, हमें आशा है कि अनावर्ती व्यय अर्थात् आधारभूत अनुदान लगभग 11.60 करोड़ रूपये होगा। हमें यह बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार केवल भूमि ही देगी, बल्कि भूमि की विकास-लागत भी देगी। पांचवी योजना अवधि के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होगा।

हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय शीघ्रातिशीघ्र चालू हो जाना चाहिए जिससे आन्ध्र प्रदेश की जनता और विशेषरूप से हैदराबाद की जनता की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

इस विश्वविद्यालय के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने की दृष्टि से सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक प्रो० गुरबख्श सिंह को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। हम आयोजना समिति की भी तत्काल नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय की कार्यकरण सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करने में यह समिति विशेष कार्य अधिकारी की सहायता कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन में विचारार्थ पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में शैक्षणिक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Many a Members have given notices of amendments, which may kindly be circulated.

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य संशोधन देना चाहते हैं, अभी दे दें । बहस कल भी जारी रहेगी । हमारे पास उन्हें परिचालित करने का समय है ।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I congratulate the Government for bringing forward such a Bill. The people of Andhra Pradesh would be satisfied to have a Central University in their area.

So far as medium of instruction is concerned, it would be Hindi as well as English. I would also like to say that Telugu *i.e.* the language of the State should also be made the medium of instruction in addition to Hindi and English.

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Bill. As a matter of fact, this university in Andhra Pradesh should have been opened much earlier. Late Pt. Jawahar Lal Nehru was also anxious to open a University in Hyderabad, but it could not be opened at that time due to certain circumstances.

This Bill has been brought forward under the six point formula and its draft is based on the North Eastern Hill University. Therefore, there is no need to have much discussion over it. It would be widely welcomed by all the sections.

There are many central Research Centres at Hyderabad. I would like to urge upon the Honourable Minister to hold an examination this year in co-operation with those institutions so that the people of Andhra Pradesh could be satisfied that their long cherished demand has been met.

If Hindi is made the medium of instruction, no body could be happier than me. But I have always been in favour of granting autonomy to the Universities and it would be better if all such issues are left to the authorities of the University for decision. I would like that there should be a Research Institution for all the four southern languages. If language issues are raised again, the situation may take once again an ugly turn and we would not like them to be repeated.

The Universities should not be the centre of knowledge alone, they should also have a leading role in cultural movements. These days there is a crisis of character and the Universities should build up a better character of our youths.

I suggest that all the Central Universities should evolve methods for with a view to broaden the mental outlook of the scholars and also maintain a link between education and realities of life. The new university should be a model one catering to the employment oriented education needs of the society. The Government should have announced the appointment of the Planning Board. The members of the Planning Board should not only be educationists but also persons well-versed in art, culture and literature of Andhra Pradesh.

I hope that this university will imbibe the spirit of national character in the scholars and students from all parts of the country will be able to get education there. It is good that some special consideration has been given to people belonging to scheduled castes and scheduled tribes. There should be a separate Department for the study of culture of scheduled castes and scheduled tribes in the university.

The new university should be a bridge connecting North with the South. It is hoped that this university will strengthen national integration and help in the further development of our culture.

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : मैं इस नये विधेयक तथा नये विश्वविद्यालय का स्वागत करता हूं। केन्द्रीय सरकार ने अब तक केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की ओर से ध्यान दिया है। उदाहरणतः कलकत्ता विश्वविद्यालय आर्थिक संकट में है और अपना अस्तित्व बनाए रखने में भी असमर्थ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने भी यह कहा है कि धन की कमी के कारण विश्वविद्यालय के काम ठप्प से हो गये हैं। यदि हम वास्तव में देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो सरकार को केन्द्रीय और गैर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी यह किया जाए उतना ही अच्छा है।

वर्तमान विधेयक पूर्णतः वैध ही है जैसा शिलांग विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पुरः स्थापित किया गया था। इसलिये विधेयक में भी वे ही कमियां हैं। खेद है कि पहले विधेयक की तुलना में इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है।

इस विधेयक के अनुसार एक संकाय का डीन उस पद पर तीन वर्ष तक रहेगा परन्तु गजेन्द्रगडकर समिति के बारी बारी से और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करने के सुझाव को नही माना गया है। सरकार को इस सुझाव को मान लेना चाहिए था और विधेयक में करना चाहिए था।

प्रो० वाइस चान्सलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि उसे वाइस चान्सलर मनोनति करेगा तथा उसकी नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा की जाएगी। यह साधारण बात है कि चुंकि वे कुलपति के अपने आदमी होते हैं, इसलिये उन्हें कुलपति की बात माननी पड़ेगी और धीरे धीरे एक गुट द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। इससे दिन प्रति दिन के प्रशासन में अनेक कठिनाईयां पैदा होती हैं। अतः इस उपबंध में सुधार की आवश्यकता है।

कार्यकारी परिषद् को नये नियम बनाने या संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। वास्तव में कार्यकारी परिषद् को संसद के अधिकार दे दिये गये हैं। यह अनुचित है। विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्वपूण अंग है। इसके गठन के ब्यौरे को कार्यकारी परिषद् के हाथ में नही दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों और कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

विधेयक के खंड 30 के अधीन एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जायेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा। कोई कर्मचारी उसके निर्णय के विरूद्ध न्यायालय में नहीं जा सकेगा। अतः खण्ड 30 अनुचित है। एक व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार होता है. लेकिन इस खण्ड द्वारा यह अधिकार छीन लिया गया है। (**व्यवधान**)

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : इस न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लेख याचिका दायर करने पर कोई भी प्रभाव नही पड़ेगा। यह एक संवैधानिक अधिकार है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मेरी मांग यह है कि लोगोंको उच्च अथवा सर्वोच्चन्यायालय में न्यायालयों के साथ साथ स्थानीय न्यायालयों में भी न्याय प्राप्त करने का अधिकार इस विधेयक द्वारा मिलना चाहिये क्यों कि इनमें अधिक व्यय नहीं होता। अतः इस खंड को संशोधित किया जाय।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षित हिंदी रूपान्तर।

*Summarised translated Version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलुरु) : इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये मैं केन्द्रीय सरकार को बधायी देता हूं । यह विश्वविद्यालय न केवल आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिये लाभकारी होगा बल्कि भारत के सभी राज्यों के लोगों के लिये लाभप्रद होगा । ऐसी आशा है कि हैदराबाद का नया विश्वविद्यालय उन सभी लोगों को अवसर प्रदान करेगा, जो वहां अध्ययन के लिये आयेंगे ।

हैदराबाद में स्थापित किये जाने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम नागार्जुन विश्वविद्यालय रखा जाये । इसे जनवरी, 1975 तक स्थापित कर दिया जाये ।

इस विश्वविद्यालय में दाखिले में रिहायश आदि की कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये । किसी व्यक्ति को विशेष रियायत वाला दर्जा नहीं दिया जाना चाहिये । यह वास्तव में एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिये ।

विधेयक में दिये गये विभिन्न प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को वित्त देना चाहिये । आन्ध्र प्रदेश सरकार को भूमि और भवनों आदि की व्यवस्था करने के लिये कहा जा सकता है परन्तु धन के लिये राज्य सरकार पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिये ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I congratulate the Prime Minister and the Education Minister for taking expeditious action in regard to bringing forward a Bill to set up the Hyderabad University.

The medium of instruction in this university should be Hindi as well as English. Provision must be made for the teaching of both the languages there. It would be better if this university started functioning from the birth anniversary of Mahatma Gandhi.

It is not advisable to change the name of the university because one college by the name of Nagarjun Engineering College is already there.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं । यद्यपि हाल में देश में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय खोले गये हैं और इस बात का संदेह है कि कई निम्नस्तर की शिक्षा संस्थायें खुल रही हैं तथापि आशा है कि यह विश्वविद्यालयों की संख्या ही नहीं बढ़ायेगा बल्कि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में नई परम्परायें तथा नये तरीके स्थापित करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी करें ।

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार 7 अगस्त, 1974/16 श्रावण 1896 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 7th August, 1974/ Sravana 16, 1896 (Saka).

---

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

भा०स०मु०ना०—वि० 2—24 एल०एस०एस० (एन०डी०)/74—15-10-74—490.